



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 64 ★ मासिक अंक : 5 ★ पृष्ठ : 60 ★ फाल्गुन-चैत्र 1939-40 ★ मार्च 2018

इस अंक में - केंद्रीय बजट 2018-19

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र-व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 0 03
दूरभाष : 011-24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
गजानन पी. धोपे
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति : 22 रुपये
विशेषांक : 30 रुपये
वार्षिक शुल्क : 230 रुपये
द्विवार्षिक : 430 रुपये
त्रिवार्षिक : 610 रुपये



	ग्रामीण विकास का रोडमैप	अमरजीत सिन्हा	5
	बजट 2018-19 के मुख्य अंश	---	9
	किसान कल्याण और कृषि विकास से नए भारत का निर्माण	डॉ. जगदीप सक्सेना	10
	मूल्य संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा	एम एस स्वामीनाथन	15
	ग्रामीण नौजवानों के लिए कौशल विकास और रोजगार	ए. सृजा	18
	आयुष्मान भारत : स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक पहल	आशुतोष कुमार सिंह	23
	समृद्ध समाज से विकास की ओर	नितिन प्रधान	29
	ग्रामीण भारत में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा	बालेन्दु शर्मा दाधीच	32
	समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम	आशीष कुमार	35
	ग्रामीण आजीविका और रोजगार	डॉ. के.के. त्रिपाठी	38
	ग्रामीण ढांचे की मजबूत होती नींव	शिखा जुयाल, जया प्रियदर्शिनी	42
	महिलाओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन	सुरभि गौड़	47
	लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा	हरिकिशन शर्मा	50
	स्मार्ट ग्रामीण जीवन के लिए गोबर धन योजना	निमिष कपूर	53
	परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री का छात्रों को संबोधन : कुछ विशेष बातें	---	58

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्ति विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

बजट 2018-19 का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को तेज करने पर है। इसके लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की गई

है— खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, किसानों की औपचारिक मंडियों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण हाटों का उन्नयन, संस्थागत कृषि ऋण में बढ़ोतरी, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र के लिए नए फंड, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन निधि के लिए अधिक फंड, वंचित सिंचाई जिलों के लिए आवंटन, मत्स्य पालन और पशुपालन में संलग्न किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार जिससे कार्यशील पूंजी की उनकी जरूरत पूरी की जा सके। ये सभी उपाय ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाएंगे।

महिला स्वयंसहायता समूहों को ऋण में बढ़ोतरी सहित उज्ज्वला और सौभाग्य योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के लिए उच्च लक्ष्य घोषित किए गए हैं जिससे निश्चित तौर पर महिलाओं सहित निम्न और मध्यम वर्ग लाभान्वित होगा। साथ ही, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर भारी निवेश और मेगा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और पिछड़े इलाकों के उत्थान में काफी मदद मिलेगी।

बजट में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे हर वर्ष 5 लाख रुपये के कवरेज के साथ दस करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा। यह अभी तक की सरकारी सहायता से चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। देश की सभी प्रमुख पंचायतों में 1.5 लाख स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा को ग्रामीण लोगों के द्वार तक ले जाया जा सकेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक अब 15 लाख रुपये तक की राशि पर 8 प्रतिशत का न्यूनतम ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे। उनकी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमाराशि पर 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक लाख रुपये तक आए खर्च पर आयकर में छूट दी गई है।

इस बजट में सरकार ने 250 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाले उद्योगों के लिए कर दर 5 प्रतिशत कम कर दी है। उन्हें अब 30 प्रतिशत के स्थान पर केवल 25 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। एमएसएमई उद्योगों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से क्रेडिट की सुविधा आसान कर दी गई है। इससे 'मेक इन इंडिया' के मिशन को और प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट में डिजिटल इंडिया से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए 6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जोकि पिछले साल की तुलना में एक लाख करोड़ रुपये अधिक हैं। ये सभी योजनाएं हमारे देश में रोजगार के अवसरों को कई गुना बढ़ाएंगी।

बजट की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में कृषि से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक के मुद्दे पर ध्यान दिया गया है। उम्मीद है कि इससे देश के 125 करोड़ लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा और विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण का समापन विवेकानंद के यूरोपीय यात्रा के संस्मरणों के उद्धरण से किया— “आप स्वयं को शून्य में विलीन होने दो और अंतर्ध्यान हो जाओ, और अपने स्थान पर नए भारत को पैदा होने दो। उसे उठने दो— हल चलाते हुए, किसानों की कुटिया से, मछुआरों की झोपड़ियों से; उसे किराने की दुकान से, फ्रिटर बेचने वाले के चूल्हे से उठने दो। उसे कारखाने से, बाजारों से और मार्केट से उत्पन्न होने दो। उसे पेड़ों और जंगलों से, पहाड़ों और पर्वतों से उभरने दो।” अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का प्रयास करने वाले बजट के समापन के लिए वाकई में ये एक उपयुक्त उद्धरण था।

ग्रामीण विकास का रोडमैप

—अमरजीत सिन्हा

कृषि बाजार (मंडियों) तक पहुंच के लिए अच्छी चौड़ी सड़कों के महत्व को समझते हुए आर्थिक क्षमता के आधार पर मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और ग्रामीण बाजार केंद्रों और ग्रामीण केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका को देखते हुए ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। 1.10 लाख किलोमीटर उन्नयन का प्रस्ताव पीएमजीएसवाई-3 के रूप में प्रस्तावित है। ऐसा करने के लिए, केंद्र सरकार से 2022 तक 19,000 करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री के 'नए भारत 2022' के सपने को साकार करने के लिए संपर्क और सड़कों के एकीकरण की भी आवश्यकता है, जो बाजार से जुड़ी हो, ताकि किसानों को बाजार का लाभ मिल सके।

ग्रामीण विकास विभाग लगातार ग्रामीण गरीब परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग का बजटीय प्रावधान वर्ष 2012-13 में 50,162 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 109,042.45 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उच्च वित्त आयोग अनुदान और व्यापक राज्य अंश भी 2017-18 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध था। यह सब मिलाकर कुल धनराशि वर्ष 2012-13 में उपलब्ध धनराशि से तीन गुना अधिक थी। वित्तीय प्रावधान में बढ़ोतरी के अलावा, ग्रामीण विकास विभाग ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011, आयकर/प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भुगतान प्रणाली, लेन-देन आधारित कार्यक्रम, एमआईएस और संपत्ति के भौगोलिक जोड़ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए व्यापक पहुंच वाले प्रशासनिक सुधार को अपनाया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाली और पहाड़ी क्षेत्रों में ढाई सौ की आबादी वाली 1,78,184 बस्तियों को सभी मौसमों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। मार्च, 2014 तक 97,838 बस्तियां (55 प्रतिशत) सड़क संपर्क से जुड़ी थीं। आज पीएमजीएसवाई के तहत 1,30,947 बस्तियां जुड़ी हुई हैं, और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के जरिए 14,620 अन्य बस्तियों को सड़क संपर्क के दायरे में लाया गया है और कुल 82 प्रतिशत बस्तियां सड़क से जुड़ गई हैं। वर्ष 2016-17 में प्रतिदिन 130 किलोमीटर की दर से कुल 47,447 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। वर्ष 2017-18 में प्रतिदिन 140 किमी. की

गति से इस मामले में 51,000 किलोमीटर तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे मार्च 2019 तक सभी योग्य बस्तियों को हर मौसम में पूरी तरह से सड़क संपर्क से जोड़ने की उपलब्धि हासिल हो जाएगी।

कृषि बाजार (मंडियों) तक पहुंच के लिए अच्छी चौड़ी सड़कों के महत्व को समझते हुए आर्थिक क्षमता के आधार पर मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और ग्रामीण बाजार केंद्रों और ग्रामीण केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका को देखते हुए ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यह दूसरे चरण को और मजबूत करेगा, जो पहले से ही कार्यान्वयन में है। 1.10 लाख किलोमीटर उन्नयन का प्रस्ताव पीएमजीएसवाई-3 के रूप में प्रस्तावित है। ऐसा करने के लिए, केंद्र सरकार से 2022 तक 19,000 करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री के 'नवभारत 2022' के सपने को साकार करने के लिए संपर्क और सड़कों के एकीकरण की भी आवश्यकता है, जो बाजार से जुड़ी हो, ताकि किसानों को बाजार का लाभ मिल सके।



राज्यों/संघशासित प्रदेशों के तीसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी सड़कों के बेहतर रखरखाव और जीआईएस मानचित्रण के महत्व को महसूस करते हुए, उन्हें निश्चित रूप से एक मजबूत रखरखाव नीति सुनिश्चित करने और सभी सड़कों के जीआईएस मानचित्रण को पूरा करने के साथ धन मुहैया कराना होगा। इससे उच्च मानक पर पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित होगा। पीएमजीएसवाई सड़कों की 15 फीसदी सड़कों अब अपशिष्ट प्लास्टिक, भू-वस्त्र, प्लाई ऐश, लोहा और तांबे का लावा और टंडे मिश्रण के उपयोग जैसी अभिनव हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से बनाई जा रही हैं। इससे न केवल निर्माण की लागत घट रही है, बल्कि स्थानीय और अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है।

आजीविका में विविधता लाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सफलतापूर्वक स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के दायरे में 4.5 करोड़ महिलाओं को लाया है। कुछ वर्षों में क्षमता विकास और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंकिंग लिंक बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में 23,953 करोड़ रुपये के बैंकिंग लिंक से मौजूदा बकाया ऋण करीब 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के महिला स्वयंसहायता समूह भी आजीविका में विविधता ला रहे हैं, जैसाकि दक्षिणी राज्य पिछले कुछ दशकों से कर रहे हैं। इससे उत्पादक संपत्ति और आय में वृद्धि करके गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर लाने में मदद मिलती है। 1000 से अधिक जैविक समूहों के विकास की दिशा में टिकाऊ कृषि के लिए 32 लाख से अधिक महिला किसानों के साथ काम चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा द्वारा इन महिला स्वयंसहायता समूहों, उत्पादक समूहों और उत्पादक कंपनियों के लिए बाजार अवसरचना के विकास के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

मनरेगा ने जरूरत के समय सामाजिक बीमा की भूमिका



निभाई। श्रमिकों के रोजगार के जरिए पिछले तीन वर्षों में संसाधनों का उपयोग गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा में सुधार के लिए प्रभावी ढंग से किया गया है और प्रभावी जल संरक्षण, वनीकरण और परिसंपत्ति विकास के जरिए जलवायु परिरक्षी कृषि को भी बढ़ावा दिया गया है। इस अवधि के दौरान 10 लाख से ज्यादा कृषि तालाबों और 6.7 लाख कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण पूरा हो चुका है; साथ ही 1.6 लाख से अधिक तरल संसाधन प्रबंधन अवशोषण गड्ढों तथा ठोस संसाधन प्रबंधन का कई राज्यों में प्रसार हो चुका है। मनरेगा संसाधनों का इस्तेमाल पीएमएवाई (जी) के साथ मिलकर किया गया है, ताकि काम के 90/95 दिन और 12,000 रुपये का भुगतान या तो गरीबों के नए घरों के साथ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए स्वच्छ भारत मिशन या मनरेगा के माध्यम से किया जा सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान 73.50 लाख से अधिक घरों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है, जिनमें 19.66 लाख पीएमएवाई (जी) घर शामिल हैं। इसके अलावा 30 लाख अन्य पीएमएवाई (जी) घर 31 मार्च, 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि वे पहले से ही उन्नत चरण में हैं। मनरेगा का उपयोग आजीविका के संसाधनों के रूप में किया गया है और गरीब परिवारों के लिए कई तरह की व्यक्तिगत लाभप्रद योजनाओं, जैसे, कृषि, तालाब, सिंचाई के लिए कुएं, बकरियों के लिए आश्रय, दुग्ध उत्पादक पशुओं के लिए आश्रय, मुर्गीपालन के लिए आश्रय के निर्माण के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग को उम्मीद है कि बेहतर बुनियादी ढांचे और आजीविका वैविध्यीकरण के लिए संयुक्त अभियान के जरिए 2022 के नए भारत में ग्रामीण गरीबी दूर करने हेतु यह संकल्प जारी रहेगा। विभाग ने गरीबी के सभी आयामों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ 50,000 ग्राम पंचायतों में पांच हजार क्लस्टरों पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के तहत मजदूरों के रोजगार के लिए कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 'आरसेटी' (RSETI) के जरिए प्रति वर्ष सात लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को स्वरोजगार प्रदान किया है। 'स्किल इंडिया' पहल का उपयोग करके डीडीयूजीकेवाई और 'आरसेटी' कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के साथ ही मौजूदा-स्तर पर गरीब परिवारों के लिए कौशल और क्षमता विकास में सुधार के प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

पिछले बजट में, मिशन अंत्योदय के बारे में घोषणा की गई थी कि 50,000 ग्राम पंचायतों में एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने इन ग्राम पंचायतों की रैंकिंग की है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से चुना गया है। बुनियादी ढांचे, मानव विकास और आर्थिक मापदंडों पर खामियों की पहचान की गई है और हमारी सरकार इस खामियों को दूर करने और गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव

लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सहयोग से संबंधित प्रावधानों को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के अलावा, मंत्रालय के कौशल विकास पर जोर देने के हिस्से के रूप में युवा विधवाओं और दिव्यांगों को कुशल बनाने और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयासों की शुरुआत की गई है।

‘ग्रामीण आत्मा और शहरी सुविधाओं’ से युक्त रूबन क्लस्टर के विकास के लिए प्रयास और करीब 1200 सांसद आदर्श ग्राम पंचायत भी अंत्योदय मिशन का हिस्सा है। 8000 से अधिक मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायत 115 आकांक्षापूर्ण जिलों में हैं। आजीविका वैविध्यीकरण के माध्यम से उनके तेजी से विकास के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत टिकाऊ कृषि के लिए 32 लाख से अधिक महिला स्वयंसहायता समूह के सदस्यों के साथ काम चल रहा है। भारतीय कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों को विकसित करना, जो जैविक रूप में प्रमाणित हैं, महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रालय की भागीदारी के साथ ग्रामीण विकास विभाग मिशन अंत्योदय क्लस्टर में अपने महिला स्वयंसहायता समूहों के जरिए टिकाऊ कृषि के लिए कम से कम 1000 क्लस्टरों को विकसित करने की दिशा में काम करेगा। यह काम जैविक खेती, कौशल विकास, बैंकिंग लिंक, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा सुविधा आदि में उपयोग के लिए जैविक खाद के निर्माण से जुड़े जल-संरक्षण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से किया जाएगा।

एक मजबूत उत्तरदायी ढांचा

ग्रामीण विकास विभाग ने अपने सभी कार्यक्रमों के लिए एक बेहद मजबूत जवाबदेही ढांचा विकसित किया है। सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के माध्यम से पात्रता के सिद्धांत पर निर्माण, और सामाजिक लेखा परीक्षा, वित्तीय लेखा परीक्षा, भौगोलिक पहचान से जुड़ाव की प्रक्रिया (जियो टैगिंग) की बहु-आयामी रूपरेखा के माध्यम से जवाबदेही और आयकर-प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के उपयोग के जरिए ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों ने भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता के साथ एक पारदर्शी ढांचे को संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लेन-देन सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) पर आधारित करने के अलावा लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए जियो टैग फोटो एवं सही समय पर सूचना देने, नागरिक केंद्रित ऐप जैसे ग्राम संवाद, मेरी सड़क, आवास ऐप आदि विकसित करने की कोशिश की गई है। विभाग के पास पहले से ही राष्ट्रीय-स्तर के निगरानी संस्थान हैं, जो देश के 600 जिलों में हर साल दो बार दौरा करते हैं और बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र में होने वाले कार्य के चयनित नमूनों का सत्यापन करते हैं। इसके अलावा, सभी प्रमुख कार्यक्रमों पर अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों की एक शृंखला शुरू की गई है। इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल

बजट 2018-19 में ग्रामीण विकास पर फोकस

देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के साधन, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर सरकार और अधिक धनराशि खर्च करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा 14.34 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय और गैर-बजटीय संसाधन शामिल हैं। खेती से जुड़े कार्यकलापों और स्वरोजगार के अलावा, इस खर्च से 321 करोड़ मानव दिवस के रोजगार, 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा। उम्मीद है कि इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलने के अलावा 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे।



प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ‘हर खेत को पानी’ के अंतर्गत भूजल सिंचाई योजना सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू होगी इसके लिए 2600 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

स्वसहायता समूहों को ऋण पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपये किया गया। सरकार को उम्मीद है कि मार्च 2019 तक स्व-सहायता समूहों की ऋणराशि बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आबंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपये किया गया है।

मैनेजमेंट, आणंद (इरमा) द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली द्वारा मनरेगा नेचर रिसर्च मैनेजमेंट पहल और आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का राष्ट्रीय मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है और उसकी रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पहले हिस्से का अध्ययन हाल ही में पूरा किया है और शीघ्र ही इसे वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज ने मनरेगा पर कई अध्ययन शुरू किए हैं, जिनके निष्कर्ष भी जल्द ही सार्वजनिक डोमेन पर होंगे। विभाग ने योजनाओं के कार्यान्वयन में लगातार सुधार और बेहतर अनुपालन के लिए व्यवस्था से संबंधित सुझाव देने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पर एक सलाहकार समूह की स्थापना की है। समूह ने आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए एक

प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। प्रमाणपत्र कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्दी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया की साझेदारी में सेवानिवृत्त और सेवारत लेखा अधिकारियों तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिए प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू करेगा। हम 2018-19 में 5000 प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षकों का एक समुदाय केडर बनाने की उम्मीद करते हैं।

इसी तरह सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मार्गदर्शन में सामाजिक लेखा परीक्षा के लेखा परीक्षा मानक को पहली बार अधिसूचित किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई की साझेदारी में जिला, प्रखंड और ग्राम-स्तरीय संसाधन व्यक्तियों के लिए उचित प्रमाणपत्र कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। औपचारिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम कराने के बाद सामाजिक लेखा परीक्षकों के रूप में महिला स्वयंसहायता समूहों के सदस्यों को तैयार करने के लिए नीतिगत फैसला लिया गया है। हम 2018-19 में महिला एसएचजी से लिए गए 50,000 सामाजिक लेखा परीक्षकों के एक समुदाय केडर के निर्माण की उम्मीद करते हैं। इससे विभिन्न विभागों में ग्रामीण विकास पहल में बड़े पैमाने पर सामाजिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयंसहायता समूहों के करीब 4.7 करोड़ सदस्यों के डाटाबेस को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है। इसके अलावा, मिशन के मुख्य निष्पादन संकेतकों पर असंबद्ध ब्लॉक-स्तर की रिपोर्ट भी उपलब्ध हैं। अप्रैल 2017 में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने एसएचजी सदस्य-स्तर के लेनदेन पर कब्जा करने के लिए एक लेन-देन आधारित एमआईएस लांच किया है। 25 राज्यों के 1400 ब्लॉकों में यह व्यवस्था पहले से ही शुरू हो चुकी है। यह एमआईएस, जो सार्वजनिक डोमेन में भी है, परियोजना प्रबंधन और सामुदायिक सदस्यों को वास्तविक समय के आधार पर एसएचजी और उनके फेडरेशनों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी पर एक सलाहकार समूह भी स्थापित किया गया है, ताकि साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके और कानून के अनुपालन, सुरक्षा और सभी आईटी आधारित भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फील्ड यूनिटों का फोरेंसिक ऑडिट किया जा सके।

राज्यों में कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन करने के लिए, विभाग ने सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) की एक प्रणाली शुरू की है। हर साल सीआरएम के तहत कुल 32 स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा आठ राज्यों का दौरा किया जाता है। टीम प्रत्येक राज्य में दो जिलों का दौरा करती है और मंत्रालय को यह फीडबैक देती है कि हमारे कार्यक्रम क्षेत्रीय-स्तर पर कैसे क्रियान्वित हो रहे हैं। पिछले

तीन वर्षों में अब तक तीन सीआरएम हुए हैं और उनके निष्कर्षों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के जवाबदेही ढांचे में और सुधार करने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया है।

ग्रामीण विकास विभाग ने एक छोटा-सा आंतरिक लेखा परीक्षा विंग भी स्थापित किया है, जो समय-समय पर वित्तीय प्रणाली का सत्यापन करता है और वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। ऑनलाइन प्रक्रिया और आंतरिक लेखा परीक्षा के विश्लेषण के लिए 'ग्रिप' नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है और इसका उपयोग मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए किया जा रहा है।

उपरोक्त सभी प्रणालियों के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का राज्यों की भागीदारी में एक बेहद मजबूत जवाबदेही ढांचा है। इसने रिकॉर्ड रखने, सार्वजनिक सूचना और नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली की पारदर्शी व्यवस्था को अपनाने में मदद की है। ग्रामीण विकास विभाग को उम्मीद है कि ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित रिकॉर्ड के समय-समय पर सार्वजनिक रूप से अद्यतन किए जाने के साथ ग्राम पंचायत-स्तर कार्यक्रम संचालित करने से ये प्रक्रियाएं और मजबूत होंगी। जवाबदेही को और मजबूत बनाने के लिए रिकॉर्ड रजिस्टर, सामुदायिक सूचना बोर्डों, वित्तीय विवरण आदि के साथ 'लोगो' के उपयोग को सरल बनाने के लिए समय-समय पर सुधार किया जा रहा है।

2.43 करोड़ से अधिक मनरेगा परिसंपत्ति और विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन सभी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के घरों का जियो टैगिंग किया गया और वे सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह व्यापक रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।

जिला-स्तर पर प्रमुख प्राथमिकता कार्यक्रमों में प्रगति की निगरानी में सुधार करने के लिए पिछले वर्ष माननीय सांसदों की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (संक्षेप में जिसे 'दिशा' कहा जाता है) का गठन किया गया। राज्य और स्थानीय शासन के प्रतिनिधि भी इस समिति का हिस्सा होते हैं। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 'दिशा' समिति की हर तिमाही में बैठक होनी चाहिए। प्रगति की प्रभावी निगरानी को उपलब्ध कराने के लिए दिशा पोर्टल विकसित किया गया है, जहां ग्राम पंचायत-स्तर पर प्रगति का जायजा लिया जा सकता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कहां ज्यादा ध्यान देने और समर्थन की जरूरत है। नौ कार्यक्रम पहले से ही दिशा पोर्टल के बोर्ड पर हैं और सभी चालीस प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को उसके बोर्ड पर लाने का काम चल रहा है। इससे बेहतर और ज्यादा सार्थक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी में सुधार करने में काफी मदद मिलेगी।

(लेखक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव हैं।)
ई-मेल : secyrd@nic.in

बजट 2018–19 के मुख्य अंश

- आम बजट कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के मिशन से निर्देशित।
- किसानों की आय को दोगुना करना— अधिकतर रबी फसलों की ही तरह सभी अघोषित खरीफ फसलों की एमएसपी उनकी उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगी;
- संस्थागत कृषि ऋण वर्ष 2014–15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 11 लाख करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के अंतर्गत सिंचाई से वंचित 96 जिलों को 2600 करोड़ रुपये का आवंटन।
- 86 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा होगी। इससे 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित एवं उन्नत किया जाएगा।
- किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए 'ऑपरेशन ग्रींस' लांच किया गया।
- मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोषों की घोषणा।
- पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1,290 करोड़ रुपये का आवंटन।
- महिला स्वयंसहायता समूहों को मिलने वाली ऋण राशि को पिछले साल के 42,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 75,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- निम्न एवं मध्यम वर्ग को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, बिजली और शौचालय सुलभ कराने हेतु उज्ज्वला, सौभाग्य और स्वच्छ मिशन के लिए अधिक लक्ष्य तय।
- उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले ये लक्ष्य 5 करोड़ रखा गया था।
- सौभाग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 16000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिए परिव्यय 1.38 लाख करोड़ रुपये होगा।
- जनजातीय विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 तक हर जनजातीय ब्लॉक में एकलव्य आवासीय स्कूल होगा। अनुसूचित जातियों के लोगों से जुड़े कल्याण कोष को बढ़ावा।
- द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी के इलाज के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की सीमा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई है, जिसके दायरे में 10 करोड़ से भी अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को लाया जाएगा।
- राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तय किया गया, यह 2018–19 में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और बुनियादी ढांचे के सृजन पर 2018–19 में 14.34 लाख करोड़ रुपये का व्यय।
- प्री-नर्सरी से कक्षा 12वीं तक शिक्षा समग्र होगी। आगामी चार वर्षों के दौरान शोध और बुनियादी क्षेत्र के लिए दस लाख करोड़ रुपये की पहल।



वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली 1 फरवरी, 2018 को आम बजट 2018–19 पेश करने के लिए जाते हुए

किसान कल्याण और कृषि विकास से नए भारत का निर्माण

—डॉ. जगदीप सक्सेना

भारत सरकार की नए भारत के विकास की रणनीति में किसानों और कृषि को अहम स्थान दिया गया है और 'सक्षम किसान-समृद्ध भारत' की कल्पना की गई है। भारत की सामाजिक-आर्थिक दशा को देखते हुए यह एक तर्कसंगत और प्रभावी सोच है, क्योंकि देश की लगभग आधी आबादी आज भी खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि को अधिक कुशल, अधिक लाभदायक और सतत् बनाने के लिए बजट में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि भारत सरकार ने सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का संकल्प लिया है।

इस साल पहली फरवरी को संसद में प्रस्तुत भारत सरकार के आम बजट (2018-19) पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे गांव, गरीब एवं किसान को समर्पित बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न्यू इंडिया की नींव को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दरअसल भारत सरकार की नए भारत के विकास की रणनीति में किसानों और कृषि को अहम स्थान दिया गया है और 'सक्षम किसान-समृद्ध भारत' की कल्पना की गई है। कृषि को अधिक कुशल, अधिक लाभदायक और सतत् बनाने के लिए बजट में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि भारत सरकार ने सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का संकल्प लिया। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में किसानों और कृषि के प्रति सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम कृषि को एक उद्यम के रूप में देख रहे हैं और हमारा प्रयास है कि किसान अपनी उसी भूमि से कम लागत पर अधिक उत्पादन करें और उसे उपज की अच्छी कीमत भी मिले। इसके साथ ही किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए खेत पर तथा खेत से इतर रोजगार के लाभदायक अवसर उत्पन्न करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान किसानों की मेहनत और लगन के कारण देश में खाद्यान्नों का लगभग 27.5 करोड़ टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जबकि लगभग 30 करोड़ टन फल और सब्जी उपजाए गए। बजट में कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए आवश्यक लगभग सभी पहलुओं पर नई योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए जोर दिया गया है। बजट में उपयुक्त और कुशल प्रौद्योगिकी का विकास; व्यावहारिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का जमीनी-स्तर पर क्रियान्वयन; नए संस्थानों का निर्माण और विकास; तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास द्वारा देश में समग्र कृषि विकास एवं कृषक समृद्धि की मजबूत नींव रखने का काम किया गया है।

छोटे किसानों की बदलेगी तकदीर

इस दिशा में पहला और आवश्यक कदम उठाते हुए इस वर्ष कृषि क्षेत्र के बजट आवंटन में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे

58,080 करोड़ रुपये किया गया। इसके साथ ही कुछ विशेष क्षेत्रों में कॉर्पस फंड के जरिए सहायता राशि का आवंटन किया जा रहा है। जैसे सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए 5,000 करोड़ रुपये (वर्ष 2017-20) और डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना कोष के लिए 10,881 करोड़ रुपये (2017-20)। इस वर्ष के बजट में दो नए कोषों के लिए आवंटन किया गया है— कृषि बाजार अवसंरचना कोष (2,000 करोड़ रुपये) और मात्स्यिकी तथा जल संवर्धन और पशुपालन के लिए संयुक्त रूप से अवसंरचना विकास कोष (10,000 करोड़ रुपये)। कृषि बाजार अवसंरचना कोष का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजार की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराकर किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलाना है। दरअसल हमारे देश में अभी भी लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटे एवं सीमांत वर्ग से आते हैं, जो बड़ी कृषि मंडियों (एपीएमसी) और अन्य थोक बाजारों से सीधे लेन-देन में सक्षम नहीं होते। बिचौलिये इसका फायदा उठाकर उनसे औने-पौने भाव में उपज खरीद लेते हैं। इसलिए

कृषि

- किसानों को उनकी उत्पादन लागत का कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मिलेगा।
- अधिकतर रबी फसलों के लिए उत्पादन लागत में 1.5 गुना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
- 86 प्रतिशत किसानों की मदद करने तथा बाजार सुविधाओं तक उनकी पहुंच बनाने के लिए 22,000 ग्रामीण हार्टों का ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम्स) के रूप में विकास तथा उन्नयन।
- मत्स्य-पालन तथा पशुपालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड।



#NewIndiaBudget



सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार ('ग्राम') के रूप में उन्नत और विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। इन बाजारों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 'मनरेगा' तथा अन्य सरकारी योजनाओं की सहायता ली जाएगी और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार ('ई-नाम') से जोड़ा जाएगा। एक नीतिगत फैसला करते हुए सरकार ने 'ग्राम' को एपीएमसी के नियमों से मुक्त करने का प्रावधान भी किया है। इससे किसान अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को बेच सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के साथ ग्रामीण कृषि बाजारों को पक्की सड़कों से जोड़ने की भी व्यवस्था कर सरकार ने इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है।

इसी तरह मात्स्यिकी तथा पशुपालन संबंधी कोष से राज्य सरकारों, सहकारी संगठनों और निजी-स्तर पर कार्य कर रहे निवेशकों को इस सेक्टर में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मछली संग्रहण केंद्रों, शीत भंडारगृहों, प्रसंस्करण इकाइयों और परिवहन सुविधाओं के विकास को बल मिलेगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि नए बजट प्रावधानों के अनुसार अब पशुपालन और मात्स्यिकी में संलग्न किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं मिलेंगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ होगा। खेती-किसानी के समय पर और उचित दर पर ऋण मिलना किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा है। इस सुविधा के दायरे को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के कुल क्रेडिट प्रावधान को पिछले वर्ष के 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस संदर्भ में सरकार ने एक विशेष पहल करते हुए उन करोड़ों किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाया है, जो बंटाई पर या खेत को किराए पर लेकर खेती करते हैं। दरअसल भूमि पर अधिकार ना होने के कारण इन किसानों को संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता और ये साहूकार या महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं। इस बजट में इस समस्या को दूर करने के लिए 'मॉडल लैंड लाइसेंस कल्टीवेटर एक्ट' की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत अब इन्हें भी संस्थागत ऋण का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए नीति आयोग और राज्य सरकारें आपस में विचार-विमर्श करके जरूरी प्रक्रियाओं को तय करेंगे।

ऑपरेशन ग्रींस का सुरक्षा कवच

हमारे देश में टमाटर, आलू और प्याज, तीन ऐसी प्रमुख कृषि जिंसें या सब्जियां हैं, जिनकी बाजार मांग साल भर बनी रहती है, लेकिन इनके उत्पादन में क्षेत्रीय-स्तर पर और मौसम के अनुसार काफी विभिन्नता रहती है। इसलिए वर्ष के दौरान इनकी बाजार कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को आता है, जिसका नुकसान कभी किसान को तो कभी उपभोक्ता को झेलना पड़ता है। जबकि सरकार चाहती है कि किसान को उसकी उपज की उचित कीमत मिले और उपभोक्ताओं को भी कीमतों में अचानक

कृषि

- ग्राम/ग्रामीण हाट तथा 585 ई-नाम केंद्रों के लिए 2000 करोड़ रुपये का कृषि बाजार अवसंरचना कोष।
- बड़े समूहों में एफपीओ कृषक उत्पादक संगठन तथा ग्राम उत्पादक संगठन को प्रोत्साहन।
- किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए टमाटर, प्याज और आलू में मूल्य अस्थिरता में निपटने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन्स' शुरू किया जाएगा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आवंटन को दोगुना किया गया।

#NewIndiaBudget

वृद्धि की पीड़ा ना झेलनी पड़े। इसके लिए सरकार ने 'ऑपरेशन ग्रींस' के नाम से एक विशेष योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसे 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर संचालित करने की नीति बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों, कृषि से जुड़ी सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे मूल्य में स्थिरता आएगी। जमीनी स्तर पर इस योजना की कामयाबी अनेक सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक कारणों पर निर्भर करती है, परंतु इसकी सफलता निःसंदेह भारतीय कृषि में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी।

इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र का विकास भी किसानों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं, तीनों के हितों को साधने वाला है और इस समय इस क्षेत्र में आठ प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने और बुनियादी संरचनाओं के विकास के लिए बीते वित्तीय वर्ष में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना लागू की गई, जिसके लिए 715 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। परंतु इसके महत्व को देखते हुए इस वर्ष इसका बजट आवंटन लगभग दुगुना करके 1400 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने विशेष कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी की है। खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात की संभावनाओं के बीच लगभग सीधे संबंध को देखते हुए सरकार ने एक ऐसी संस्थागत प्रणाली के विकास का प्रस्ताव दिया है, जिससे 2022-23 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को हासिल किया जाना संभव होगा। इसके लिए देश भर में स्थापित किए जा रहे 42 मेगा फूड पार्कों को आधुनिक सुविधाओं से



उन्नत बनाया जा रहा है और विदेशी बाजारों को लक्ष्य करते हुए आधुनिक परीक्षण सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं। सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय मिलकर एक ऐसी संस्थागत प्रक्रिया विकसित करेंगे, जिससे किसान को उसकी उपज की कटाई के समय मिलने वाली बाजार कीमत का अनुमान लग सके। किसान अपनी उपज को औने-पौने भाव पर बेचने के लिए विवश ना हो, इसके लिए भंडारण क्षमताओं के विकास और प्रसार पर भी जोर देने का प्रावधान किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने का काम एक स्वतंत्र कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। इसके लिए कुछ मापदंड या पैरामीटर तय किए गए हैं। भारत सरकार ने जिस मापदंड पर एमएसपी तय करने का प्रावधान किया है, उसे ए-2 एफएल कहा जाता है। इसके तहत कृषि लागत में वो सभी खर्च शामिल किए जाते हैं, जो किसान अपनी जेब से करता है, जैसे बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक व अन्य दवाएं, ईंधन, सिंचाई और मजदूरी। इसके साथ किसान और उसके परिवार द्वारा किए गए श्रम को इस खर्च में शामिल किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कुल लागत पर 50 प्रतिशत का लाभ देकर एमएसपी तय किए जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कृषि विशेषज्ञों का आग्रह है कि कृषि लागत का आकलन 'सी-2' मापदंड से किया जाए, जिसमें भूमि का किराया और किसान की पूंजी पर ब्याज को भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा एमएसपी तय करने की प्रक्रिया में एक पेंच यह भी है कि आयोग द्वारा फसल की मांग-आपूर्ति की दशा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तथा अन्य व्यावसायिक पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता।

एक महत्वपूर्ण पक्ष और भी है। देखा गया है कि कई बार सरकारी नीतियों और प्रोत्साहन के कारण किसी फसल का

उत्पादन मांग से कई गुना ज्यादा हो जाता है, जिससे बाजार कीमतें एमएसपी से कहीं कम स्तर पर पहुंच जाती हैं। इस दशा में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को इस विपदा से सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने नीति आयोग को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके एक दोषरहित और प्रभावी प्रक्रिया विकसित की जाए। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आठ कृषि जिंसों के लिए लागू 'भावान्तर भुगतान योजना' एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। इसके अंतर्गत समुचित वित्तीय सहायता देकर कम बाजार कीमतों का प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाता। इस योजना को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य रास्ते भी हो सकते हैं, जिन पर नीति आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। पूरी आशा है कि जल्दी ही इस समस्या का एक व्यावहारिक और कारगर समाधान हमारे सामने होगा।

कृषि विविधीकरण से समृद्धि

केवल परंपरागत कृषि फसलों की खेती पर निर्भर रहने से किसानों की आमदनी में सार्थक वृद्धि की संभावना बहुत कम है। इसलिए बजट में अन्य लाभदायक फसलों की कृषि और विपणन को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे उल्लेखनीय है विशेष रूप से बागवानी फसलों के लिए अपनाए जाने वाली 'क्लस्टर बेस्ड अप्रोच'। दरअसल हमारे देश के अनेक क्षेत्र या जिले अपनी विशिष्ट फसलों के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु इसके लिए उन्हें अभी तक कोई विशेष सुविधा नहीं मिली है, जिससे किसान इनकी खेती से विमुख होते जा रहे हैं। 'क्लस्टर' विचारधारा के अंतर्गत जिले के विशिष्ट कृषि उत्पादों को पहचानकर उनकी खेती को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे उद्योगों के क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत किसी बागवानी फसल को पहचान कर उसके उत्पादन से लेकर विपणन तक की श्रृंखला को विकसित किया जाएगा। इससे उस जिले को भी विशेष पहचान हासिल हो। बजट प्रस्ताव

बजट 2018-19

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

'ऑपरेशन ग्रींस'

- ❖ जल्दी खराब होने वाले उत्पादों जैसे आलू, प्याज, टमाटर के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन फलड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रींस
- ❖ कृषक उत्पाद संगठनों (FPOs), कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा
- ❖ आवंटन : 500 करोड़ रुपये

के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपनी योजनाओं में 'क्लस्टर' विचारधारा के अनुसार बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू करेगा और इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण, वाणिज्य और अन्य संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श भी करेगा ताकि एक प्रभावी तथा ठोस नीति बनाकर इस विचारधारा को जमीनी-स्तर पर कामयाबी से लागू किया जा सके। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्राम उत्पादक संगठनों (वीपीओ) को बड़े क्लस्टर (प्रत्येक 1,000 हेक्टेयर) में आर्गेनिक खेती करने के लिए आवश्यक सहायता व सुविधाएं देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्वयंसहायता समूहों को भी आर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है। एफपीओ के संदर्भ में बजट में एक बेहद स्वागत योग्य कदम उठाया गया है। दरअसल अभी तक सहकारी संगठनों को आयकर में छूट मिला करती थी, परंतु सहकारी मॉडल पर काम करने वाले एफपीओ इस लाभ से वंचित थे। सरकार ने बजट में प्रावधान करके अब इन्हें भी आयकर से मुक्त कर दिया है। परंतु यह छूट 100 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले एफपीओ पर लागू होगी। आशा है कि इस कदम से अनेक स्टार्टअप द्वारा एफपीओ को उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका लाभ अंततः किसानों को मिलेगा।

औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा

कृषि विविधीकरण के अंतर्गत औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती और इससे संबंधित उद्योगों, जैसे इत्र, आवश्यक तेल आदि को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। इस उद्यम को किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले एक प्रमुख माध्यम के रूप में देखा गया है। इन विशेष पौधों की संगठित खेती और इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन को एक नई दिशा इसी क्रम में बांस को भी यथोचित महत्व देते हुए नई ऊर्जा देने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 1290 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले ही गैर-वन क्षेत्र में उगाए जा रहे बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया है। इससे अब बांस को वे सभी लाभ मिलने के रास्ते खुल गए हैं, जो आमतौर पर फसलों को मिला करते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस उत्पादकों को जरूरी सुविधाएं और 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की व्यवस्था की जा रही है। इससे एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती का विस्तार किया जा सकेगा। खेती के साथ ही बांस से विभिन्न उत्पाद बनाने को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें निर्यात भी शामिल है।

हर खेत को पानी

खेतों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार 'हर खेत को पानी' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में निश्चित वृद्धि

सरकार द्वारा एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद एक ऐसी देशव्यापी प्रक्रिया है, जिस



पर अधिकांश किसान अपनी आमदनी के लिए निर्भर रहते हैं। इसलिए इसे किसानों की आमदनी बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। अपने संकल्प और वायदे को निभाते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक अहम निर्णय लेकर तय किया है कि विभिन्न कृषि जिनसों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत का लाभ देकर अधिक एमएसपी दिया जाए। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसी दर पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी और किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अभी तक केवल मुख्य रबी फसलों, जैसे गेहूं, जौ, चना और मसूर पर ही इस बढ़ी दर से एमएसपी देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बजट में की गई घोषणा के अनुसार अब सभी 23 फसलों पर नई दर से एमएसपी दिया जाएगा, जिसमें खरीफ की फसलें शामिल हैं। खरीफ की फसलें गर्मी में बोयी जाती हैं और इनके लिए एमएसपी की घोषणा जून में की जाती है, जिससे किसानों को पता रहे कि उन्हें फसल की क्या कीमत मिलने वाली है। इनकी सरकारी खरीद अक्टूबर में शुरू होती है।

इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए जा रहे हैं जिनके बेहतर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस वर्ष के बजट में सरकार ने पूर्व में गठित दीर्घावधि सिंचाई कोष को विस्तार दिया है। यह कोष पिछले दो वर्षों से 'नाबार्ड' द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसकी सहायता से सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों की वित्त संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। इस बजट में इसके दायरे को बढ़ाकर विशिष्ट कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। भूजल के उपयोग को सुनिश्चित और तर्कसंगत बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2600 करोड़ रुपये की निधि से एक नई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इस योजना को 30 प्रतिशत से भी कम

सिंचाई सुविधा वाले 96 जिलों में लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के बजट में सूक्ष्म सिंचाई निधि का गठन किया गया था, जिसके सफल संचालन से सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

भारत सरकार कृषि में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को लेकर सजग है और इसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बजट में 1.4 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत से एक महत्वाकांक्षी 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए वर्ष 2018-19 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत गांव और इसके आसपास पड़ी किसानों की बंजर भूमि पर सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी शुरुआती क्षमता 10,000 मेगावॉट होगी और इसी क्रम में 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड कृषि सोलर पंप भी लगाए जाएंगे। इससे किसान ग्रिड को सोलर बिजली बेचकर बंजर भूमि से अतिरिक्त आमदनी कर सकेंगे और फसलों की सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी होगी। किसानों को 30 प्रतिशत लागत बैंक से आसान ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। इस तरह किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि ही अपने साधनों से खर्च करनी होगी।

कुसुम योजना

सरकार एक तरफ सबको 24 घंटे स्वच्छ और सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तो दूसरी तरफ किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में सरकार किसानों के लिए कुसुम योजना लेकर के आई है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के उपरांत उन्हें अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाएगा जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हो सकेगी। योजना पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उसके संभावित सकारात्मक अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं—

- विकेंद्रित सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन
- संप्रेषण नुकसान में कमी
- कृषि क्षेत्र के सब्सिडी भार को कम करके बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय समर्थन
- आरपीओ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को समर्थन
- ऑफ ग्रिड और ग्रिड से जुड़े सौर जल पंपों के माध्यम से निश्चित जल संसाधन जुटा कर किसानों को जल सुरक्षा प्रदान करना
- राज्य सिंचाई विभागों की सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए विश्वसनीय रूप से ऊर्जा प्रदान करना
- रूफटॉप तथा बड़े पाकों के बीच माध्यमिक दायरे में सौर बिजली उत्पादन की रिक्तता को भरना।



- सौर वाटर पंपों में अधिशेष विद्युत की खरीद के लिए एक तंत्र लाया जाएगा।
- मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन एवं जल कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफएआईडीएफ) तथा पशुपालन के लिए पशुपालन अवसंरचना कोष (एएचआईडीएफ) की स्थापना।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर क्रांति को साकार करने में सहायता करेगी।

गांवों में ऊर्जा की उपलब्धता और स्वच्छता मिशन को एक सूत्र में जोड़कर 'गोबर-धन' (गैलवेनाइजिंग आर्गैनिक बायो एग्रोरिसोर्स धन) नामक योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत गांवों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पशुओं के गोबर और ठोस कचरे को कम्पोस्ट, उर्वरक, बायोगैस तथा बायो-सीएनजी जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। इससे गांवों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने में मदद मिलेगी और किसानों को स्थानीय साधनों से ऊर्जा सुलभ होगी।

हाल में राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जाहिर की गई है और इसका एक प्रमुख कारण अड़ोस-पड़ोस के राज्यों के किसानों द्वारा धान की पराली को जलाना बताया गया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए वर्तमान बजट में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रदूषण-निवारण प्रयासों को सहायता देने की योजना प्रस्तावित की है। इसके तहत फसल अवशेषों के स्वच्छ और कुशल निपटान के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

कुल मिलाकर भारत सरकार का वर्तमान बजट किसानों के लिए समृद्धि और खुशहाली का संदेश लेकर आया है और इसमें कृषि तथा किसानों के कल्याण के लिए किए गए अनेक प्रावधान दर्शाते हैं कि भारत सरकार सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक (हिंदी) रह चुके हैं।)

ई-मेल : jgdsaxena@gmail.com

मूल्य संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा

—एम एस स्वामीनाथन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों और बाकी फसलों को शामिल करने का प्रावधान मुहैया कराता है। मीडिया में हाल ही में आई एक रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में रबी और मोटे अनाज की बुआई के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह की फसलों में दिलचस्पी बहाल करने में वाजिब कीमत और बड़े पैमाने पर खरीद अहम है। कर्नाटक सरकार ने 1 लाख टन रागी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है। अगर इसकी खरीद और खपत में तेजी आती है, तो किसान इसका और उत्पादन करेंगे।

भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है, जिसने संसदीय कानून के जरिए हर जरूरतमंद घर के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। वैसे यह इंतजाम घरेलू इकाइयों के लिए पक्का किया गया है, लेकिन भूख से निपटने के लिए सामाजिक सहयोग की जरूरत है।

देश में भूख और कुपोषण व्यापक-स्तर पर फैला हुआ है। नतीजतन, हमारे बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को अपने शारीरिक और मानसिक विकास की जैविक संभावनाओं को विकसित करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता है। इस बजट और इसके आगे के घटनाक्रम के आधार पर मैं वैसे उन कुछ क्षेत्रों में काम करने की सिफारिश करता हूँ, जहाँ वित्तीय और वैज्ञानिक दोनों तौर पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है।

कीमतों में अस्थिरता

हमारे किसान बड़े पैमाने पर कीमतों में अस्थिरता को झेलते हैं, जिससे उनकी आमदनी और स्थिरता पर असर पड़ता है। खासतौर पर आलू, टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों की कीमतों के मामले में ऐसा होता है। कीमतों में उतार-चढ़ाव का मामला सतत समस्या रही है। हमें सिर्फ उपभोक्ताओं को शांत करने के लिए तदर्थ कदमों के बजाय स्थायी समाधान ढूँढ़ना चाहिए। एक व्यावहारिक तरीका शहरी बागवानी को बढ़ावा देना है। शहरों के भीतर और आसपास के इलाकों में जमीन का पर्याप्त रकबा उपलब्ध है और इनका इस्तेमाल चारों ओर बागवानी आंदोलन को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। इसमें छतों पर बागवानी और खाली पड़ी जमीनों पर टमाटर, प्याज, मिर्च और खाने-पाने से जुड़े जरूरी पौधे शामिल कर सकते हैं। इससे दोहरा फायदा होगा—एक तो कीमतों में स्थिरता आएगी और दूसरे

टिकाऊ पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

तटीय इलाकों की समृद्धि के लिए खेती

भारत में तकरीबन 8,000 किलोमीटर में तटीय इलाके फैले हुए हैं और समुद्री पानी वाली खेती के बड़े मौके हैं। यह खेती फिलहाल मुख्य रूप से केरल के कुट्टनाद इलाके में की जाती है। फसलों और मछली पालन दोनों को समुद्री पानी वाले एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। वैश्विक-स्तर पर 97 फीसदी पानी समुद्री जल है और भारत को यह दिखाने में अगुवा बनना चाहिए कि किस तरह से कई फसलों की खेती में समुद्री पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे तटीय खेती के किसानों की आय बढ़ेगी और इसे सुनामी जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा। समुद्री पानी से जुड़ी खेती और समुद्री-स्तर के नीचे वाली खेती के लिए तकनीक एम एस स्वामीनाथन शोध फाउंडेशन के पास उपलब्ध है। यह फाउंडेशन इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण



के काम को अंजाम देगा। इस कार्यक्रम में मैनग्रोव के संरक्षण और नमक बर्दाश्त करने वाली बाकी प्रजातियों का संरक्षण शामिल है। इस मकसद के लिए हैलफाइट का जैविक बगीचा तैयार किया गया है।

मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष

भारत सरकार ने 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय साल घोषित किया है। समई, थिनाई, केजवरागू, कंबू और कुछ अन्य मोटे अनाजों की खेती में तमिलनाडु अगुवा राज्य है। कोल्ली की पहाड़ियों में इस तरह के मोटे अनाजों के लिए पर्याप्त जर्मप्लाज्म हैं। लिहाजा, मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए जैव घाटी को तैयार करना उपयोगी होगा। यह न सिर्फ कोल्ली की पहाड़ियों को कवर करेगी बल्कि इससे नमक्कल, सलेम आदि इलाके इसके दायरे में आएंगे। यहां फिर से तमिलनाडु मोटे अनाजों के पोषक और पारिस्थिक मूल्यों के प्रदर्शन में अगुवा बनेगा। इस तरह के कार्यक्रम में कई तरह के छोटे खाद्य उद्योग भी होने चाहिए, जो नाश्ते से जुड़े प्रसंस्करित मोटे अनाजों की व्यापक किस्मों पर आधारित हैं।

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण

मैं एक बिल की कॉपी के बारे में बता रहा हूँ, जिसे मैंने कृषि



में महिलाओं के प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण के मकसद से पेश किया था। खेती में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसके कुछ फीचर्स तमिलनाडु कानून में शामिल किए जा सकते हैं। तमिलनाडु फिर से खेती में लैंगिक समानता बढ़ाने में अग्रणी राज्य हो जाएगा।

पशुपालन और मछली पालन

किसान क्रेडिट कार्ड न सिर्फ फसलों की खेती से जुड़े लोगों को बल्कि मछली पालन, पोल्ट्री और समुद्री खेती को बढ़ावा देने के लिए भी मुहैया कराए जाने चाहिए। बकरी-भेड़ पालन और पोल्ट्री उत्पादों जैसे कामों से किसानों की अतिरिक्त आमदनी में पर्याप्त बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ऐसे सीजन में मछुआरा परिवारों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है, जब पुनरुत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने पर रोक है।

चावल जैव पार्क

यह पार्क किसानों को यह दिखाएगा कि बायोमास उपयोग के जरिए किस तरह से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की जाए। लिहाजा, चावल के पुआल, भुस्सी और दानों से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार किए जाएंगे। दालों के मामले में भी इस तरह के जैवपार्क तैयार किए जा सकते हैं। इससे किसानों को बायोमास के हर हिस्से से आमदनी और रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना

कम से कम हर प्रखंड स्तर पर पर्यावरण जोखिम प्रबंधन से जुड़े शोध और विकास के केंद्र तैयार करना जरूरी है। इस तरह के केंद्रों को प्रशिक्षित पर्यावरण जोखिम प्रबंधकों द्वारा मदद दी जानी चाहिए और इसमें हर पंचायत से एक महिला और एक पुरुष होने चाहिए। पर्यावरण में बदलाव बड़ी आपदा का सबब बन सकता है और इसके शमन व इसके हिसाब से परिस्थिति तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। एमएसएसआरएफ के साथ प्रशिक्षण मैनुअल उपलब्ध है, जो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण अभियान को अंजाम दे सकता है।

कृषि स्कूलों की स्थापना

किसानों के बेहतरीन खेतों में मौजूद कृषि स्कूलों के जरिए एक किसान से दूसरे किसान के सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी तरह जमीन से जमीन का अभियान खेती में कौशल से जुड़े काम के फैलाव की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

पेरी (चौतरफा) शहरी बागवानी क्रांति


भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और शहरी इलाकों में खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या मुख्यतौर पर मांग-आपूर्ति में अंतर से बढ़ रही है। शहरी इलाकों में सब्जियों और फलों की कीमतों को स्थिर करने का एक तरीका जरूरी प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग सहयोग मुहैया कराकर पेरी (चौतरफा)-शहरी बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। मिसाल के तौर पर इजराइल की तर्ज पर उत्पादन के विकेंद्रीकरण को कोऑपरेटिव मार्केटिंग के जरिए अंजाम दिया जा सकता है। शहरी और पेरी-शहरी 'बागवानी क्रांति' उपभोक्ता के लिए और स्थिर कीमतों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। साथ ही,

हमें खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ऊंची रखने और इसे कीटनाशकों के अवशेषों से मुक्त रखना भी सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे में हम ऊंची गुणवत्ता वाली और सुरक्षित खाद्य सामग्री के साथ सप्लाय की स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। तमिलनाडु तेजी से शहरीकृत हो रहा है। शहरी आबादी खासतौर पर फल और सब्जियों की मांग करती है। लिहाजा, पेरी-शहरी कृषि कार्यक्रम प्रासंगिक है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों और बाकी फसलों को शामिल करने का प्रावधान मुहैया कराता है। मीडिया की एक हालिया रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में रबी और मोटे अनाज की बुआई के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

इस तरह की फसलों में दिलचस्पी बहाल करने में वाजिब कीमत और बड़े पैमाने पर खरीद अहम हैं। कर्नाटक सरकार ने एक लाख टन रागी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है। अगर इसकी खरीद और खपत में तेजी आती है, तो किसान इसका और उत्पादन करेंगे। 1992 से एमएसएसआरएफ तमिलनाडु की कोल्ली की पहाड़ियों और ओडिशा के कोरापुट में व्यावसायीकरण के और मौकों के जरिए छिटपुट मोटे अनाजों की बड़ी रेंज को बढ़ावा दे रही है। खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों को खाद्य बास्केट में शामिल किया गया है। अब यह पूरी तरह से जाना जाता है कि इस तरह के मोटे अनाज न सिर्फ पोषणकारी होते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी चुस्त हैं और वे बारिश के बंटवारे के लिहाज से ज्यादा लचीले हैं। सूखी खेती वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर इन पोषक और पर्यावरण के लिहाज से लचीले फसलों की बड़े पैमाने पर खेती सुनिश्चित करने के लिए हमें बड़ा बाजार भी पक्का करना पड़ेगा। सौभाग्य से रागी, बाजरा, ज्वार और कई अन्य मोटे अनाजों पर आधारित कई खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों का वजूद सामने आ रहा है। हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि खाद्य सुरक्षा कानून और स्कूल भोजन कार्यक्रम दोनों के तहत पोषणकारी मोटे अनाजों का पर्याप्त उपयोग हो सके। साथ ही, सरकार को इस तरह के फसलों को 'खराब दाना' करार देने का चलन बदलना चाहिए। इन फसलों को 'पर्यावरण के लिहाज से स्मार्ट पोषणकारी अनाज' कहा जाना चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र में यह भी प्रस्ताव करना चाहिए कि इस दशक के एक साल को कम उपयोग वाला और जैव-सुदृढ़ फसलों का साल घोषित किया जाए। अगला साल दालों का अंतरराष्ट्रीय साल है और दालें पर्यावरण के लिहाज से स्मार्ट और प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इस तरह की फसलों की खेती और खपत के लिए उपयुक्त नीतिगत समर्थन के जरिए कुपोषित महिलाओं और बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या वाले देश के तौर पर हमारी पहचान को खत्म करना मुमकिन होगा।

एक और तत्काल जरूरत इन 'अनाथ फसलों' के शोध पर बड़े



किसान अनुकूल #न्यू इंडिया बजट

- ग्रामीण विकास और कृषि हेतु 14.38 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत मूल्य का डेढ़ गुना
- 22 हजार ग्रामीण कृषि केंद्र किसानों को उनके उत्पाद बेचने में मदद करेंगे
- खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रींस
- कृषि के लिए संस्थागत ऋण बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये किया गया

निवेश की जरूरत है, ताकि उपज की संभावना में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सके। ऊंची उपज और सुनिश्चित मार्केटिंग से छोटे किसानों के लिए इन फसलों का आकर्षण बढ़ेगा।

चिंता की एक बात फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन की है। फिलहाल, उत्पादन और कटाई के बाद तकनीकों के बीच असमानता है, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान होता है। इसको ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करित उद्योगों की सख्त जरूरत है। खुशकिस्मती से 2018-19 के बजट में खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए अहम सहयोग मुहैया कराया गया है। कटाई के बाद की तकनीक में बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्धित उत्पादों को तैयार करना होगा। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की जरूरत है। अगर पंजाब और हरियाणा इलाके में कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध होते तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में हालिया आलू संकट को टाला जा सकता था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी खराब होने वाले कमोडिटीज के संरक्षण में किसानों की सहभागिता और प्रौद्योगिकी व सरकारी नीति इस असमानता को दूर करेगी।

नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन (फरवरी 2018) के हालिया अंक में एक सवाल उठा है- 'चीन को कौन खिलाएगा।' हमें यह भी सवाल पूछना है, 'भारत को कौन खिलाएगा।' दरअसल, हमें कम से कम जमीन से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना है। मौजूदा बजट ने इस असमानता को दूर करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(लेखक वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण एवं पद्म विभूषण सहित कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।)

ई-मेल : swami@mssrp.res.in

ग्रामीण नौजवानों के लिए कौशल विकास और रोजगार

—ए. सूजा

भारत के पास ऐसी विशाल जनशक्ति की चुनौती है जो अकुशल/अर्धकुशल है। इन्हें उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना अपने आप में बड़ी चुनौती है। आज देश के सामने इन लोगों को अत्यावधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षण देने और जो लोग पहले से रोजगार में हैं, उनके पहले के व्यावहारिक ज्ञान को मान्यता देने की चुनौती है।

15 अगस्त, 2017 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि भारत नौजवानों का देश है। सचमुच युवाओं की जनसंख्या की दृष्टि से आज भारत दुनिया में सबसे अधिक नौजवानों वाला देश बन गया है और जैसे-जैसे देश अपनी आजादी के 75वें साल में 2022 तक 'न्यू इंडिया' यानी नए भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो देश के युवाओं पर इस लंबी छलांग की जिम्मेदारी आ जाती है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार— 15-24 साल तक के नौजवानों को युवा कहा जाता है और ये वह उम्र है जब बच्चे अनिवार्य शिक्षा पूरी कर पहली बार रोजगार की तलाश में निकलते हैं। लेकिन भारत की राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में 15-29 साल तक के नौजवानों को युवा माना गया है और हमारी जनसंख्या में इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या 27.5 प्रतिशत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में युवा की परिभाषा ऐसे नौजवानों के रूप में की है जो 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में हैं जबकि श्रम ब्यूरो ने 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आने वालों को 'युवा' की श्रेणी में रखा है। वर्ष 2015-16 में ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की श्रमशक्ति प्रतिभागिता दर (एलएफपीआर) 48.5 प्रतिशत थी जबकि शहरी इलाकों में यह 36.2 प्रतिशत थी।

श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं का अनुपात 18-29 वर्ष के आयु वर्ग में बढ़ना शुरू हो जाता है। तालिका-1 में यह देखा जा सकता है कि 15-17 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 10 प्रतिशत बच्चे ही श्रम बाजार में पहुंच पाते हैं जबकि 18-29 साल के आयु वर्ग के 47.3 प्रतिशत लोग श्रम बाजार में आते हैं और इनमें भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इस आयु वर्ग के 67.5 प्रतिशत पुरुष रोजगार की तलाश में श्रम बाजार में पहुंचते हैं जबकि महिलाओं की संख्या 25 प्रतिशत होती है। हर साल श्रमशक्ति

में शामिल होने वाले 43.3 प्रतिशत युवाओं में से केवल 42.4 प्रतिशत श्रमशक्ति का निर्माण करते हैं। तालिका-1 से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की श्रमशक्ति प्रतिभागिता दर दुगुने से अधिक है। प्रवेश के स्तर पर (15-17 साल) बेरोजगारी की दर 13 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है जबकि नौजवानी के चरम वर्षों में यह घटकर 10.2 प्रतिशत पर आ जाती है और 30 वर्ष और इससे अधिक के सर्वोच्च उत्पादक सालों में बेरोजगारी की दर लगभग एक प्रतिशत से भी कम हो जाती है।

पिछले तीन वार्षिक सर्वेक्षणों में श्रम बाजार में युवाओं की भागीदारी की तुलना से पता चलता है कि पिछले सर्वेक्षण यानी 2015-16 में 2013-14 और 2012-13 की तुलना में 18-29 साल के आयु वर्ग में श्रमशक्ति और कार्यशक्ति की प्रतिभागिता दर में कमी आई। वर्ष 2013-14 के मुकाबले बेरोजगारी दर बढ़कर दहाई के स्तर पर पहुंच गई। (ग्राफ-1)।

युवाओं के शैक्षिक स्वरूप (तालिका-2) को देखने से पता चलता है कि जिन लोगों में साक्षरता का स्तर प्राथमिक से कम का है उनमें से करीब 50 प्रतिशत की गिनती तो श्रमशक्ति में भी नहीं की जाती। सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम स्तर की शैक्षिक योग्यता वालों की तादाद 60 प्रतिशत से अधिक है। युवाओं के छूटने की ऊंची दर निश्चय ही चिंता का विषय है। उच्च शिक्षा

प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की उच्च दर से शिक्षा/कौशल प्रदान करने की गुणवत्ता के मुद्दे पर सवाल खड़े होते हैं। क्या हमारी शिक्षा युवाओं की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता का ध्यान रखती है या फिर उपलब्ध रोजगार युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह के रोजगार युवा चाहते हैं, उनकी कमी हो। ये तीनों ही संभावनाएं अलग-अलग परिमाण में युवाओं के श्रमशक्ति का अंग बनने से रह जाने का कारण हो सकती हैं।

युवाओं के स्थानिक वितरण (तालिका-3) से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत और शहरी



#न्यू इंडिया बजट नए अवसरों के लिए

- मुद्रा योजना के तहत ऋण का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया
- अगले तीन वर्षों तक सरकार सभी क्षेत्रों के नए कर्मचारियों के वेतन पर 12 प्रतिशत ईपीएफ का योगदान देगी
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना के तहत 50 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा
- 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए टैक्स दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की गई



तालिका-1 : युवा जनसंख्या के बारे में श्रम बाजार के संकेतक (प्रतिशत में) यूपीएसएस के अनुसार

संकेतक	15-17 वर्ष			18-29 वर्ष			30 वर्ष और अधिक		
	पुरुष	स्त्री	P	पुरुष	स्त्री	P	पुरुष	स्त्री	P
एलएफपीआर	13.1	6.2	10.0	67.5	25.0	47.3	88.1	31.1	60.3
डब्ल्यूपीआर	11.4	5.4	8.7	61.6	21.3	42.4	87.7	30.4	59.7
यूआर	12.6	13.7	13.0	8.7	14.6	10.2	0.5	2.2	0.9

नोट : एलएफपीआर – श्रम शक्ति प्रतिभागिता दर, डब्ल्यूपीआर – श्रमिक व जनसंख्या अनुपात, यूआर – बेरोजगारी दर, यूपीएसएस : सामान्य सिद्धांत और अनुशंगी स्थिति

(स्रोत : युवा रोजगार-बेरोजगारी परिदृश्य 2015-16, खंड 2, श्रम ब्यूरो)

इलाकों में 70 प्रतिशत युवा श्रमशक्ति से बाहर हैं।

भारत में 30 साल और इससे अधिक आयु वर्ग की 38.9 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 48.8 प्रतिशत शहरी आबादी श्रमशक्ति के दायरे से बाहर है। इसे ध्यान में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि 18 से 29 के आयु वर्ग में आने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा, जो श्रमशक्ति के दायरे से बाहर है, पढ़ाई में ही संलग्न होगा।

18-29 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले 42.4 प्रतिशत लोगों में से 39 प्रतिशत स्वरोजगार में संलग्न थे, 36.6 प्रतिशत आकस्मिक मजदूरी कर रहे थे, 5.4 प्रतिशत अनुबंध पर थे और केवल 19 प्रतिशत वेतन/पगार पर काम करते थे। व्यवसाय के अनुसार करीब 38.1 प्रतिशत युवा कृषि और उससे संबंध गतिविधियों में लगे थे जबकि 19.4 प्रतिशत व्यापार, अनुरक्षण, परिवहन, भंडारण, संचार, खाद्य सेवाओं आदि में संलग्न थे। इसके अलावा 15.1 प्रतिशत निर्माण गतिविधियों में लगे थे।

देश में 14 से 18 साल के बच्चों के बारे में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार यह पाया गया है कि इस आयु वर्ग में से ज्यादातर बच्चे कामकाज में संलग्न थे चाहे वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या नहीं। इनमें से 79 प्रतिशत अपने माता-पिता के खेतों में काम करते थे और तकरीबन तीन चौथाई युवा रोजगार की गतिविधियों में संलग्न थे और इनमें से 77 प्रतिशत पुरुष और 89 प्रतिशत महिलाएं थी। अध्ययन में श्रम बाजार में दाखिल होने के लिए युवाओं की तैयारियों का भी जायजा लिया और पाया कि जो लोग आठ साल की औपचारिक शिक्षा पूरी कर चुके थे उनमें से ज्यादातर के पास पढ़ने और गणित के कौशल की कमी थी इन निष्कर्षों से यह बात साफ हो जाती है कि अगर भारत अपनी भरपूर आबादी का फायदा उठाना चाहता है तो उसके सामने क्या चुनौतियां हैं।

ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास की ताजा पहल

भारत के पास ऐसी विशाल जनशक्ति की चुनौती है जो अकुशल/अर्धकुशल है। इन्हें उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना अपने आप में बड़ी चुनौती है। आज देश के सामने इन लोगों को अल्पावधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षण देने और जो


लोग पहले से रोजगार में हैं, उनके पहले के व्यावहारिक ज्ञान को मान्यता देने की चुनौती है। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत 1 फरवरी, 2018 तक करीब 44.13 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था जिनमें से 29.91 लाख ने अल्पावधि प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि 7.82 लाख के पहले से प्राप्त ज्ञान को मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा 6.4 लाख लोगों को अल्पावधि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है या फिर उनके पहले से प्राप्त ज्ञान को मान्यता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 2.0 के तहत 1 फरवरी, 2018 तक जिन

11.8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया उनमें से 7.9 लाख को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए और 2.8 लाख को रोजगार भी मिला।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2017-18 में 1.03 लाख युवाओं को 398 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनमें से 64,967 को 31 दिसंबर, 2017 तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका था। देशभर में फैले ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद विनिर्माण जैसे 56 से अधिक व्यवसायों में स्वरोजगार का प्रशिक्षण देते हैं। इस समय देशभर में 586 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। अप्रैल 2008 से नवंबर 2017 तक 25.24 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनमें से 16.64 लाख को आजीविका उपलब्ध कराई जा चुकी थी। इसके अलावा 2017-18 में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 7897 उम्मीदवारों को लाइफ-मनरेगा परियोजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य मनरेगा मजदूरों के कौशल के स्तर में सुधार करना है ताकि वे आंशिक रोजगार से उबर कर पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना में कुल 56 लाख परिवारों को 4.84 लाख स्वसहायता समूहों के रूप में संगठित किया गया। वर्ष 2017-18 में

ग्राफ-1: तीन रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षणों (ईयूएस) में श्रम बाजार संकेतक



तालिका-2: 18-29 वर्ष के आयु वर्ग में शैक्षिक योग्यता के आधार पर (प्रतिशत में)

शैक्षिक योग्यता	रोजगारशुदा	बेरोजगार	श्रमबल में शामिल नहीं
साक्षर नहीं	43.0	2.2	54.8
यूजी स्तर पर प्रमाणपत्र परीक्षा	46.7	2.5	50.8
प्राथमिक	47.2	3.1	49.8
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	28.3	3.3	68.4
अधिस्नातक-स्तर पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	29.3	9.0	61.7
स्नातक-स्तर पर डिप्लोमा	35.1	10.5	54.4
स्नातक और उच्चतर	34.5	18.4	47.1

(स्रोत: 2015-16 में युवा रोजगार-बेरोजगारी परिदृश्य, खंड 2, श्रम ब्यूरो यूपीएस)

अक्टूबर 2017 तक करीब 14.2 लाख स्वसहायता समूहों ने 18000 करोड़ रुपये के कर्ज लिए। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना में निम्नलिखित उप-घटकों पर अमल के जरिए ग्रामीण जनता को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत 17 राज्यों में 33 लाख महिला किसानों को शामिल कर कृषि आधारित आजीविका उपलब्ध कराई गई। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना स्वसहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए उन्हें पिछड़े हुए ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा, मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन पर आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि दूरदराज के गांवों के लोगों को बाजार तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) लागू किया जा रहा है। 17 राज्यों में कुल 7800 उद्यमों को बढ़ावा दिया गया है और आशा है कि 2018-19 में 25000 अन्य उद्यमी इसके दायरे में आ जाएंगे। इस उपक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों के बीच संस्थागत ऋण उद्यमिता संपर्क कायम करना है।

स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक से अ.जा./अ.ज.जा. के कम से कम एक और कम से कम एक महिला उद्यमी को नया उद्यम स्थापित करने के

लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत 4747.95 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में उद्यमियों को दी गई जिसमें से अनुसूचित जातियों के उद्यमियों का हिस्सा 15.05 प्रतिशत, अ.ज. जा. उद्यमियों का 4.28 प्रतिशत और महिलाओं उद्यमियों का 80.67 प्रतिशत था। मुद्रा योजना से भी कर्ज की राशि में बढ़ोतरी हुई है। इसके अंतर्गत उधार लेने वाली आमतौर पर या तो महिलाएं होती हैं या फिर अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं।

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ और इसका मकसद नवसृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला माहौल तैयार कर रोजगार के अवसर जुटाना था। 4 जनवरी, 2018 को 6096 आवेदनों की पहचान स्टार्टअप के रूप में की गई और 74 स्टार्टअप्स को करों का फायदा देने के लिए मंजूरी दी गई। जिन प्रमुख क्षेत्रों में स्टार्टअप्स कार्य कर रहे हैं उनमें आईटी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, जैवविज्ञान, शिक्षा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं और खाद्य व पेय पदार्थ शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणाएं

इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए 2018-19 के केंद्रीय बजट में कई उपायों की घोषणा की गई ताकि कौशल विकास को बढ़ावा मिले जिससे ग्रामीण युवाओं की नियोजनीयता और उनके लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो।

- सरकारी कृषि जिनसों खासतौर पर बागवानी वाली फसलों के समूह-आधारित विकास को बढ़ावा मिले। इसका उद्देश्य उत्पादन से लेकर जिला-स्तर पर विपणन तक की गतिविधियों में व्यापक पैमाने पर कार्य करने से होने वाले आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। इस पहल के तहत ग्रामीण युवाओं को फसल-केंद्रित खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों, भंडारण, डिब्बाबंदी और विपणन के बारे में कौशल संपन्न बनाना होगा। इतना ही नहीं, जिला-स्तर पर ऐसे कृषि समूहों के गठन से कृषि से इतर कार्यों में रोजगार के अवसर ग्रामीण नौजवानों के घरों के आसपास ही उपलब्ध हो सकेंगे और उन्हें रोजी-रोटी के बेहतर मौकों के लिए शहरों की ओर नहीं भागना होगा।
- राष्ट्रीय आजीविका कार्यक्रम के तहत समूह बनाकर जैविक खेती करने को भी महिला स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में आज लोग गांवों से कस्बों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और महिलाएं गांवों में खेती के लिए अकेली पड़ती जा रही हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने से उन्नतशील बीज, जैविक खाद, पैकेजिंग और विपणन आदि के लिए आवश्यक संस्थागत संपर्क उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे जैविक बीज, खाद, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और ग्रामीण इलाकों में जैविक उत्पादों के विपणन आदि से संबंधित कार्यों में उद्यमियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे।

- किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार मत्स्य पालन और पशुपालन करने वालों के लिए भी कर दिया गया है। पशुपालन में लगे अधिकतर छोटे और सीमांत कृषकों, खासतौर पर महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। मछली बेचने वाली महिलाओं को भी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के दायरे में लाया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अक्सर अपनी आवश्यकताओं के लिए साहूकारों का कर्जदार बनकर रहना पड़ता है।
- बांस को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपये की लागत के राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा की गई है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष रूप से फायदा होगा जहां बहुत से लोग आजीविका के लिए बांस क्षेत्र पर निर्भर हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण के पूरा होने की तारीख 2022 से 2019 कर दी गई है। कृषि मंडियों और हाट बाजारों, हायर सेकेंडरी स्कूलों और अस्पतालों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने पर भी खासतौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 19000 करोड़ रुपये की लागत से 57,000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य करने वाले अकुशल और अर्धकुशल मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण के तहत करीब 1.88 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इन पर 30343 करोड़ रुपये की लागत आएगी और 16.92 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के तहत 33,000 करोड़ रुपये की लागत से 49 लाख मकानों का निर्माण किया जाना है जिससे 46.55 लाख दिहाड़ियों का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
- मनरेगा के तहत सड़कों, अनाज के गादामों, भूमि विकास, वर्मी कम्पोस्ट, ग्रामीण आवास, पशुपालन के लिए बाड़ों जैसी टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2018—19 में इसके लिए 55000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिससे 230 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष 2017—18 में 13 फरवरी, 2018 तक मनरेगा के तहत 195 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार जुटाया गया।
- मेगा फूड पार्क योजना के तहत वर्ष के दौरान 12 पार्कों का विकास करने का प्रस्ताव है जिससे 2017—18 और 2018—19 में 95,000 दिहाड़ियों के बराबर रोजगार उत्पन्न होगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महत्व को देखते हुए 2018—19 में इसके लिए आबंटन बढ़ाकर 5750 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसके तहत 9 लाख स्वसहायता समूहों का गठन किया जाएगा और 5 लाख महिला किसानों, 25000 एसवीईपीज, 4 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण और 15 लाख श्रृंखला विकास परियोजनाओं का संचालन होगा।
- कौशल विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा का बड़ा महत्व है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2022 तक ऐसे सभी ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है जहां 50 प्रतिशत आबादी या कम से कम 20,000 लोग जनजातियों के हैं। इन स्कूलों में स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण की विशेष सुविधाएं होंगी और खेल-कूद के प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की सुविधाएं भी होंगी।
- सरकार ने 115 पिछड़े जिलों में सामाजिक ताने-बाने में सुधार और उन्हें आदर्श जिला बनाने के लिए आवंटन बढ़ा दिया है।
- सभी क्षेत्रों में स्थायी अवधि के रोजगार के विस्तार का प्रस्ताव है। पिछले बजट में परिधान और जूता क्षेत्र में इस तरह का रोजगार बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इस कदम के साथ-साथ कर्मचारी भविष्यनिधि में सरकार की ओर से अगले तीन साल तक 12 प्रतिशत का योगदान करने से रोजगार की गुणवत्ता बढ़ेगी। केंद्रीय बजट में ही यह बात स्वीकार की गई है कि स्वतंत्र रूप से किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि इस साल रोजगार के 70 लाख औपचारिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
- युवाओं को कौशल प्राप्त करने का आकांक्षी बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में आदर्श कौशल केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। चालू साल में इस तरह के 306 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के अंतर्गत 2018—19 में करीब 18 लाख लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का प्रस्ताव है जिस पर 1171 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

कुल मिलाकर 2018—19 का केंद्रीय बजट आवंटन की दृष्टि से कृषि, बुनियादी ढांचे, गांवों और पिछड़े जिलों में शिक्षा और पिछड़े जिलों को अपनाने जैसे कई कार्यक्रमों पर जोर देता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है जहां वे अधिकांश युवा रहते हैं जो आने वाले वर्षों में श्रम बाजार में प्रवेश करेंगे।

(लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी हैं और उन्होंने श्रम, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य किया है।) ई-मेल srija.a@gov.in

तालिका 3 : यूपीएस दृष्टिकोण के अनुसार युवाओं का वर्गीकरण (18—29 वर्ष) प्रतिशत में

	रोजगारशुदा	बेरोजगार	श्रम शक्ति में शामिल नहीं
ग्रामीण	35.2	5.3	59.5
शहरी	25.3	4.6	70.1

(स्रोत: युवा रोजगार-बेरोजगारी परिदृश्य, 2015—16, खंड 2, श्रम ब्यूरो, संलग्नक, तालिका-15)



CHANAKYA IAS ACADEMY

Also known as Chanakya Civil Services Academy



CHANAKYA IAS ACADEMY

Nurturing Leaders of Tomorrow

SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

25 Years of Excellence, Extraordinary Results every year,
4000+ selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

OUR RESULT IN CIVIL SERVICES EXAMINATION 2016
5 in top 10 | 40 in top 100 | Total selections 435



Under the direction of
Success Guru AK MISHRA

IAS 2019

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

BATCH DATES

20th February | 20th March | 20th April

General Studies/ CSAT

OPTIONAL SUBJECTS AVAILABLE*

Geography | Sociology | Public Administration
History | Political Science | Psychology | Mathematics

* Optional subjects may vary from centre to centre

Salient Features

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Pattern proof teaching
- Separate Classes in Hindi & English Medium
- Regular test series
- Intensive Classes with online support
- Experienced faculty
- Hostel assistance

To reserve your seat Call: 1800-274-5005(Toll Free)

CENTRAL DELHI (Rajendra Nagar Branch): Level 5, Plot No. 3B, Rajendra Park, Pusa Road, Next to Rajendra Place Metro Station, Gate No. 4, Delhi-60, Ph: 8447314445

NORTH DELHI BRANCH: 1596, Ground Floor, Outram Lines, Kingsway Camp, Opp. Sewa Kutir Bus Stand, Near GTB Nagar Metro Station Gate No.2, Delhi-09, Ph: 9811671844/ 45

HO/ SOUTH DELHI BRANCH: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Near Dhaura Kuan, Delhi-21, Ph: 9971989980/ 81 | www.chanakyaaiasacademy.com

Our Branches

Allahabad: 9721352333 | Ahmedabad: 7574824916 | Bhubaneswar: 9078878233 | Chandigarh: 8288005466 | Dhanbad: 9771463546
Faridabad: 8860403403 | Guwahati: 8811092481 | Hazaribagh: 9771869233 | Indore: 8818896686 | Jammu: 8715823063 | Jaipur: 9680423137
Kochi: 7561829999 | Mangaluru: 7022350035 | Patna: 8252248158 | Pune: 9067975862 | Ranchi: 9204950999 | Rohtak: 8930018881 | Srinagar: 9599224341

चेतावनी

छात्रों/अभ्यर्थियों को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि कुछ असम्बद्ध संस्थाएं ऐसे टेडमार्क/टेडनेम का इस्तेमाल कर रही हैं जो चाणक्य आईएसएस एकेडमी/चाणक्य एकेडमी (1993 से सर्वसेस गुरु एके मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रोन्नत) के टेडमार्क/टेडनेम के समरूप/भ्रामक समान हैं। हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ये संस्थाएं हमसे सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। सभी छात्रों को नामांकन कराने के पूर्व ऐसी एकेडमी/अध्ययन केंद्र/संस्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और अनुरोध किया जाता है कि समरूप/भ्रामक रूप से समान टेडमार्क/टेडनेम के तहत हो रही ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में 09650299662/3/4 पर फोन कर तथा info@chanakyaacademygroup.com पर ईमेल भेजकर हमें सूचित करें।

आयुष्मान भारत : स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक पहल

—आशुतोष कुमार सिंह


आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर 40 फीसदी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाई है। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इस योजना के लाभार्थी अपने परिवार का इलाज करा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की है। इसने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 2008 में पेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा की जगह ली है जिसमें 30,000 रुपये का सालाना बीमा कवर दिया गया था।

किसी भी राष्ट्र-राज्य के लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। देश को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सरकारों ने हमेशा से प्रयास किए हैं। कई बार सरकारी प्रयास उस दिशा में नहीं होता, जिस दिशा में होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्वास्थ्य को लेकर सरकारी-स्तर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। यही कारण है कि भारत सरकार स्वास्थ्य को लेकर अभियान चलाने से लेकर नीति बनाने तक कहीं भी पीछे नजर नहीं आ रही है। सरकार का प्रयास स्वास्थ्य के अधिकार की ओर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह बात इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार की स्वास्थ्य नीतियों में पिछले 3-4 वर्षों में जो बदलाव नजर आए हैं, उसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। इस वर्ष भी बजट में सरकार ने स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया है। इस लेख में स्वास्थ्य बजट में घोषित नई योजनाओं के साथ सरकार की अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं नीतियों की चर्चा भी की गई है। शायद तभी हम यह समझ पाएंगे कि सरकार 'स्वास्थ्य' को कितने बड़े फलक पर देख रही है। सरकार की नीतियों के केंद्रबिंदु में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यही कारण है कि पिछली बार के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को मिला है। इस बार 52,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जबकि पिछली बार यह राशि 47,352.51 करोड़ रुपये थी।

सबसे पहले बात करते हैं बजट की। वर्ष 2018-19 के बजट में स्वस्थ भारत के लक्ष्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में स्वास्थ्य के लिए 'आयुष्मान भारत' नाम से बड़ी प्लैगशिप योजना को लांच करने का ऐलान किया है। बजटीय भाषण में नेशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि नेशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम जिसे 'मोदी केयर' भी कहा जा रहा है, ट्रस्ट मॉडल या इंश्योरेंस मॉडल पर काम करेगा। रीईबर्स मॉडल की संभावना यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि इसमें बहुत गड़बड़ियां होती हैं। यानी, योजना का लाभ उठाने वाले गरीब

मरीजों का इंश्योरेंस किया जाएगा और उनका कैशलेस इलाज किया जाएगा। अर्थात् खुद के खर्चे से इलाज करवाकर सरकार से पांच लाख रुपये तक की रकम वापस पाने का झंझट नहीं होगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2018 से लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि नीति आयोग के अधिकारियों के बयान को माना जाए तो इस योजना को 15 अगस्त, 2018 अथवा 2 अक्टूबर 2018 को लागू किया जा सकता है। 'आयुष्मान भारत' योजना की पूरे देश में तारीफ हो रही है। भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर देश के 40 फीसदी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाई है। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इस योजना के लाभार्थी अपने परिवार का इलाज करा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की है। इसने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वर्तमान में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जगह ली है जिसमें




राष्ट्रीय स्वास्थ्य

रक्षा योजना

#न्यू इंडिया बजट

- 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवार कवर
- हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा
- अस्पतालों में द्वितीय और तृतीयक श्रेणी की देखभाल सुविधाएं



विश्व का सबसे बड़ा सरकारी अनुदान आधारित स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

30,000 रुपये का सालाना बीमा कवर दिया गया था। इस बाबत मीडिया को वित्तमंत्री ने बताया कि नीति आयोग ने इस योजना की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जीवनभर काम करने वालों ने उनके और फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रजेंटेशन दिया था। श्री जेटली ने कहा, उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम का प्रेजेंटेशन दिया था। चूंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इसलिए हमने सभी 25 करोड़ परिवारों की जगह 10 करोड़ परिवारों से शुरुआत की ताकि योजना प्रभावी तौर पर लागू हो सके।

गौरतलब है कि इस योजना के लिए जारी धन को लेकर विरोधी पार्टियों की आलोचना झेल रहे वित्तमंत्री ने एक टीवी चैनल को दिए अपने साक्षात्कार में बताया कि इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था बना रखी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने लॉग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाया है। इससे जो अतिरिक्त कर की प्राप्ति होगी एवं साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए एक फीसदी लगे सेस से जो अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी उससे इस योजना को आसानी से चलाया जा सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से खर्च करने के मामले में मध्यम आय वाले 50 देशों में भारत का स्थान छठा है। देश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर देना जरूरी है। गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण 56 फीसदी शहरी और 49 फीसदी ग्रामीण निजी अस्पतालों में भारी-भरकम राशि देकर इलाज कराता है। ऐसे में जब 40 फीसदी लोगों की सेहत की सुरक्षा सरकार उठा लेगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

आरोग्य केंद्र

देशभर में डेढ़ लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलना, जो जरूरी दवाएं और जांच सेवाएं फ्री में मुहैया कराएंगे। इन सेंटरों में गैर-संक्रामक बीमारियों और जच्चा-बच्चा की देखभाल भी होगी। इतना ही नहीं, इन सेंटरों में इलाज के साथ-साथ जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों, मसलन हाई ब्लडप्रेसर, डाइबिटीज और टेंशन पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार ने इस मद में 1200 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। सरकार इन केंद्रों को चलाने के लिए उद्योग घरानों का भरपूर सहयोग चाहती है।

नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 24 जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अभी देश में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से हर साल 67 हजार एमबीबीएस और 31 हजार पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) डॉक्टर निकल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्स के दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा था कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में इलाज

#न्यू इंडिया बजट

स्वस्थ भारत समृद्ध भारत

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा योजना
- विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य रक्षा योजना
- 10 करोड़ गरीब और वंचित परिवार लाभान्वित होंगे यानी 50 करोड़ लाभार्थी
- क्षितीयक और तृतीयक श्रेणी की अस्पताल देखभाल के लिए 5 लाख रुपये प्रति परिवार/वर्ष की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा

- 12,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के प्लेगशिप कार्यक्रमों के लिए
- 600 करोड़ रुपये सभी टीबी मरीजों के लिए पोषण सहायता
- वर्तमान जिला अस्पताल को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
- हर 3 संसदीय क्षेत्र पर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज

के लिए डॉक्टरों की यह तादाद बहुत कम है। इस दिशा में सरकार का यह कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही नई स्वास्थ्य नीति के संकल्पों के अनुरूप भी है।

टीबी के खिलाफ मुहिम

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने टीबी के रोगियों को हर महीने 500 रुपये देने का इंतजाम किया है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने 2025 तक देश से टीबी के खात्मे का लक्ष्य रखा है और इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत दुनिया का ऐसा देश है, जहां चीन के बाद टीबी के सबसे ज्यादा मरीज हैं। यहां हर साल टीबी के करीब 28 लाख नए केस सामने आते हैं और करीब 5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017

वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई। 15 मार्च, 2017 को मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 को अपनी स्वीकृति दी। एनएचपी 2017 में बदल रही सामाजिक, आर्थिक प्रौद्योगिकी तथा महामारी से संबंधित वर्तमान परिस्थिति और उभर रही चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी मंतव्य को दर्शाया गया है। एनएचपी 2017 में सरकार ने यह संकल्प लिया है कि 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत सरकार स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का बड़ा पैकेज उपलब्ध कराने के प्रति कृत संकल्प है। इसी संकल्प का असर इस बार के बजट में भी देखने को मिला है।

इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए संभव उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्राप्त करना, रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय बोझ रहित गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाओं की

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रमुख पहल

सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य मानव विकास का हृदय है। सरकार एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और जनकेंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जोकि लोगों के घरों के नजदीक हो। 'आयुष्मान भारत' के तहत सरकार ने जिन दो दूरगामी पहलों की घोषणा की है वे 2022 तक नए भारत का निर्माण करेंगी। इससे संवर्धित उत्पादकता कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों के घरों के नजदीक लाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। यह केंद्र आवश्यक दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे।

'आयुष्मान भारत' के तहत दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। हम सब जानते हैं कि देश में लाखों परिवारों को अस्पतालों में अंतरंग इलाज कराने के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं। सरकार ऐसे परिवारों के प्रति चिंतित है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब परिवारों को 30,000 रुपये की वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। अनेक राज्य सरकारों ने भी कवरेज में विविधता उपलब्ध कराके स्वास्थ्य संरक्षण योजनाएं कार्यान्वित/अनुपूरित की हैं। अब हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संरक्षण को और अधिक आकांक्षा वाला स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के इलाज हेतु कवरेज दिया जा रहा है। इस योजना के लिए इस वर्ष 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राज्यों के पास इस योजना को लागू करने के लिए ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी आधारित मॉडल अपनाने का विकल्प है हालांकि ट्रस्ट मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत ये दो दूरगामी योजनाएं वर्ष 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेंगी और इनसे संवर्धित उत्पादकता, कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन योजनाओं से, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। सरकार सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्थायी रूप से किन्तु निश्चित रूप से उत्तरोत्तर अग्रसर है।

किसी दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में टी.बी. से हर वर्ष अधिक जानें जाती हैं। यह मुख्य रूप से गरीब और कुपोषित लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए सरकार ने टी.बी. से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषाहार सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की है। गुणवत्तायुक्त चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख की पहुंच में और वृद्धि करने के उद्देश्य से, हम देश में मौजूद जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी चिकित्सा कॉलेज हो। इसके अतिरिक्त सिविकम में सरकारी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना की जाएगी क्योंकि वहां अभी एक भी सरकारी चिकित्सा कॉलेज नहीं है। उपरोक्त पहलों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 होगी।

सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है। सरकार अपने इस संकल्प को भी इस बार के बजट में पूरा करने का प्रयास करती हुई नजर आई है।

सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ग्रामीण-स्तर तक ले जाना चाहती है, इसके लिए सरकार का ध्यान गुणवत्ता में सुधार एवं



स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत में कमी करने का है। एनएचपी 2017 में संसाधनों का बड़ा भाग (दो तिहाई या अधिक) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार चाहती है कि प्रति एक हजार की आबादी पर दो बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

इसके लिए नए अस्पतालों के निर्माण पर सरकार का विशेष ध्यान है जिसकी झलक इस बार के बजट में भी दिखी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 पर संसद के दोनों सदनों में 16 मार्च, 2017 को दिए अपने वक्तव्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था कि, 'मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित कर दिया है। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बनाई है। पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार, यह नीति बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 साल के अंतराल के बाद अस्तित्व में आई है।'

दरअसल सरकार स्वास्थ्य सेवा की एक ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटी है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों की भागीदारी हो सके। निजी क्षेत्रों की मजबूती का फायदा आम नागरिकों को देने के लिए नई स्वास्थ्य नीति में विशेष जोर दिया गया है। नई स्वास्थ्य नीति 2017 को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

1. आश्वासन आधारित दृष्टिकोण— रोकथाम और संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित करते हुए आश्वासन आधारित दृष्टिकोण पर बल दिया गया है।
2. स्वास्थ्य कार्ड को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना— देश में कहीं भी सेवाओं के परिभाषित पैकेज के लिए स्वास्थ्य कार्ड को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की सिफारिश की गई है।
3. रोगी केंद्रित दृष्टिकोण— रोगी देखभाल, सेवाओं के मूल्य, लापरवाही तथा अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवादों/शिकायतों के समाधान के लिए अधिकार-संपन्न चिकित्सा अधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही प्रयोगशालाओं और इमेजिंग सेंटरों तथा उभर रही विशेषज्ञ सेवाओं के लिए मानक नियामक ढांचा स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।
4. पोषक तत्वों की कमी— पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न कुपोषण को घटाने पर बल तथा सभी क्षेत्रों में पोषक तत्व की पर्याप्तता में विविधता पर ध्यान देने की बात कही गई है।
5. देखभाल गुणवत्ता— सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें गुणवत्ता-स्तर का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
6. मेक इन इंडिया पहल— दीर्घकालिक दृष्टि से भारतीय आबादी के लिए देश में बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को संवेदी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

7. डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली— चिकित्सा सेवा प्रणाली की दक्षता और परिणाम को सुधारने के लिए डिजिटल उपायों की व्यापक तैनाती पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तथा कार्यदक्षता, पारदर्शिता और सुधार करने वाली एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापित करना है।

8. महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सरकार ने इस बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक-2017 से आंग्रे क्रान्तिकारी बदलाव

स्वास्थ्य शिक्षा में क्रान्तिकारी बदलाव लाने के लिए सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 लेकर आई है। मंत्रिमंडल ने 15 दिसम्बर, 2017 को इसे स्वीकृत किया था। फिलहाल संसद पटल पर रखने के बाद इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्न हैं—

- चिकित्सा परिषद 1956, अधिनियम को बदलना।
- चिकित्सा शिक्षा सुधार के क्षेत्र में दूरगामी कार्य करना।
- प्रक्रिया-आधारित नियमन के बजाए परिणाम-आधारित चिकित्सा शिक्षा नियमन।
- स्वशासी बोर्डों की स्थापना करके नियामक के अंदर उचित कार्य विभाजन सुनिश्चित करना।
- चिकित्सा शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिए उत्तरदायी और पारदर्शी प्रक्रिया बनाना।
- भारत में पर्याप्त स्वास्थ्य कार्यबल सुनिश्चित करने का दूरदर्शी दृष्टिकोण।



- नए कानून के संभावित लाभ
- चिकित्सा शिक्षा संस्थानों पर कठोर नियामक नियंत्रण की समाप्ति और परिणाम-आधारित निगरानी व्यवस्था।
- राष्ट्रीय लाइसेंस परीक्षा लागू करना। यह पहला मौका होगा जहां देश के किसी उच्च शिक्षा क्षेत्र में ऐसा प्रावधान लागू किया गया है जैसा कि पहले नीट तथा साझा काउंसिलिंग लागू करके किया गया था।
- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को उदार और मुक्त बनाने से यूजी और पीजी सीटों की संख्या बढ़ेगी और इस अवसंरचना क्षेत्र में नया निवेश बढ़ेगा।
- आयुष चिकित्सा प्रणाली के साथ बेहतर समन्वय।
- चिकित्सा महाविद्यालयों में 40 प्रतिशत सीटों के नियमन से किसी भी वित्तीय स्थिति के सभी मेधावी विद्यार्थियों की मेडिकल सीटों तक पहुंच।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन

केंद्र ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास राष्ट्रीय पोषण मिशन को पिछले वर्ष स्वीकृति दी थी, जिसका उद्देश्य कुपोषण के अंतरपीढ़ी चक्र को रोकने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाना है। इसका उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करना है। इसके लिए सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए 9046.17 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। वित्तवर्ष 2017-18 में 315 जिले, 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में शेष जिले कवर किए जाने की योजना है।

अधिनियम में भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए आधार-आधारित वैधानिक ढांचा अपनाया गया है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनके लिए अधिक से अधिक देखभाल और सम्मान के साथ जीवन सुनिश्चित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में समानता को मजबूत बनाया गया है।

एचआईवी और एड्स (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 2017 : इसके तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक इस महामारी को खत्म करने का लक्ष्य है। कोई भी व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित हो, उसके साथ रोजगार, शैक्षणिक संस्थानों, मकान को किराए पर देने, दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा सेवाओं के मुद्दे पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)

भारत का यूआईपी दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.7 करोड़ नवजात बच्चों के टीकाकरण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है। 90 लाख से अधिक टीकाकरण सत्र हर साल

आयोजित किए जाते हैं। यह दुनिया में सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप कार्यक्रम है।

यूआईपी के तहत नए प्रयास

मिशन इंद्रधनुष : भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की (एमआई) शुरुआत की। इसके तहत (लक्षित कार्यक्रम) उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो टीकाकरण से वंचित हैं या जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत दो राउंड के दौरान पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज में वृद्धि की वार्षिक दर 1 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई है।

इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 जून, 2017 को वडनगर, गुजरात से तीव्र मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) की शुरुआत हुई। 16 राज्यों के 121 जिलों, पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों और 17 ऐसे शहरी इलाकों को चुना गया है जहां मिशन इंद्रधनुष और यूआईपी के दोहरे चरणों के बावजूद टीकाकरण की कवरेज बहुत कम है। दिसंबर 2018 तक 90 प्रतिशत से अधिक की पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज का कार्यक्रम भी लक्षित है। अक्टूबर और नवंबर 2017 में आईएमआई के दो दौर के दौरान 190 जिलों और शहरी क्षेत्रों में कुल 39.19 लाख बच्चों और 8.09 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल निःशुल्क प्रदान करना है। 2017 तक इस अभियान के तहत व्यापक सेवाओं के लिए पीएमएसएमए साइटों पर 90 लाख से अधिक प्रसव-पूर्व परीक्षण किए गए हैं। साथ ही 5 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान की गई है।

इंटेंसिफाइड डायरिया नियंत्रण पाक्षिक

2014 के बाद से हर साल जुलाई-अगस्त के दौरान 'बाल बचपन के कारण शून्य बच्चे की मौत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। 2017 (जुलाई-अगस्त) में पांच वर्ष से कम उम्र के 7 करोड़ से अधिक बच्चे ओआरएस की सुविधा के लिए आशा केंद्रों तक पहुंचे।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 4 डी पर नियंत्रण के लिए बच्चों की जांच और निःशुल्क उपचार के लिए फरवरी 2013 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 4 डी में विकलांगता सहित जन्म, रोग, कमियों और विकास विलंब पर दोष शामिल है। इसके तहत सितंबर, 2017 तक 29 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में 11020 टीमों कार्यरत हैं। 92 जिलों में प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) काम कर रहे हैं।

नेशनल डीवर्मिंग डे

एसटीएच संक्रमण का मुकाबला करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनडीडी नामक एक ही दिन की रणनीति को अपनाया

है, जिसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से 1-19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अल्बेन्डाजोल की एक खुराक दी जाती है। 88 प्रतिशत कवरेज के साथ 2017 में 50.6 करोड़ बच्चों को दो राउंड (फरवरी और अगस्त) में शामिल किया गया था।

किशोरावस्था के अनुकूल स्वास्थ्य किलीनिक ये किशोरों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के संपर्क के पहले स्तर के रूप में कार्य करते हैं। आज तक देश भर में 7632 एएफएचसी स्थापित किए गए हैं और करीब 29.5 लाख किशोरों ने 2017-18 की दूसरी तिमाही के दौरान सेवाओं का लाभ उठाया है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम: इसमें स्कूली लड़कों और लड़कियों के लिए साप्ताहिक पर्यवेक्षण आईएफए गोलियों के प्रावधान और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा अल्बेन्डाजोल की गोलियां शामिल हैं। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही तक 3.9 करोड़ किशोर लड़कें और लड़कियां लाभान्वित हुए।

मासिक धर्म स्वच्छता योजना : यह योजना ग्रामीण इलाकों में किशोरियों के लिए लागू की जा रही है। सेनेटरी नैपकिन की खरीद को वर्ष 2014 से विकेंद्रीकृत किया गया है। टेंडर प्रक्रिया के तहत सेनेटरी नैपकिन की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए एनएचएम के माध्यम से 42.9 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जबकि आठ राज्य, राज्य निधि के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

पीयर एजुकेशन प्रोग्राम : इस कार्यक्रम के तहत चार पीयर एडुकेटर्स (साथी) - स्वास्थ्य समस्याओं पर किशोरों को जानकारी देने के लिए प्रति 1000 आबादी के लिए दो पुरुष और दो महिलाओं का चयन किया जाता है। पीयर एजुकेशन प्रोग्राम को 211 जिलों में लागू किया जा रहा है, अब तक 1.94 लाख पीई को चुना गया है इसके साथ ही एएनएम और पीयर शिक्षक के लिए प्रशिक्षण जारी है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

एनएचएम के तहत पीपीपी मोड में सभी जिला अस्पतालों में 'राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम' का समर्थन किया जाना चाहिए। एनएचएम सहायता के तहत गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं का प्रावधान राज्यों/संघशासित प्रदेशों को प्रदान किया गया है। जुलाई 2017 तक 1.77 लाख से अधिक मरीजों ने 19.15 लाख से अधिक डायलिसिस सत्रों के साथ सेवाओं का लाभ उठाया है।

प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में लोगों को सस्ते दामों में क्वॉलिटी मेडिसिन मुहैया कराई जाती है। दिसंबर 2017 तक सभी राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में 3,013 जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा

गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की शुरुआत की थी। इसका यह लक्ष्य रखा गया था कि 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से राष्ट्र मुक्त (ओडीएफ) हो जाए। इसका सकारात्मक परिणाम आया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार 2 अक्टूबर, 2014 को एसबीएम के शुभारंभ पर स्वच्छता क्षेत्र 38.70 प्रतिशत था। यह फरवरी 2018 को बढ़कर 76.25 प्रतिशत तक पहुंच गया। घर-घर में शौचालय का निर्माण होने लगा है। सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर इस योजना को सफल बनाने में सहायता एवं सहयोग मिला है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण के इस युग में खुद को सेहतमंद बनाए रख पाना आसान नहीं रह गया है। खासतौर से उस समय जब सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा हो। संयुक्त राष्ट्र ने कुछ समय पूर्व खुशहाल देशों की वैश्विक सूची जारी की थी जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश हमारे देश से ऊपर निकल गए। 155 देशों की सूची में हम 122 वें स्थान पर रहे। यह स्थिति यह बताने के लिए काफी है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के लोगों के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख विषय बनता जा रहा है। इस संदर्भ में सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत सरकार भी इन सभी बातों को बेहतर तरीके से समझने लगी है। यही कारण है कि आज स्वास्थ्य पर सरकार का इतना जोर है। उपरोक्त जितनी योजनाओं का जिक्र इस आलेख में किया गया है उससे इतर भी लोगों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है जैसे मिशन परिवार विकास, परिवार नियोजन - उपस्कर प्रबंधन सूचना प्रणाल, स्वास्थ्य और सशक्त केंद्र, मुफ्त निदान सेवा पहल, कैसर, मधुमेह और स्ट्रोक के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, मधुमेह, हाइपरटेंशन और कॉमन कैसर के लिए जनसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग, एनपीसीडीसीएस के साथ आयुष का एकीकरण, अमृत (उपचार के लिए उचित मेडिकल और विश्वसनीय प्रत्यायोजन), ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इस वर्ष जारी बजट से स्पष्ट हो गया है कि सरकार गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा को गांवों तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है।

अब जरूरत इस बात की है कि देश का प्रत्येक आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद जागरूक हो, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को ठीक से समझे और उसका लाभ उठाए ताकि महंगी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण किसी भी भारतीय को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहना पड़े।

(लेखक स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े हैं।

सामाजिक मुद्दों और स्वास्थ्य पर लिखते रहते हैं।)

ई-मेल : forhealthyindia@gmail.com

समृद्ध समाज से विकास की ओर

—नितिन प्रधान

1 फरवरी, 2018 को संसद में अगले वित्तवर्ष का आम बजट प्रस्तुत करते वक्त अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपायों पर केंद्र सरकार ने फोकस किया है तो देश की जनता की सामाजिक सुरक्षा हेतु कई नए कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगले वर्ष के बजट में सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है।

किसी भी देश में चल रही सामाजिक सुरक्षा स्कीमें उसके विकास के लक्ष्यों को पाने में वहां की आबादी को सहायक बनाती हैं। संभवतः मौजूदा सरकार ने भी इस सिद्धांत को समझ लिया है। यही वजह है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्र का शासन संभालने वाली सरकार साल-दर-साल आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुधार करने के साथ-साथ देश की जनता के सामाजिक-स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी निरंतर नए कार्यक्रम लांच कर रही है। पहली फरवरी 2018 को संसद में अगले वित्तवर्ष का आम बजट प्रस्तुत करते वक्त अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपायों पर केंद्र सरकार ने फोकस किया है तो देश की जनता की सामाजिक सुरक्षा के कई नए कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है। खुद वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते वक्त संसद में कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सहायता और अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपने आर्थिक और सामाजिक सपनों को पूरा करने की अपनी पूरी संभावित क्षमता का उपयोग कर सके।” “हमारी सरकार, सामाजिक-आर्थिक जातिये जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम लागू कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए आवंटन 2018-19 में 9975 करोड़ रुपये रखा गया है।”

इतना ही नहीं देश को सेहतमंद बनाने की दिशा में एक राष्ट्रीय-स्तर की स्वास्थ्य संरक्षण योजना की शुरुआत भी सरकार ने इस बजट में की है जो सामाजिक विकास के उसके उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बनेगी। लोगों को सेहतमंद रखने की देशव्यापी

योजना के साथ-साथ सरकार ने भविष्य के सामाजिक सरोकार देखते हुए सभी के लिए शिक्षा और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के कई उपायों का ऐलान भी किया है। सरकार समाज में महिलाओं के योगदान को लेकर भी सजग है। यही वजह है कि महिलाओं को जीवाश्म ईंधन वाले रसोईघर से पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के दायरे का विस्तार करने की घोषणा बजट में की गई है। देश की आधी आबादी के लिए किया गया यह ऐलान न केवल उन्हें सेहत के लिहाज से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम बनाएगा क्योंकि उज्ज्वला के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर से ईंधन की तलाश और फिर खाना पकाने में लगने वाले समय की बचत उन्हें जीवीकोपार्जन के उपायों में सहायक बनेगी।

बीमा का दायरा बढ़ा

सामाजिक विकास के लिहाज से इस बजट को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त कराने का सरकार का ध्येय वंचित और गरीबों के जीवन को सम्मानजनक स्तर पर लाने की दिशा में उठाया गया कदम कहा जा सकता है। इसी तरह सरकार ने गरीबों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। पहली स्कीम में मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जा रहा है तो दूसरी स्कीम में 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दो लाख रुपये के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। जीवन बीमा योजना के तहत अब तक 5.22 करोड़ परिवारों को शामिल किया जा चुका है तो दुर्घटना बीमा के दायरे में सवा तेरह करोड़ लोगों को कवर किया गया है।



अब बजट में सरकार ने इन दोनों योजनाओं के तहत सभी गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों को एक मिशन मोड के तहत लाने का प्रयास करने का ऐलान किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि दोनों तरह के बीमा के दायरे में आने से अब तक वंचित रह गए परिवारों को भी इसके दायरे में शामिल किया जा सकेगा।

सरकार की यह कोशिश निश्चित रूप से देश में सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा ढांचा तैयार करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ इन दोनों योजनाओं का समावेश देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को सुरक्षा के दायरे में लाएगा। किसी भी समाज के लोग अगर इन दो चिंताओं से मुक्त हो जाएं तो वे राष्ट्र निर्माण में अपना बेहतरीन योगदान कर सकते हैं। संभवतः यही सरकार की सोच भी है। किसी भी विकसित देश का क्रमबद्ध विकास तभी संभव हुआ है जब वहां के लोगों को इन चिंताओं से मुक्त रखा गया है।

वित्तीय समावेशन का विस्तार

सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था जिसके तहत उन सभी लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने का बीड़ा उठाया गया जो अब तक बैंक खातों से वंचित थे। सरकार काफी हद तक इस काम में सफल भी हुई। अब तक 27 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। सरकार इन्हीं खातों के जरिए गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और अन्य सरकारी मदद सीधे जरूरतमंदों को उनके खातों में जमा करा रही है। इसका लाभ यह हुआ कि सरकार इस तरह के भुगतानों में बिचौलियों को समाप्त करने में सफल रही है।

आगामी वित्तवर्ष के आम बजट में अब सरकार ने समस्त साठ करोड़ बुनियादी खातों को जनधन योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार का इरादा स्पष्ट है कि वह इन खातों के जरिए सूक्ष्म बीमा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं की सेवा प्रदान करेगी। पेंशन के क्षेत्र में भी सरकार सेवाओं का विस्तार कर रही है। ऐसे में इन सभी लाभों को सीधे लोगों के खातों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसका दोहरा लाभ होगा। पहला यह कि ऐसे सभी भुगतानों में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और दूसरे लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाकर नकदी के चलन को भी कम किया जा सकेगा। छोटी बीमा योजनाओं के दायरे में लोगों को लाकर सरकार उनके लाभों का वितरण इन खातों के जरिए कर पाएगी। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले कर्ज के वितरण में भी सरकार का यह प्रयास सहायक सिद्ध होगा। आज की तारीख में कई लोग केवल इसीलिए कर्ज से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वैध बैंक खाता नहीं होता।

सामाजिक विकास के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने इस बजट में ऐसे 115 महत्वाकांक्षी जिलों की पहचान भी की है जिनके जरिए समावेशी समाज का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार,

कौशल उन्नयन और वित्तीय समावेशन जैसी सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण व स्वच्छ पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं में निवेश करके इन जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। समयबद्ध तरीके से इन जिलों में शौचालयों का निर्माण करना भी सरकार के उद्देश्यों में शामिल है। सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय के लिए आवंटित बजट में इन जिलों को प्राथमिकता देना तय किया है ताकि इन जिलों के विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। देश के विकास में पीछे रह गए इन जिलों का तीव्र विकास यहां रह रहे लोगों के जीवन-स्तर की गुणवत्ता को सुधारेगा और देश की मुख्यधारा से जोड़ेगा। अगर इन जिलों का विकास सरकार की सोच के अनुरूप हो पाया तो निश्चित ही ये जिले विकास का नया मॉडल बनेंगे।

वर्तमान सरकार वंचित रह गए लोगों के विकास को लेकर बेहद गंभीर है। इस बजट में भी उसने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की आर्थिक व सामाजिक उन्नति पर खास ध्यान दिया है। बीते तीन साल से



जीवन सुविधाजनक बनाने के लिए



प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया



सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए 16,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे



वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत के तहत 2 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। ये लक्ष्य 2014-18 के बीच 6 करोड़ शौचालय बनाने के अतिरिक्त होगा



वेतनभोगी वर्ग को परिवहन भत्ते के रूप में 40,000 रुपये की स्टैंडर्ड छूट और विविध चिकित्सा खर्चों की भरपाई



वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमाराशि से आय पर टैक्स में छूट 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई



वरिष्ठ नागरिकों को अब स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम और चिकित्सा खर्चों पर 50 हजार रुपये तक की छूट प्रति वर्ष दी जाएगी



प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया और निवेश सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये की गई

लगातार सरकार इस वर्ग के लिए चलाई जा रही 279 स्कीमों व कार्यक्रमों का आवंटन बढ़ा रही है। साल 2016-17 में इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए 34334 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इसे अगले वर्ष यानी 2017-18 में बढ़ाकर 52719 करोड़ रुपये कर दिया गया। साल 2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने इस वर्ग के उत्थान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का आवंटन पिछले वर्ष से और बढ़ाते हुए 566189 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए जा रहे 305 कार्यक्रमों के लिए 2016-17 के बजटीय आवंटन 21811 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 2018-19 के बजट में आवंटन 39135 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है। लेकिन बजटीय आवंटन बढ़ाने से ज्यादा यह आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों का संचालन उचित प्रकार से हो ताकि वंचित वर्गों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की सरकार की कवायद अब प्रत्येक उस क्षेत्र तक पहुंच रही है जहां ये लाभ अभी लोगों को नहीं मिल रहे थे। इसी क्रम में सरकार पिछले तीन साल से नए कर्मचारियों की भविष्य निधि में 8.33 फीसदी का योगदान कर रही है। अगले वित्तवर्ष के बजट में सरकार ने अपने इस कदम को और आगे बढ़ाया है। सरकार ने अगले तीन वर्ष तक सभी क्षेत्रों की कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन के 12 फीसदी के बराबर का अंशदान करने का ऐलान किया है। यही नहीं अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भविष्य निधि में महिला कर्मचारियों के अंशदान को पहले तीन वर्ष के योगदान को 8 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है। इसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियोक्ता का अंशदान पहले की भांति उसी स्तर पर बना रहेगा। इसके लिए सरकार कानून में जरूरी संशोधन करेगी।

वरिष्ठों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ी

विकास की दिशा में देश के वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का भी सरकार ने साल 2018-19 के बजट में पूरा ध्यान रखा है। वित्तमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं का ऐलान करने से पहले कहा भी, "जिन लोगों ने हमारी देखभाल की उनकी देखभाल करना उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान करना है।" अगले वित्तवर्ष से वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों व डाकघरों में जमाराशि पर ब्याज आय में छूट दस हजार रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दी गई है। यानी अब 50000 रुपये से अधिक की ब्याज आय पर ही बैंकों व डाकघरों में जमाराशि पर स्रोत पर आयकर कटौती की जाएगी। यही लाभ सावधि जमा योजनाओं और आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों की सेहत का ध्यान रखते हुए उनके लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की सीमा भी बढ़ाई गई है। नए वित्तवर्ष से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अथवा चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को वित्तमंत्री ने 30,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर

50,000 रुपये कर दिया है। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी सामान्य चिकित्सा के संबंध में आयकर की धारा 80 डी के तहत 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, गंभीर बीमारी के संबंध में चिकित्सा व्यय की कटौती की सीमा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60,000 रुपये और अति वरिष्ठ नागरिकों यानी 80 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्गों के लिए 80,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर अब एक लाख रुपये कर दिया गया है। निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में यह बड़ी राहत है।

सामाजिक विकास को लेकर यह सरकार कितनी सजग है इसका अंदाज मौजूदा समय में चल रही योजनाओं से भी लगाया जा सकता है जिन्हें अगले साल के बजट में भी न केवल जारी रखा गया है बल्कि उनके दायरे को विस्तार दिया गया है। उज्ज्वला की तरह ही देश के समस्त परिवारों के घर को रोशन करने के लिए सरकार सौभाग्य योजना चला रही है। इसके तहत चार करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस पर सरकार 16,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इसके अतिरिक्त गरीबों को सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने हेतु तीन हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 800 से ज्यादा दवाएं कम कीमत पर बेची जा रही हैं। दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टेंट की कीमत कम की गई है। गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ये सभी ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जिनके लिए सरकार ने आगामी वर्ष के बजट में भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है। यह उस 1.38 लाख करोड़ रुपये से अतिरिक्त होगी जिसका जिक्र सरकार ने सामाजिक विकास के मद में किया है।

देश की आबादी के सामाजिक-स्तर को ऊंचा उठाने और लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के सरकार ने तमाम प्रयास अपने बजट में किए हैं। इनकी सफलता निश्चित ही इनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। लेकिन इस सरकार की सफलता इस बात में है कि वह इस दिशा में सोच रही है और लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में इसकी ओर संकेत भी किया है। "हमने देश के किसानों, गरीब वर्ग के लोगों एवं समाज के अन्य कमजोर तबकों को संरचनात्मक बदलावों और अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर का लाभ पहुंचाने तथा देश के अल्पविकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस वर्ष के बजट में इन लाभों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा विशेषकर कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है।"

(लेखक समाचार-पत्र दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं।)
ई-मेल : nitinpradhan@gmail.com

ग्रामीण भारत में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा

—बालेन्दु शर्मा दाधीच

डिजिटल इंडिया जैसी पहले से चल रही योजनाओं को मजबूती देने की कोशिश की गई है तो दूरसंचार के क्षेत्र में उभरती हुई तकनीकों पर भी सरकार का ध्यान गया है, जैसेकि 5 जी। कुल मिलाकर तकनीकी क्षेत्र के लिए इस बार का बजट भविष्योन्मुखी और नवोन्मेषी दिखाई देता है जिसमें भारत की आत्मा, अर्थात् ग्रामीण समाज के विकास को बढ़ावा देने की मंशा झलकती है।

वित्तवर्ष 2018-19 का आम बजट तकनीकी क्षेत्र में पिछले वर्षों के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाता है। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कुछ महत्वाकांक्षी घोषणाएं की हैं तो कुछ विवादास्पद मुद्दों पर सरकार का रुख भी स्पष्ट किया है। बजट की मूल भावना के अनुरूप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में भी ग्रामीण भारत पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने ऐसी तकनीकों पर भी ध्यान दिया है जो आजकल दुनिया भर में चर्चित हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, डिजिटल विनिर्माण, बिग डाटा विश्लेषण, क्वांटम कम्प्यूटेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और ब्लॉकचेन। इन आधुनिक तकनीकों पर फिलहाल कम ही देशों की सरकारों ने अपनी दिशा, नीतियों और निवेश को स्पष्ट किया है।

इधर डिजिटल इंडिया जैसी पहले से चल रही पहलों को मजबूती देने की कोशिश की गई है तो दूरसंचार के क्षेत्र में उभरती हुई तकनीकों पर भी सरकार का ध्यान गया है, जैसेकि 5 जी। कुल मिलाकर तकनीकी क्षेत्र के लिए इस बार का बजट भविष्योन्मुखी और नवोन्मेषी दिखाई देता है जिसमें भारत की आत्मा, अर्थात् ग्रामीण समाज के विकास को बढ़ावा देने की मंशा झलकती है।

कुछ लोग इसे अगले आम चुनावों के साथ भी जोड़कर देखते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसे पिछले कुछ वर्षों की योजनाओं के मद्देनजर एक निरंतरता के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अचानक या कोई पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों की सुध ली है। वह पिछले तीन-चार साल से लगातार सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास और

प्रसार के लिए काम करती रही है।

बजट में ग्रामीण भारत से ताल्लुक रखने वाले सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र संबंधी प्रमुख प्रावधान हैं—

- डिजिटल इंडिया के लिए 3037 करोड़ रुपये आवंटित
- 1.5 लाख नई ग्राम पंचायतों को मार्च, 2019 तक ग्रामीण भारत से जोड़ा जाएगा।
- भारत नेट के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन।
- ग्रामीण भारत के लिए पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे।
- 5 करोड़ ग्रामीण लोगों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य।

शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए ब्लैकबोर्ड से डिजिटल बोर्ड की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला। शिक्षा संबंधी आधारभूत ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

उपरोक्त घोषणाओं के संदर्भ में गौर करने की बात यह है कि देश में पहले ही एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़ा जा चुका है। चूंकि हर पंचायत एक से अधिक गांवों का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए ब्राडबैंड सुविधा से लाभान्वित होने वाले गांवों

की संख्या करीब ढाई लाख आंकी गई है। इन पंचायतों को भारत नेट के तहत दूरसंचार विभाग की ओर से 100 एमबीपीएस की गति से ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाती है। इस कामयाबी को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने जा रही है, जिससे पांच करोड़ ग्रामीण लोगों को ब्राडबैंड सुविधा मिल सके। याद रहे भारत नेट का नाम पहले राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) था जिसे कुछ महीने पहले यह नया नाम दिया गया है।

अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी को पांच करोड़ लोगों तक पहुंचाने





बजट 2018—19
डिजिटल पहल

❖ उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में मदद हेतु मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम लांच किया जाएगा।

5,00,000 वाईफाई हॉट स्पॉट्स के जरिए 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक ब्राडबैंड की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

❖ एक स्वदेशी 5G test bed आईआईटी, चेन्नई में स्थापित किया जाएगा

का महत्वाकांक्षी आंकड़ा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह डिजिटल इंडिया की सफलता और ज्ञान समाज की स्थापना के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। वित्तमंत्री ने दुरुस्त कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिहाज से भी तकनीक बेहद जरूरी है।

सरकार ने रोबोटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और ब्लॉकचेन से क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की है। ये सभी नई प्रौद्योगिकियां हैं जो आईटी उद्योग के लिए अगली बड़ी संभावना खड़ी करने जा रही हैं। इनसे व्यापक बदलाव आएगा, जिसके परिणामस्वरूप न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में वृद्धि का नया रास्ता खुल सकता है बल्कि समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था को भी योगदान किया जा सकेगा। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि “साइबर और भौतिक प्रणालियों का संयोजन न केवल नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करेगा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और जीवनशैली को भी लाभान्वित करेगा। अनुसंधान, प्रशिक्षण, बिग डाटा विश्लेषण, क्वांटम कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, एआई, डिजिटल विनिर्माण और आईओटी में कौशल निर्माण के लिए कौशल विकास या उत्कृष्टता केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है।” उसी के अनुरूप वित्तमंत्री ने 2018—19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में आवंटन दोगुना कर 3,073 करोड़ रुपये कर दिया है। उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का समर्थन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग साइबर—भौतिक सिस्टम पर एक मिशन का शुभारंभ करेंगे।

5 जी मोबाइल इंटरनेट : दूरसंचार विभाग (डीओटी) भारत में 5 जी इंटरनेट प्रौद्योगिकी के विकास की खोज करेंगे और इसके लिए आईआईटी, चेन्नई में एक परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। आईआईटी, मद्रास में एक 5 जी परीक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना पहले ही दिसंबर 2017 में घोषित की गई थी

और अगले छह महीनों के भीतर इसके द्वारा परिचालन शुरू कर दिए जाने की उम्मीद है।

रेलवे पर वाईफाई : सरकार की दृष्टि सभी स्टेशनों और ट्रेनों को वाईफाई इंटरनेट के साथ जोड़ने की है। यह लक्ष्य तुरंत हासिल नहीं किया जा सकता लेकिन पिछले दो वर्षों से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों को भी जोड़ा गया है।

शिक्षा : ‘ब्लैकबोर्ड से डिजिटल बोर्ड’ में जाने का सपना, बजट भाषण में एक और बड़ा विचार है। इससे एक बड़ा संदेश निकल कर आ रहा है और वह यह कि सरकार शिक्षा के आधुनिकीकरण तथा आधुनिकतम तकनीकों व सुविधाओं का व्यापक—स्तर पर प्रसार करना चाहती है। हालांकि इस दिशा में तय किए गए लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हैं लेकिन वे अत्यधिक प्रासंगिक और समयानुकूल हैं। हालांकि भारत में शिक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूकता का व्यापक प्रसार हुआ है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। इस लिहाज से कक्षाओं को डिजिटल कक्षाओं में बदलने का प्रावधान मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसमें से तकनीकी उद्योग के लिए व्यापक—स्तर पर कारोबारी विस्तार के अवसर भी सृजित होने वाले हैं।

ब्लॉकचेन : आजकल दुनिया भर में इस तकनीक की चर्चा हो रही है जो डिजिटल माध्यमों से तीव्र गति से तथा सुरक्षित ढंग से धन के लेनदेन को संभव बना रही है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राएं भी इस तकनीक का उपयोग कर रही हैं। वित्तमंत्री ने बिटकॉइन और दूसरी वैकल्पिक डिजिटल मुद्राओं पर सरकार का रुख स्पष्ट कर भ्रम की स्थिति को भी दूर कर दिया जब उन्होंने कहा कि ये मुद्राएं कानूनी तौर पर मान्य नहीं हैं और सरकार उनके प्रयोग को हतोत्साहित करेगी। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि बिटकॉइन के प्रति सरकार के कठोर रुख का अर्थ यह नहीं है कि इसके पीछे की तकनीकों को भी वह नकारात्मक दृष्टि से देखती है। वास्तव में ब्लॉकचेन को दुनिया भर में आर्थिक लेन—देन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी परिघटना के रूप में देखा जा रहा है और भारत सरकार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि उसकी दृष्टि नवोन्मेष के समर्थन में है। वित्तमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए ब्लॉक—शृंखला प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कोशिश करेगी।

तकनीक और दूरसंचार से इतर अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिनसे तकनीकी क्षेत्र के सेवा प्रदाता किसी न किसी तरह लाभान्वित होंगे। मिसाल के तौर पर कम नगदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की सरकार की नीति। आज भी पीटीएम, भीम, मोबिक्विक जैसी तकनीकें और कारोबार सरकार की इस नीति का लाभ उठाकर खड़े हुए हैं। नोटबंदी के बाद से डिजिटल लेनदेन का क्षेत्र एक क्रांति से गुजर रहा है। नए सरकारी प्रावधान उसे और गति दे सकते हैं। वित्तमंत्री ने कहा है

कि कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों को असंगठित क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। जाहिर है, नई तकनीकों के विकास और अमल के लिए संभावनाएं पैदा हो रही हैं।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूनिवर्सल इंश्योरेंस मिशन) के तहत 50 करोड़ भारतीयों को उदार स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी-वित्तपोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम होगा। अगर सरकार को इतने बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचना है और उन्हें व्यावहारिक रूप से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है तो वह प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना संभव नहीं हो सकेगा। इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी और उनकी उत्पादकता के लिए तकनीकी सुविधाओं की भी।

बजट में स्मार्ट शहरों, डिजिटल इकोनॉमी जैसे कुछ प्रमुख विषयों के साथ-साथ पेपरलेस (कागज रहित) बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को रेखांकित किया गया है। तकनीकी कंपनियों ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि वित्तीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर, स्मार्ट सड़कों और सौर-ऊर्जा जैसे स्मार्ट शहरों की योजनाओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों से पता चलता है कि हम 2025 तक एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी बनने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

बजट पर हार्डवेयर उद्योग ने कुछ निराशा प्रकट की है जिसे उम्मीद थी कि भारत में हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी रियायतों की घोषणा की जा सकती है। अलबत्ता स्मार्टफोन के आयात पर सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत कर दिए जाने

रेलवे

- यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी स्टेशनों और ट्रेनों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
- मुंबई परिवहन प्रणाली का विस्तार किया जाएगा तथा 90 किलोमीटर की डबल लाइन तथा 150 किलोमीटर का अतिरिक्त उप-नगरीय नेटवर्क जोड़ा जाएगा।
- 17000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बंगलूरु को 160 किलोमीटर का उप-नगरीय नेटवर्क प्रदान किया जाएगा।

#NewIndiaBudget

रेलवे

- 600 मुख्य रेलवे स्टेशनों का पुनःविकास किया जाएगा।
- आगामी दो वर्षों में 4267 मानवरहित क्रासिंग को समाप्त करना।
- जिन स्टेशनों पर 25000 से अधिक सख्या में यात्री आते हैं, वहां एस्कलेटर्स को लगाया जाएगा।

#NewIndiaBudget

से घरेलू स्मार्टफोन विनिर्माता लाभान्वित होंगे। याद रहे, पिछले 12 महीनों के भीतर स्मार्टफोनों के आयात पर सीमा शुल्क में यह तीसरी बढ़ोत्तरी है। फरवरी 2017 में यह दस फीसदी थी जिसे दिसंबर 2017 में बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया था। इस तरह केंद्रीय बजट 2018 भारत में नए व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहन देता है। कुछ स्वदेशी मोबाइल फोन विनिर्माताओं ने इस पर सकारात्मक टिप्पणी भी की है जिन्हें लगता है कि मोबाइल फोन पर 20 प्रतिशत तक के बुनियादी सीमा शुल्क में वृद्धि की घोषणा भारत में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे भारतीय विनिर्माताओं को देश के भीतर और बाहर बाजार के दोहन में मदद मिलेगी। उम्मीद करनी चाहिए कि बजट इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा।

स्टार्टअप क्षेत्र के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणाएं तो बजट में नहीं की गई हैं लेकिन कोई नकारात्मक प्रावधान भी नहीं है। बल्कि ग्रामीण, दूरसंचार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में तकनीक से प्रभावित जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, उनसे स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाएं जरूर पैदा होनी चाहिए। सरकार ने लघु और मध्यम उपक्रमों को आयकर में राहत देते हुए 250 करोड़ रुपये की सीमा के दायरे में आने वाले उपक्रमों पर आयकर को 25 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है। बहुत से स्टार्टअप भी इससे लाभान्वित होंगे। याद रहे, भारत में स्टार्टअप्स को पहले पांच साल तक कर में छूट का प्रावधान पहले ही प्राप्त है। पांच साल के बाद उन्हें इस तरह के प्रावधानों से लाभ होगा।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ई-मेल : balendu@gmail.com

समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम

—आशीष कुमार

सरकार ने देश के सभी स्कूलों में ब्लैकबोर्ड को स्मार्ट बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से ग्रामीण शिक्षा में ढांचागत बदलाव आएंगे। स्मार्ट बोर्ड में टीचर किसी विषय में उसकी 3 डी इमेज दिखला सकता है। शिक्षा में इंटरैक्टिव लर्निंग पर शिक्षाविदों द्वारा हमेशा से जोर दिया जाता रहा है। इसके तहत बचपन से बच्चों को डिजिटल शिक्षा में दक्ष किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।


“शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं।” नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जी के अनुसार— “भारत की आत्मा गांवों में बसती है।” यूं तो आजादी के बाद गांव, सरकार की नीतियों के केंद्र में रहा है तथापि इसके बावजूद ग्रामीण ढांचे में आशानुरूप बदलाव दृष्टिगत नहीं होते हैं। बात चाहे बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत संरचना की हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास जैसी सामाजिक सेवाओं की हो। आज भी ग्रामीण भारत इन मसलों में शहरों के मुकाबले कमतर नजर आता है। दरअसल आजादी के बाद ग्रामीण भारत के लिए जिस गहनता से प्रयास किए जाने चाहिए थे, वह न हो सके। बात अगर भारत में शिक्षा के लिए सरकारी नीतियों के इतिहास की जाए तो वर्ष 1948 में डॉ. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, वर्ष 1952 में मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा तथा वर्ष 1964 में दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन समग्र शिक्षा के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। शिक्षा में व्यापक बदलाव वर्ष 1986 की शिक्षा नीति में देखने को मिलता है, इसमें वर्ष 1992 में संशोधन कर और व्यापक एवं समावेशी बनाया गया। इसी समय से शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर जोर दिया गया। इस नीति के तहत शिक्षा में सुधार के लिए विविध कार्यक्रम जैसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, लोक जुम्बिश, महिला समाख्या, मिड डे मील कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान आदि चलाए गए। भारत में शिक्षा के लिए वर्ष 2009 सबसे अहम कहा जा सकता है, इसी वर्ष शिक्षा को हर बच्चे के लिए मूलभूत अधिकार के अनुरूप शिक्षा का अधिकार और निशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। इस वर्ष के बजट को, जोकि ग्रामीण विकास और शिक्षा पर केंद्रित माना जा रहा है, भारत की आत्मा के लिए सभी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। इस बार के बजट में ग्रामीण भारत के ढांचागत स्वरूप में क्रांतिकारी बदलाव के बीज छुपे हैं।

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमृत्य सेन ने लिखा है कि भारत समय से अपनी प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश न करने की कीमत भुगत रहा है। यह सच है कि किसी भी समाज की प्रगति की नींव शिक्षा की मजबूत दशा व स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता मानी गई है। शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा की मजबूती से ही समाज में

समता का मार्ग खुलता है। यह व्यक्ति को तमाम कौशल विकास के लिहाज से भी अपरिहार्य मानी गई है।

‘शिक्षा के अधिकार’ में प्राथमिक-स्तर पर प्रति अध्यापक 30 छात्र और जूनियर-स्तर पर प्रति अध्यापक अधिकतम 35 छात्रों की बात कही गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की खराब दशा का एक बड़ा कारण अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा दिया जाना है। इसके चलते ही शिक्षा की दशा में अपेक्षित सुधार नहीं आ रहा। इस साल के बजट में शिक्षा के आधारभूत ढांचे में उन्नयन के लिए राइज (RISE) योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। सरकार ने 13 लाख अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की बात भी कही है। इसके लिए पिछले वर्ष शिक्षक दिवस (5 सितम्बर, 2017) के अवसर पर स्थापित ‘दीक्षा’ पोर्टल के माध्यम से तकनीकी मदद दी जाएगी। बड़ी मात्रा में अध्यापकों की भर्ती के जरिए शिक्षक-छात्र अनुपात को सुधारा जाएगा। आशा की जा सकती है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आएगा।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि... “शौचालय नहीं होने से लड़कियां पढ़ाई-लिखाई छोड़ने को विवश हो जाती हैं तथा आर्थिक गतिविधियों में योगदान नहीं दे पाती हैं। इस वर्ष, सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 करोड़ शौचालय का निर्माण



करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत आंगनवाड़ी में भी शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। बाल शिक्षा में आंगनवाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। इस कदम से शिक्षा को स्वच्छता से जोड़ दिया गया है। इसका असर ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलेगा।

एक समय था कि गांव में छात्र दीपक व लैंप जलाकर ही पढ़ाई किया करते थे। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पिछले साल दिसंबर में 'सौभाग्य' योजना की शुरुआत की गई है।

इसमें ग्रामीण परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिलवाने पर जोर दिया जा रहा है। अगर सभी को बिजली मिलेगी तो शिक्षा का प्रदर्शन उन्नत हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिवावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता का एक बड़ा कारण गरीबी, नियमित आय न होना भी है। ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर खेतों में काम के लिए जोर देते हैं। इस बार के बजट में ग्रामीणों की आय में सुधार के लिए सरकार ने कृषि में लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने की बात कही है। इसके साथ ही देश के 22000 ग्रामीण हाटों को उन्नत कर ग्रामीण बाजार में बदलने का निर्णय लिया गया है। किसान इन बाजारों में अपनी फसल सीधे व्यापारियों को बेच सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान की खराब होने वाली फसल आलू, प्याज, टमाटर आदि के संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये से 'ऑपरेशन ग्रीन' की शुरुआत की जाएगी। जिस तरह ऑपरेशन फलड से गांवों में दूध उत्पादन में अपार वृद्धि हुई, उसी तरह से यह योजना ग्रामीण परिवेश में सब्जी उत्पादकों के लिए काफी बदलाव लाएगी। इन कदमों से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी जिसके चलते ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और आय वृद्धि का असर ग्रामीण शिक्षा पर भी पड़ेगा।

आज ग्रामीण इलाकों में भी तकनीक का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। लगभग हर किसी के पास मोबाइल है। स्मार्ट मोबाइल पर शिक्षा से जुड़े तमाम एप ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। इसरो ने एडुसैट लांच कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विद्याज्ञान जैसे कार्यक्रमों के जरिए निजी क्षेत्र भी ग्रामीण शिक्षा में काफी मदद कर रहे हैं।

सरकार ने देश के सभी स्कूलों में ब्लैकबोर्ड को स्मार्टबोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से ग्रामीण शिक्षा में ढांचागत बदलाव आएंगे। स्मार्ट बोर्ड में टीचर किसी विषय में उसकी 3 डी इमेज दिखला सकता है। शिक्षा में इंटरैक्टिव लर्निंग पर शिक्षाविदों द्वारा हमेशा से जोर दिया जाता रहा है। इसके तहत बचपन से बच्चों को डिजिटल शिक्षा में दक्ष किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। आज के चुनौतीपूर्ण समाज के लिए सिर्फ परंपरागत शिक्षा से हम भविष्य के नागरिक तैयार नहीं कर सकते



- शिक्षा**
- योजना और वास्तुकला के दो नये स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
 - आईआईटी और एनआईटी में 18 नए एसपीए (स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर) स्थापित किए जाने हैं।
 - आईआईटी तथा आईआईएससी में पीएचडी करने के लिए 1000 बोटिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ)।



#NewIndiaBudget

हैं। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डाटा एनालिसिस, डीप लर्निंग, ऑटोमेशन जैसे नए विचारों को समाज में जगह मिल रही है तो हमें भी उसी के अनुरूप अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी। अगर हम इसमें पिछड़ गए तो अपनी जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। डिजिटल डिवाइड जैसी नूतन समस्या भी सरकार की नजर में हैं। इसीलिए सरकार बड़ी मात्रा में ग्रामीण इलाकों में तेज ब्राडबैंड की पहुंच पर जोर दे रही है। नेशनल ऑप्टिक

फाइबर मिशन के तहत देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को तेज इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

इस बजट में सरकार ने कहा है कि लर्निंग आउटकम सभी कक्षाओं के लिए तैयार कर लिए गए हैं। इससे कोई भी अभिवावक, शिक्षक यह जान सकेगा कि बच्चा जिस क्लास में है, क्या वह वाकई उसके योग्य है या नहीं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ कमजोर छात्रों के लिए विशेष प्रयास किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा के लिए एक नवाचार फंड का गठन भी किए जाने की बात की गई है। नवाचार पर सरकार इस समय खूब जोर दे रही है। नवाचार, भविष्य के लिए एक दीपक का कार्य करेगा। नीति आयोग राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए जोर दे रहा है। इसके अनुरूप सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण को मिलाकर एक अम्बेला कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एकीकृत बीएड के लिए भी योजना बनाई जा रही है। इन कदमों से शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में फैले बिखराव पर रोक लग सकेगी। शिक्षा में एकरूपता आएगी।

सरकार बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर कम करने के लिए शिक्षा के अधिकार का कक्षा-8 से आगे की कक्षाओं तक विस्तार करने का विचार कर रही है। प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण परिवेश में कक्षा-8 के बाद पढ़ने के लिए अभिवावक भी उत्साह नहीं दिखाते हैं। अगर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अगली कक्षा में लागू होगा तो निश्चित ही हम देश के लिए ज्यादा बेहतर नागरिक तैयार कर सकेंगे।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 4213 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। इसमें 4.5 लाख अध्यापकों को सेवा के साथ परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। 1500 नए विद्यालयों में आईसीटी अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। लड़कियों के लिए 100 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। इससे बालिका शिक्षा में काफी सुधार होगा। प्रायः देखा गया है कि छात्राओं में ड्रापआउट की दर ज्यादा होती है। इन छात्रावासों के जरिए काफी हद तक ड्रापआउट दर में कमी की आशा की जा सकती है। 600 नए माध्यमिक स्कूल खोले जाने का भी निर्णय



इस बजट में लिया गया है। बजट में इस योजना के मध्यावधि परिणाम के रूप में शिक्षा और शिक्षण परिणामों की गुणवत्ता में सुधार की आशा की गई है। ज्यादा माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता से ऊपरी कक्षा में बच्चों के नामांकन की दर में भी सुधार होगा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1000 नए स्कूलों को शुरू किया जाना है। इसके जरिए स्कूलों में व्यावसायिक कौशल की व्यवस्था होगी। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी लाभ ले सकेगा।

सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' अभियान को 22 जनवरी, 2015 से शुरू किया है। इस कार्यक्रम का असर लिंग अनुपात में सुधार के रूप में देखा गया है। इस साल इस योजना के लिए पिछले वर्ष के 186.04 करोड़ रुपये के मुकाबले भारी वृद्धि करते हुए 280 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कस्तूबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत सन 2004 में उन लड़कियों के लिए की गई थी जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देती हैं। इन विद्यालयों में पढ़ाई के साथ-साथ रहने व खाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है।

पिछले कुछ समय से यह देखने में आ रहा था कि जनजातीय क्षेत्रों में अभिवावक आवासीय विद्यालयों को ज्यादा वरीयता देते हैं। इसकी वजह नक्सल, चरमपंथ आदि समस्याओं को माना जाता है। इन समस्याओं के चलते बच्चों की स्कूली शिक्षा बहुत प्रभावित होती है। इस वर्ष सरकार ने जनजातीय समुदाय के शैक्षिक उन्नयन हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की बात कही है। इसके तहत सन 2022 तक हर जनजातीय ब्लॉक (ऐसे ब्लॉक जहां जनजातीय समुदाय का आबादी में 50 प्रतिशत से अधिक भाग हो) में एक विद्यालय खोल दिया जाएगा। यह विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पर खोले जाएंगे। निश्चित ही ये विद्यालय जनजातीय समुदाय के शैक्षिक उन्नति के लिए वरदान साबित होंगे।

एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। भारत सरकार ने इस वर्ष ग्रामीण भारत के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर साल 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा के रूप में मदद प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 1.5 लाख वैलनेस सेंटर खोलने के लिए भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण इलाके में बीमारी पर खर्च तेजी से बढ़ा है और प्रायः देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोग बीमारी के इलाज में कर्ज लेते हैं और उसके जाल में उलझ कर रह जाते हैं जिसका सीधा असर शिक्षा पर पड़ता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण इलाके में बीमारी पर खर्च की लागत न के बराबर रह जाएगी और ग्रामीण पैसे के अभाव में अपने बच्चों को स्कूल से निकाल कर, कामकाज पर भेजने के लिए मजबूर न होंगे।


सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, अधिगम की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा के जरिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति आदि है। यह भारत सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रमुख योजना है। इस बार बजट में 26128.81 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें 8.22 करोड़ रुपये की पाठ्यपुस्तकें मुफ्त वितरित की जानी हैं। क्लासरूम में बेहतर शिक्षक और छात्र अनुपात होगा। स्कूल में बेहतर उपलब्धता और पहुंच लगभग 96.5 प्रतिशत हो सकेगी। स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्थानीय नवोन्मेषी सामग्री के जरिए सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की शिक्षा और पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर जोर देना है। सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रति जिला 25 लाख रुपये का आवंटन किया है। इससे ग्रामीण परिवेश के छात्र भी विज्ञान में न केवल ज्ञान अर्जित कर सकेंगे बल्कि वह राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे।

'साक्षर भारत' की शुरुआत सन 2009 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन हुई थी। इसका उद्देश्य गैर-साक्षरों को शिक्षा देना, स्त्री-पुरुष साक्षरता में अंतर को 10 प्रतिशत तक सीमित करना, साक्षरता-स्तर पर शहरी-ग्रामीण असमानता को कम करना, साक्षरता का अनुपात 2011 के स्तर 73 से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना है। पहले इसमें अक्षर ज्ञान पर जोर दिया गया था। अब इसको विस्तारित करते हुए इसमें विधिक शिक्षा के ज्ञान को भी जोड़ा गया है जिसकी मदद से ग्रामीण न केवल साक्षर बन सकेंगे, साथ ही वह कानूनी अधिकारों के बारे में भी ज्यादा जागरूक हो सकेंगे। इसमें चुनाव, डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बजट में इस कार्यक्रम के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत एक करोड़ गैर-साक्षरों को मूलभूत साक्षरता दी जाएगी।

स्वयं पोर्टल- यह तकनीक का शिक्षा में अनुप्रयोग है। इसके तहत 593 ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। जिसको डीटीएच टीवी से जोड़ दिया गया है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इसमें सबसे अच्छे अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम, उच्च-गुणवत्ता वाले पाठन-संसाधनों तक पहुंच, सबके लिए सुनिश्चित की गई है। इसके साथ-साथ सारांश, ई-बस्ता, शाला-सिद्धि, स्टेम स्कूल, विद्यांजलि योजना आदि के जरिए सरकार डिजिटल तकनीक को जरिया बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, समावेशी शिक्षा आदि के लिए अथक प्रयास कर रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : ashunao@gmail.com



शिक्षा

- वर्ष 2022 तक सभी जनजातीय ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
- 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपयेके निवेश से शिक्षा में अवसरचना तथा तंत्र का पुनरुद्धार (आरआईएसई)।
- वड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।



#NewIndiaBudget

ग्रामीण आजीविका और रोजगार

-डॉ. के.के. त्रिपाठी

बजट में आजीविका तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटित कर कृषि पर आधारित त्वरित ग्रामीण वृद्धि की बात कही गई है। कृषि और ग्रामीण विकास में संसाधनों के अधिक आवंटन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन, आय एवं संपत्ति निर्माण के साथ आर्थिक वृद्धि तेज करना तथा खपत मांग में वृद्धि करना है।

केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणाओं से दो दिन पहले संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा ने अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा अगले वित्त वर्ष में किसानों की आय बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसमें जलवायु परिवर्तन के आसन्न प्रभाव पर चिंता भी जताई गई क्योंकि उससे देश की मानसून पर निर्भर कृषि अर्थव्यवस्था में संकट बढ़ सकता है और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का लक्ष्य पूरा करने में वह बाधा साबित हो सकता है।

समीक्षा में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीकों के जरिए सिंचाई का व्यापक विस्तार करने, प्रत्यक्ष आय सहायता के जरिए बिजली एवं उर्वरक सब्सिडी को उचित लाभार्थियों तक पहुंचाने, कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार तथा कृषि उपज एवं उत्पादकता बढ़ाने पर बहुत जोर देने की हिमायत की गई है, लेकिन बजट से पहले नागरिकों को आय, संपत्ति, रोजगार तथा बुनियादी ढांचे में सुधार की अपेक्षा थी ताकि कारोबारी सुगमता का माहौल सुनिश्चित हो सके। ऐसे में यह लेख 2018-19 के बजट में प्राथमिकता प्राप्त करने वाले कुछ कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी मुद्दों की चर्चा करते हुए सरकार की नीतिगत दिशा और सामाजिक-आर्थिक मंशा बताने का प्रयास करेगा।

ग्रामीण आजीविका एवं बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन

बजट में आजीविका तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटित कर कृषि पर आधारित त्वरित ग्रामीण वृद्धि की बात कही गई है। कृषि और ग्रामीण विकास में संसाधनों के अधिक आवंटन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन, आय एवं संपत्ति निर्माण के साथ आर्थिक वृद्धि तेज करना तथा खपत मांग में वृद्धि करना है। व्यय के प्रमुख मदों के रुझानों (तालिका-1) पर नजर डालने से पता चलता है कि समाज कल्याण की गतिविधियों के लिए आवंटन में 2017-18 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 14.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है, उसके बाद कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (12.8 प्रतिशत), शिक्षा (3.8 प्रतिशत), स्वास्थ्य (2.8 प्रतिशत) और ग्रामीण विकास (1.8 प्रतिशत) के लिए आवंटन बढ़ा।

सात चुनिंदा महत्वपूर्ण मंत्रालयों एवं विभागों को 2018-19 में किए गए आवंटन की तुलना 2017-18 के आवंटन से करने पर (तालिका-2) पता चलता है कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी गई है, जिनके बाद कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, कौशल विकास तथा उद्यमिता, महिला एवं बाल कल्याण, ग्रामीण विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को तरजीह दी गई है।

तालिका 1: बजट 2018-19 में व्यय के प्रमुख मदों में रुझान

व्यय के मद	व्यय/आवंटन (करोड़ रुपये)			2017-18 की तुलना में 2018-19 में आवंटन में वृद्धि (प्रतिशत)
	2016-17 वास्तविक	2017-18 संशो. अनु.	2018-19 बजट अनु.	
1	2	3	4	5
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	50,184	56,589	63,836	12.8
शिक्षा	72,016	81,869	85,010	3.8
स्वास्थ्य	39,005	53,198	54,667	2.8
ग्रामीण विकास	113,877	135,604	138,097	1.8
समाज कल्याण	31,812	38,624	44,220	14.5

संशो. अनु.: संशोधित अनुमान, बजट अनु.: बजट अनुमान
 स्रोत: केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2018-19 में केंद्र सरकार के व्यय लेखा में दिए आंकड़ों से संकलित

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन हेतु आवंटन में 2017-18 के बजट अनुमानों की तुलना में 22.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, जबकि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को पिछले वर्ष की तुलना में 14.7 प्रतिशत अधिक एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय को 12.7 प्रतिशत अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश, खरीदारों की बेहतर मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित रोजगार सृजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि के वाहक रहे हैं। लेकिन कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग को 18-19 में किया गया आवंटन 17-18 के बजट अनुमानों के मुकाबले 11.3 प्रतिशत कम है। इससे पता चलता है कि कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग संसाधनों का उपयोग नहीं कर

पाता है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों को किए गए अधिक धन के आवंटन ने 2017-18 के बजट आवंटन तथा संशोधित आवंटन के बीच भारी सकारात्मक अंतर पैदा किया है। 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में ग्रामीण विकास को आवंटन में 12,956 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

कृषि एवं कृषक कल्याण

वर्ष 2018-19 के बजट में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का वायदा दोहराया गया है, किसानों की परेशानी को समझा गया है और कृषि उत्पादों के लिए मूल्य खोज प्रणाली बहाल करने के महत्व पर जोर डाला गया है ताकि किसानों को अपनी उपज की ऊंची कीमत हासिल हो सके। उत्पादन, उत्पादकता, खेतों से मुनाफा तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। उनमें से प्रमुख हैं - (i) कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 1.5 गुना करना, (ii) अधिक से अधिक मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) से जोड़ना, (iii) ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) में विकसित करना, (iv) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों से ग्रामीण बाजारों को आपस में जोड़ना, (v) क्लस्टर आधारित कृषि उत्पाद विकसित करना, (vi) जैविक खेती को बढ़ावा देना, (vii) कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीस' का आरंभ, (viii) मत्स्यपालन तथा पशुपालन से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, (ix) मत्स्यपालन, जलजीवपालन तथा पशुपालन के लिए समर्पित कोष की स्थापना, (x) ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये करना।

बजट में इनपुट सामग्री की उपलब्धता, बाजार में आवक, बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव और कृषि उत्पादों की मांग तथा कृषि रकबे में वृद्धि पर विमुद्रीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए कृषि में उत्पादन जोखिम तथा मूल्य जोखिम कम करने की भी बात कही गई है। कृषि में अनिश्चितताओं और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए बजट में फसल एवं पशु बीमा योजनाओं, आधुनिकीकरण तथा बेहतर कृषि लॉजिस्टिक्स के प्रावधान और कृषि बाजारों के निकट भंडारण की पर्याप्त सुविधा समेत बाजार की उपलब्धता समेत आवश्यक प्रभावी सरकारी हस्तक्षेपों का वायदा किया गया है। लागत से 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी में कृषि का घाटा कम करने की संभावना है, लेकिन यदि सरकार मांग के पक्ष का ध्यान नहीं रखती है तो यह कदम समूची अर्थव्यवस्था के लिए संभवतः लाभदायक नहीं होगा।

सुनिश्चित एवं गुणवत्तायुक्त सिंचाई के लिए 2015-16 में एकीकृत सिंचाई उपाय के रूप में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आरंभ की गई थी, जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल और वाटरशेड विकास घटक जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। बजट 2018-19 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 9,429 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2017-18 के बजट अनुमान से 27.8 प्रतिशत अधिक हैं (तालिका-3)। हालांकि यह कार्यक्रम एकदम नया है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई ढांचे के नियोजित तथा एकीकृत विकास की आवश्यकता है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत अभी तक जिन गतिविधियों की योजना बनाई गई है, उन्हें समयबद्ध तरीके से मिशन की तरह क्रियान्वित करना होगा।

तालिका-2: 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों में बजट आवंटन

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	आवंटन (करोड़ रुपये)				2018-19 में आवंटन वृद्धि (प्रतिशत)		
		2016-17	2017-18		2018-19	तुलना में वृद्धि		
		वास्तविक	ब. अ.	सं. अ.	ब. अ.	वास्तविक 2016-17	सं. अ. 2017-18	ब. अ. 2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि, सहकारिता व परिवार कल्याण	40,626	52,655	46,105	46,700	15.0	1.3	-11.3
2	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा	5,995	6,800	6,992	7,800	30.1	11.6	14.7
3	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन	2,376	2,921	2,606	3,580	50.7	37.4	22.6
4	सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम	3,650	6,482	6,482	6,552	79.5	1.1	1.1
5	ग्रामीण विकास	15,6287	1,70,442	1,78,936	1,83,398	17.3	2.5	7.6
6	कौशल विकास एवं उद्यमिता	1,553	3,016	2,356	3,400	118.9	44.3	12.7
7	महिला एवं बाल विकास	17,097	22,594	21,737	25,200	47.4	15.9	11.5

सं. अ.: संशोधित अनुमान, ब. अ.: बजट अनुमान

स्रोत: केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2018-19 में केंद्र सरकार के व्यय लेखा में दिए आंकड़ों से संकलित

तालिका-3: 2017-18 और 2018-19 में कोर ऑफ द कोर और प्रमुख (कोर) योजनाओं हेतु बजट आवंटन

क्र. सं.	क्षेत्र/योजनाएं	आवंटन (करोड़ रुपये)				2018-19 में आवंटन वृद्धि (प्रतिशत) से तुलना	
		2016-17	2017-18		2018-19	सं. अ. 17-18	ब. अ. 17-18
		वास्तविक	ब. अ.	सं. अ.	ब. अ.		
1	2	3	4	5	6	7	8
ट	कोर ऑफ द कोर योजना	69,548.9	71,756.5	78,076.5	77,690.7	-0.5	8.3
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)	48,214.9	48,000	55,000	55,000	0.0	14.6
2	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	8,854	9,500	8,744.5	9,975	14.0	5.0
3	अनु. जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक विकास योजनाएं	10,972.5	12,676.4	12,701.6	10,428.8	17.9	17.7
4	अन्य	1,507.5	1,580.1	1,630.4	2,286.9	40.26	44.7
आ	प्रमुख योजनाएं	2,41,295.5	2,78,433.2	2,85,581.4	3,05,517	6.9	9.7
5	हरित क्रांति	10,105.0	13,741	11,184.6	13,908.9	24.3	1.2
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	5,133.9	7,377.4	7,392.1	9,429	27.5	27.8
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	17,922.8	19,000	16,900	19,000	12.4	0.0
8	प्रधानमंत्री आवास योजना	20,951.7	29,042.8	29,042.8	27,505	-5.3	-5.3
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	3,486.4	4,849	4,699	6,060	29.0	29.1
10	अन्य	1,83,695.7	2,04,423	2,16,362.9	2,29,614.1	6.1	12.3

सं. अ.: संशोधित अनुमान, ब. अ.: बजट अनुमान
 स्रोत: केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के व्यय लेखा के खंड 4ए से संकलित

ग्रामीण रोजगार

वर्ष 2018-19 के बजट में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के महत्व को रेखांकित किया गया है, जो गुणवत्ता एवं उत्पादकता युक्त सामुदायिक संपत्तियां एवं उद्यम तैयार करने वाले पारिश्रमिक एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम हैं।

पारिश्रमिक एवं स्वरोजगार के कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा ही प्रभावी माना जाता है क्योंकि गांवों में आमतौर पर गरीबी बहुत अधिक होती है, कामकाज में सहभागिता कम होती है और अस्थायी श्रम की अधिकता होती है। मनरेगा और एनआरएलएम के लिए आवंटन में 2017-18 के बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 14.6 और 29.1 प्रतिशत वृद्धि हुई (तालिका-3)।

वर्ष 2018-19 में 230 करोड़ व्यक्ति-दिन तैयार करने, 10

लाख संपत्तियां तैयार करने और 60 लाख नए कार्य पंजीकृत करने के उद्देश्य से 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा से पता चलता है कि यह योजना आवंटित राशि का उपयोग तो बड़े पैमाने पर कर लेती है, लेकिन इसमें समुदाय के लिए गुणवत्तायुक्त संपत्तियां तैयार नहीं हो पाई हैं क्योंकि गुणवत्ता वाली संपत्तियों के सृजन पर कम ध्यान दिया जाता है, कार्ययोजना और डिजाइन में दोष होता है, उचित परियोजनाओं तथा कार्यस्थलों का चयन नहीं किया जाता है। कार्यों की समीक्षा नहीं की जाती है, कार्यों की डिजाइन का गलत अनुमान लगाया जाता है, कार्य का निष्पादन अकुशल तरीके से होता है और पर्याप्त तकनीकी निगरानी भी नहीं की जाती। इन अवरोधों के बावजूद मनरेगा के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिक आवंटन बताता है कि ग्रामीण आय तथा ग्रामीण भारत में रोजगार सृजित करने वाले सार्वजनिक कार्य के लिए सार्वजनिक निवेश करने में सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। लेकिन इस समय ऐसे बेहतरीन विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता है, जो मनरेगा के अंतर्गत समुदायों के स्तर पर परिणाम आधारित सार्वजनिक कार्य की योजना बना सकें तथा निगरानी कर सकें ताकि (अ) स्थायी एवं टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के सृजन के जरिए आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने और (आ) मनरेगा कार्य के

जरिए सिंचाई संभावना के विस्तार के बजट के उद्देश्य पूरे हो सकें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वरोजगार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं— दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के लिए 5,750 करोड़ रुपये का बजट अनुमान रखा गया है, जिसके तहत 70 लाख परिवारों को स्वयंसहायता समूहों में शामिल किया जाएगा और 1.75 लाख स्वयंसहायता समूहों को समुदाय निवेश कोष प्रदान कराया जाएगा। ग्राम-स्तर पर उद्यमिता विकास की डीएवाई-एनआरएलएम की प्रणाली का उद्देश्य प्रोत्साहन देने वाला उद्यमी ढांचा तैयार करना और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को अपना स्थानीय उद्यम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही 2017-18 में डीएवाई-एनआरएलएम



बजट 2018-19

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था



बांस यानी 'हरा सोना'

- ✦ वन क्षेत्र से बाहर पैदा होने वाले बांस को वृक्ष की परिभाषा से हटाया गया
- ✦ पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन का शुभारंभ
- ✦ बांस क्षेत्र को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन



ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs)

- ✦ कृषि विपणन के बुनियादी ढांचे की स्थापना, विकास और उन्नयन हेतु 2000 करोड़ रुपये का एग्री-मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
- ✦ राष्ट्रीय कृषि बाजार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ना और APMC के नियमों से छूट
- ✦ किसानों को उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को सीधे बिक्री करने की सुविधा प्रदान करना



के अंतर्गत स्थापित होने वाले ग्रामीण उद्यम हमारे 5.5 लाख गांवों के लिए वृद्धि के वास्तविक वाहक ही साबित नहीं होंगे बल्कि (अ) स्वयंसहायता समूहों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने, (आ) पारिवारिक आय को आधार रेखा से अधिक करने और (इ) लाखों ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण और नौकरी सुनिश्चित करने में भी मदद करेंगे। एनआरएलएम को ग्रामीण क्षेत्रों में सफल और सतत उपाय बनाने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक-स्तर पर सलाहकार समितियों को आर्थिक गतिविधियों में समुचित विविधता लानी होगी और उसे अन्य विभागों के प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं नियुक्ति केंद्रित कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष

वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि तथा ग्रामीण विकास के महत्व को ठीक से पहचाना गया है और उसी के अनुसार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि एवं गैर-कृषि रोजगार, ग्रामीण एवं कृषि बाजार सुधार तथा पुनर्जीवन, कृषि उत्पादों के लिए मूल्य प्राप्ति, ग्रामीण कनेक्टिविटी, आय, फसल बीमा, रोजगार सृजन, सिंचाई आदि में निवेश का सुझाव दिया गया है। बजट का मुख्य जोर निवेश के नए अवसरों की घोषणा कर, ग्रामीण एवं कृषि बुनियादी ढांचा तैयार कर, ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय की योजनाओं एवं गतिविधियों का एकीकरण कर, वेतन एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आवंटन बढ़ाकर कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को नया रूप देने पर रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मत्स्यपालन और पशुपालन करने वाले किसानों को भी देने से उन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए मत्स्यपालन तथा जलजीवन विकास कोष एवं पशुपालन क्षेत्र के लिए पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में आय, संपदा तथा रोजगार बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा।

बजट में किसानों के लिए लगातार बढ़ती आय सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी संबंधी नीतिगत उपाय को नया रूप देने का प्रयास किया गया है। बजट में लागत से 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी की घोषणा सराहनीय है, लेकिन इसके कारण खाद्य महंगाई, सरकारी खजाने से सब्सिडी पर अधिक खर्च और देश में फसल के तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव जैसे दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष पर ध्यान देना होगा।

इस समय मनरेगा और डीएवाई-एनआरएलएम जैसे अधिक आवंटन वाले रोजगार सृजन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। मनरेगा की गतिविधियों को सतत कृषि कार्यों के साथ सामयिक एवं समुचित नया रूप मिले, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा तथा संपत्तियों की योजना, कार्य का क्रियान्वयन, निगरानी एवं योजनागत गतिविधियों का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे। इसी प्रकार डीएवाई-एनआरएलएम में लाखों ग्रामीण उद्यमी तथा उद्यम तैयार करने की संभावना है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए जिला/ब्लॉक-स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की तुरंत समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि लाभार्थियों में पर्याप्त उद्यमशीलता उत्पन्न कर, उन्हें प्रशिक्षण देकर तथा स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर उसे ग्रामीण-स्तर पर नीचे से ऊपर तक लागू किए जाने योग्य, आसानी से अपनाए जाने योग्य, विविधता-भरा और अधिक लाभदायक बनाया जा सके।

कृषि एवं ग्रामीण विकास में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की अकूत संभावना है। बजट 2018-19 में कृषि तथा ग्रामीण विकास क्षेत्र हेतु आवंटन में वृद्धि तथा अब तक के सबसे अधिक ऋण प्रवाह की संभावना का उद्देश्य लाखों किसानों और कृषि तथा ग्रामीण गतिविधियों पर आश्रित ग्रामवासियों के विश्वास को दोबारा बहाल करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण क्रांति, रोजगार सृजन, गरीबी में कमी एवं कौशल उन्नयन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किंतु बजट में कृषि तथा ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधियों से संबंधित जो भी घोषणाएं एवं नीतिगत निर्देश किए गए हैं, उन्हें लागू करना तथा लाभदायक बनाना एवं व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाना असली चुनौती है।

(लेखक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के निदेशक हैं।)
ई-मेल: tripathy123@rediffmail.com

ग्रामीण ढांचे की मजबूत होती नींव

—शिखा जुवाल, जया प्रियदर्शिनी

देश के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में मुख्य अंतर बुनियादी ढांचा सुविधाओं तक पहुंच के कारण है। अनियोजित शहरीकरण अथवा शहरी संकुचन और ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में पलायन की चुनौतियों का कारण इन बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच और बेहतर जीवन-स्तर का अभाव है। ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान करने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा बल्कि देश के समग्र विकास में भी मदद मिलेगी। परंतु, इन सुविधाओं के प्रावधान के लिए व्यापक निवेश आवश्यक है। इस आलेख में यह आकलन करने का प्रयास किया गया है कि 2018-19 के आम बजट में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए किन प्रावधानों की घोषणा की गई है। सर्वविदित है कि यह क्षेत्र देश के समग्र विकास का स्तंभ है।

“भारत का भविष्य गांवों में बसता है” — महात्मा गांधी। भारत आज भी गांवों में बसता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का 68 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। भारत में 6.4 लाख गांव हैं और भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा भाग ग्रामीण है। शहरीकरण की प्रक्रिया हालांकि अत्यंत तीव्र है, फिर भी यह अनुमान है कि 2050 तक आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती आजीविका का प्रमुख साधन है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार हैं। कृषि क्षेत्र न केवल भारत की खाद्य-आपूर्ति की जरूरतें पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कृषि-आधारित उद्योगों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों आदि के विकास को भी प्रोत्साहित करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में 46 प्रतिशत योगदान है और 70 प्रतिशत श्रमिक गांवों में रहते हैं।

ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की क्षमता का पूर्ण दोहन ग्रामीण ढांचे तक समुचित पहुंच के अभाव में संभव नहीं है। इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कें, बाजार, विद्युत, जल और सिंचाई सुविधाएं आदि आती हैं। इन क्षेत्रों के समग्र विकास में ग्रामीण ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी सहायता से ग्रामीण निर्धनों के बड़े हिस्से तक पहुंचा जा सकता है। अगर ग्रामीण ढांचे की स्थिति बेहतर नहीं होगी, या फिर ग्रामीण ढांचा विद्यमान ही नहीं होगा, तो खेती की उपज के विपणन की लागत गरीब किसानों के लिए असहनीय हो जाएगी। ग्रामीण ढांचे के अभाव के कारण

दूरदराज के कृषि क्षेत्रों की यात्रा करने और उनसे संपर्क करने की व्यापारियों की क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बाजार पहुंच सीमित रह जाएगी और किसानों की उपज के लिए प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। बेहतर ग्रामीण सड़क नेटवर्क से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। इससे नए क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने अथवा विस्तारित बाजार अवसरों का लाभ उठाते हुए वर्तमान खेती योग्य भूमि का सघन उपयोग करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आबादी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए यह जरूरी है कि ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिनमें ग्रामीण सड़कें, रेलमार्ग, पुल, सिंचाई नेटवर्क, जलापूर्ति, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बाजार और विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में मुख्य अंतर बुनियादी ढांचा सुविधाओं तक पहुंच के कारण है। अनियोजित शहरीकरण अथवा



तालिका-1 : ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	बजट अनुमान 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	37340.71	38500.00	48000.00	55000.00	15%
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	10116.20	15000.0	23000.00	21000.00	(-) 9%
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	18289.87	19000.0	19000.00	19000.00	0%
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	8616.40	9500.00	9500.00	9975.00	5%
राष्ट्रीय आजीविका मिशन –आजीविका	2514.35	3000.0	4500.00	5750.00	28%
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन	32.05	300.0	1000.00	1200.00	20%
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए कुल	76909.58	85300.00	105000.00	111925.00	7%
ग्रामीण मंत्रालय को आवंटित कुल	77369.17	96055.80	105447.88	112403.92	7%

नोट : ये आंकड़े केवल सकल बजटीय सहायता को प्रस्तुत करते हैं।

(स्रोत : व्यय बजट 2018-19 और 2017-18)

शहरी संकुलन और ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में पलायन की चुनौतियों का कारण इन बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच और बेहतर जीवन-स्तर का अभाव है। ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान करने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा बल्कि देश के समग्र विकास में भी मदद मिलेगी। परंतु, इन सुविधाओं के प्रावधान के लिए व्यापक निवेश आवश्यक है। इस आलेख में यह आकलन करने का प्रयास किया गया है कि 2018-19 के आम बजट में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए किन प्रावधानों की घोषणा की गई है। सर्वविदित है कि यह क्षेत्र देश के समग्र विकास का स्तंभ है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल

इस वर्ष के बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान करने, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, ढांचा निर्माण और देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक संसाधन प्रदान करने में राज्यों के साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था की गई है।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में आजीविका, कृषि और अनुशंगी गतिविधियों और ग्रामीण ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धन का प्रावधान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने का वायदा किया है। वर्ष 2018-19 के बजट में ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसर पैदा करने और ढांचागत विकास के लिए अतिरिक्त बजटीय और गैर-बजटीय संसाधनों सहित कुल 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य 321 करोड़ कार्यदिवसों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, 3 लाख किलोमीटर से अधिक

लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण, 51 लाख नए ग्रामीण मकान, 1.88 करोड़ शौचालयों का निर्माण और 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के साथ-साथ खेती के विकास को प्रोत्साहित करना है।


ग्रामीण आजीविका और ढांचा निर्माण के लिए प्रावधान

ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए समग्र बजट आवंटन में पिछले वर्ष यानी 2017-18 के बजट (जीबीएस) की तुलना में 7 प्रतिशत वृद्धि की गई है। ग्रामीण ढांचे और आजीविका के प्रावधान के लिए अपेक्षित ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा नीचे तालिका-1 में दिया गया है।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसी योजनाओं के लिए पिछले वर्ष के बजट की तुलना में क्रमशः 28 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। इससे बजट की प्रबल धारणा का पता चलता है कि उसमें भूमिहीन परिवारों के लिए खेती और गैर-खेती रोजगार के उत्पादक और लाभकारी अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में महिला स्वयंसहायता समूहों को ऋण के लिए पिछले वर्ष की तुलना में करीब 37 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है। ये स्वयंसहायता समूह महिलाओं को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनमें महिलाएं गैर-कृषि उद्यमों और अनुशंगी कृषि क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी अदा करती हैं। इन महिलाओं के सशक्तिकरण की बढ़ोतरी गरीबी दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलती है।

ग्रामीण आवास

आवास किसी भी नागरिक की बुनियादी जरूरत होता है, जो मानव जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए अत्यंत



#न्यू इंडिया बजट

नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए

- बुनियादी ढांचे के लिए करीब 6 लाख करोड़ रुपये आवंटित; ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से ज्यादा घर बनाए जाएंगे
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को समय से पहले 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य
- रेलवे की क्षमता की कमी को दूर करने और तकरीबन पूरे नेटवर्क को ब्राडगेज में बदलने के लिए रेलवे कैपेक्स 1,48,528 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया
- एयरपोर्ट की क्षमता 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर एक साल में एक अरब ट्रिप तक ले जाई जाएगी
- 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक ब्रॉडबैंड सुविधाएं पहुंचाने के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे

महत्वपूर्ण है। किसी बेघर व्यक्ति के सिर पर छत होने से उसे एक अनिवार्य संपत्ति प्राप्त होती है और उसकी भौतिक एवं मानसिक खुशहाली में सुधार आता है। अतः ग्रामीण आवास की जरूरत पूरी करना और विशेष रूप से निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आवास की कमी दूर करना सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों की आवास संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करते हुए बजट में यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान 49 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों की संख्या एक करोड़ (2017-18 में बनाए गए 51 लाख मकानों सहित) से अधिक हो जाएगी। इस कदम से निर्माण क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा और मकान बनाने के लिए अपेक्षित कच्चे माल की खरीद से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होगा, और कुशल एवं मैन्युअल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएमएवाई के अंतर्गत 2018-19 के बजट में 12 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों सहित 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय आवास बैंक में सस्ते मकानों के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्ध कोष बनाया जाएगा।

ग्रामीण सड़कें


सड़कें सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने, आवागमन को सुगम बनाने और लोगों को आवाजाही की आजादी प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देश में एक भरोसेमंद और तीव्रगामी सड़क नेटवर्क के महत्व को स्वीकार करते हुए और इसे ध्यान में रखते हुए कि आर्थिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है, भारत ने पिछले कुछ दशकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

के जरिए एक विस्तृत सड़क नेटवर्क विकसित किया है। इस वर्ष पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 57,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और 28.35 करोड़ कार्यदिवसों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के अंतर्गत दूरदराज के और पिछड़े क्षेत्रों तथा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक निर्बाधित कनेक्टिविटी (संचार व्यवस्था) प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर पहले चरण में 35,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर 5,35,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सरकार के इस कदम से दूरदराज के और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा और अन्य ढांचागत सुविधाओं में पहुंच कायम करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण विद्युत

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत निम्नांकित कार्यों के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों सहित ₹18,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है :

(i) एक लाख गांवों का गहन विद्युतीकरण (ii) एक लाख सर्किट किलोमीटर की 11 केवी लाइनों सहित फीडर सेग्रेगेशन, (iii) 600 सब-स्टेशन (नए और विस्तारित) चालू करना, (iv) उज्ज्वला कार्यक्रम के अंतर्गत आठ करोड़ निर्धन महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन वितरित करना और सौभाग्य योजना के अंतर्गत चार करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली के कनेक्शन देना आदि। इन सब उपायों से ग्रामीण जीवन में रचनात्मक बदलाव आएगा। बिजली के कनेक्शनों से लघु उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा और सतत जलापूर्ति की बंदौलत कृषि उत्पादकता में सुधार आएगा। परिष्कृत संचार सुविधाओं से ग्रामीण जनमानस की खुशहाली बढ़ेगी।



आवास

- नेशनल हाउसिंग बैंक में किफायती आवासीय निधि स्थापित की जाएगी।
- वर्ष 2022 तक सभी निर्धनों के लिए आवास।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक मकानों तथा शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकानों का लक्ष्य नियत किया गया है।
- सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत 4 करोड़ मकानों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

#NewIndiaBudget

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता

लोकप्रिय सफाई अभियान, जिसे स्वच्छ भारत मिशन का नाम दिया गया है, से ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों को निश्चित रूप से लाभ पहुंचा है और स्कूली विद्यार्थी इस कार्यक्रम का प्रतीक बन गए हैं, जो अपने परिवारों और सहपाठी समूहों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छह करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और बजट में 1.88 करोड़ पारिवारिक शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव है। इससे 16.92 करोड़ कार्यदिवसों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वर्तमान बजट में इस प्रयोजन के लिए ₹ 15,000 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों सहित ₹ 30,343 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस कदम से ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सौंदर्य और जातीयता की रक्षा होगी। बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 84,000 बस्तियों में पाइप जलापूर्ति कार्यक्रम और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से ढांचागत निर्माण का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण ब्रॉडबैंड

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी विकास के महत्वपूर्ण संकेतकों में से

एक है। भारत नेट परियोजना के तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है, जिसकी बदौलत 20 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को ब्रॉडबैंड एक्सेस (पहुंच) प्रदान की जा सकी है और करीब ढाई लाख गांवों को लाभ पहुंचा है। दूरसंचार ढांचे के निर्माण और संवर्धन के लिए ₹ 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए बुनियादी ढांचे का प्रावधान

आर्थर लेविस के अनुसार “अगर कोई राष्ट्र उद्योगीकरण चाहता है, तो उसे अपने किसानों को समृद्ध बनाना चाहिए”। कृषि क्षेत्र के वाणिज्यीकरण की आवश्यकता हाल ही में महसूस की गई है। बजट में कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और यह वायदा किया गया है कि समान आकार की ज़मीन से कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त करने में किसानों की सहायता की जाएगी। वर्ष 2018-19 के बजट में ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क और कृषि बाजारों का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में मदद करने के ठोस उपाय किए जा सकें। इसके लिए आयात और निर्यात केंद्रित कार्यनीति और भावी बाजार में भागीदारी की भी

सहायता ली जाएगी। इसके अतिरिक्त बजट में ग्रामीण ढांचे के निर्माण के साथ-साथ किसानों की आय में सुधार लाने तथा उनके लाभ के लिए कृषि उपज के मूल्य का पता लगाने में अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। बजट में मौजूदा 22,000 ग्रामीण बाजारों को ग्रामीण कृषि मंडियों के रूप में विकसित और उन्नत बनाने का प्रावधान है, ताकि 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की देखभाल की जा सके। ये ग्रामीण कृषि मंडियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-नैम से संबद्ध होंगी और एपीएमसीज़ के विनियमों से उन्हें छूट प्राप्त होगी, जिससे किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं तथा बल्क खरीदारों को बेचने की सुविधा मिल सकती है। इसके अतिरिक्त 22,000 ग्रामीण कृषि मंडियों और 585 एपीएमसीज़ में कृषि विपणन ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये का कृषि मंडी बुनियादी ढांचा कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। अत्यंत विशिष्टता युक्त चिकित्सीय और सुगंधित पौधों की संगठित खेती के लिए 200 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। बड़ी बस्तियों में कृषक उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उत्पादक संगठनों द्वारा विशेष रूप से 1000

तालिका-2 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम का नाम	ब.अ. 2017-18	ब.अ. 2018-19	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) प्रति बूंद अधिक फसल	3400.00	4000.00	18%
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जैविक कृषि, परंपरागत कृषि विकास योजना, बागवानी और कृषि विपणन मिशन आदि को मिलाकर हरित क्रांति	13741.00	13908.82	1.2%
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों की कुल लागत	17141.00	17908.82	5 %
केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम/परियोजनाएं			
फसल बीमा कार्यक्रम	9000	13000	45%
किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी	15000	15000	0%
बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम और समर्थन मूल्य कार्यक्रम	199.30	200.00	0.4%
केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुल	24199.30	28200.00	17%

(स्रोत : बजट व्यय 2018-19 और 2017-18)

नोट : ये आंकड़े केवल सकल बजटीय सहायता को दर्शाते हैं।

हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। आजीविका को प्रमुख माध्यम के रूप में स्वीकार करते हुए कृषि को बजट में समुचित मान्यता दी गई है और किसानों के बेहतर जीवन-स्तर की उम्मीद की गई है।

तालिका-2 से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसानों के फसल बीमा कार्यक्रम के बजट में 45 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। बजट में मत्स्य क्षेत्र के लिए मत्स्य उद्योग और जलजीव पालन ढांचा विकास कोष (एफएआईडीएफ) और पशुपालन क्षेत्र की ढांचागत जरूरतों के वित्तपोषण के लिए एक पशुपालन ढांचा विकास कोष (एएचआईडीएफ) का प्रस्ताव किया गया है और इन दोनों नए कोषों के लिए कुल ₹ 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। “ऑपरेशन फ्लड” की तर्ज पर ₹ 500 करोड़ के परिव्यय के साथ एक नया कार्यक्रम “ऑपरेशन ग्रींस” घोषित किया गया है, जिसका लक्ष्य शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं जैसे प्याज, टमाटर, आलू आदि के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की समस्या का समाधान किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों की संतुष्टि के अनुसार किया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन 2017-18 के ₹ 715 करोड़ की तुलना में 2018-19 के बजट में लगभग दोगुना किया गया है, जिसके लिए 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बांस (हरित स्वर्ण) की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 1290 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन को नया रूप दिया गया है, ताकि बांस क्षेत्र को समग्र रूप में प्रोत्साहित किया जा सके। केंद्र सरकार किसानों को सोलर वाटर पंपों की स्थापना में सहायता पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि किसानों को उनके खेतों की सिंचाई में मदद की जा सके। किसान क्रेडिट कार्डों की सुविधा का विस्तार मत्स्य उद्योग और पशुपालक कृषकों तक किया गया है ताकि उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद पहुंचाई जा सके। कृषि उत्पादों के निर्यात को उदारीकृत करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण के जरिए ग्रामीण देखभाल

उत्पादक अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ और शिक्षित मानव संसाधन अनिवार्य हैं। बजट में इस तथ्य का महत्व समझा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण पर 2018-19 के बजट में ₹ 1.38 करोड़ का बजटीय व्यय अनुमानित है। वर्ष 2017-18 के बजट में इसके लिए 1.22 लाख करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित था। जनजातीय बच्चों को उनके परिवेश में उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 2022 तक ऐसे प्रत्येक खंड में नवोदय विद्यालयों के समकक्ष एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो और उनमें कम से कम 20,000

जनजातीय लोग शामिल हों। इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान और ढांचा संबंधी निवेश बढ़ाने के लिए अगले 4 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे “2022 तक शिक्षा में ढांचागत और प्रणालीगत बदलाव” का नाम दिया गया है।

वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम नाम के एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की भी घोषणा की, जो सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें 10 करोड़ निर्धन और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को कवर किया जाएगा और प्रत्येक परिवार पर माध्यमिक एवं तृतीयक अस्पताल देखभाल के लिए 5 लाख रुपये तक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के लिए 1200 करोड़ रुपये देने का भी प्रस्ताव किया। इसके अंतर्गत लोगों के घरों के आसपास 1.5 लाख स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने का प्रस्ताव है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों की दहलीज पर पहुंचाया जा सकेगा। सरकार ने क्षय रोग के सभी रोगियों को उनके उपचार के दौरान 500 रुपये प्रति माह की दर से पोषण सहायता प्रदान करने हेतु 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। देश में वर्तमान जिला अस्पतालों का उन्नयन करते हुए 24 नए राजकीय चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल खोलने का प्रस्ताव एक बड़ा कदम है, जिसे अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी।

निष्कर्ष

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जरूरत पर सही ध्यान दिया गया है और आवास, सड़कें, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार/ब्रॉडबैंड आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यापक निवेश की पेशकश की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने और तत्संबंधी ढांचा कायम करने के लिए बजट में भौतिक और वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है, जिसके अभाव में समावेशी और स्थायी विकास एक दिवास्वप्न है। बजट निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में ग्रामीण परिदृश्य में रचनात्मक बदलाव की उम्मीद जगाता है।

(लेखिका द्वय नीति आयोग, भारत सरकार में आर्थिक अधिकारी हैं।)

ईमेल : shikha.juyal@nic.in, jp.yarikipati@gov.in

आगामी अंक
अप्रैल, 2018 : कृषि और संबद्ध क्षेत्र

महिलाओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन

—सुरभि गौड़

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है उनका सशक्तिकरण और सशक्तिकरण भी अनेक स्वरूपों में; जिसमें पहला पक्ष है: सुरक्षा, जन्म से पहले और जन्म के बाद; दूसरा पक्ष है: सम्मान, समाज में और संस्थाओं में; तीसरा पक्ष है : समावेशन—अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा समाज में तथा चौथा पक्ष है सहभागिता— पारिवारिक निर्णयों व राष्ट्रीय नीति निर्माण। वर्तमान सरकार 2014 से ही इस दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। बजट 2018-19 महिला सशक्तिकरण के अनेक लक्ष्यों को संजोए हुए है।

समाजिक लोकतांत्रिकता और राष्ट्र के स्वास्थ्य का निर्धारण महिलाओं की सहभागिता और सशक्तिकरण से होता है। जिससे हमारी संस्कृति भी हमेशा सरोकार रखती रही है लेकिन हम अपने आदर्शों को व्यावहारिक रूप नहीं दे पाए। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है उनका सशक्तिकरण और सशक्तिकरण भी अनेक स्वरूपों में; जिसमें पहला पक्ष है: सुरक्षा—जन्म से पहले और जन्म के बाद; दूसरा पक्ष है: सम्मान— समाज में और संस्थाओं में; तीसरा पक्ष है : समावेशन—अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा समाज में तथा चौथा पक्ष है सहभागिता— पारिवारिक निर्णयों व राष्ट्रीय नीति निर्माण। वर्तमान सरकार 2014 से ही इस दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। बजट 2018-19 महिला सशक्तिकरण के अनेक लक्ष्यों को संजोए हुए है।

सुरक्षित, स्वस्थ महिला और स्वस्थ समाज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

सरकार की निरंतर एवं अथक कोशिशों के नतीजे अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत मार्च-अप्रैल, 2015-16 और 2016-17 के लिए चयनित 161 जिलों में से 104 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में सुधार की प्रवृत्ति, 119 जिलों द्वारा पहली त्रैमासिक पंजीकरण में प्रगति और 146 जिलों में संस्थागत वितरण में सुधार प्रतिस्पर्धी दृश्यमान हैं। यूनिफाइड जिला सूचना प्रणाली शिक्षा (यू-डीआईएसई) 2015-16 के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 76 प्रतिशत (2013) के मुकाबले 80.97 प्रतिशत हो गया है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की सफलता को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट ने इसके 'पैन इंडिया' विस्तार की मंजूरी दी है और वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक प्रस्तावित खर्च 1132.5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर, 2016 को गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के संपूर्ण भारत में कार्यान्वयन की घोषणा की जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच, उपचार और अस्पतालों में प्रसव के लिए पात्र गर्भवती महिलाओं को स्वीकार्य मानदंडों के


अनुसार 6000 रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। बजट 2018-19 में इस योजना के लिए 2400 करोड़ का प्रावधान रखा है, जोकि वर्ष 2017-18 की तुलना में 19.01 प्रतिशत अधिक है।

स्वस्थ महिला और बाल विकास

सुरक्षित, स्वस्थ महिला और बाल विकास का सपना अब हकीकत लगने लगा है। एनएफएचएस (4) में एनएफएचएस (3) की तुलना में अंडरवेट (5 वर्ष से कम) बच्चों की संख्या में 4.8 प्रतिशत, अविकसित बच्चों की संख्या में 5.5 प्रतिशत तथा जीर्ण ऊर्जा की कमी (18.5 से कम बीएमआई) (बीच में 15-49 वर्ष) में 12.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। स्वस्थ महिला, बाल विकास और स्वस्थ राष्ट्र के सपने को हासिल करने के लिए सरकार ने बजट 2018-19 के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 16334.88 करोड़ और राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

समावेशी विकास और सशक्त महिलाएं महिलाओं का आर्थिक समावेश

भारत में महिला श्रमबल की भागीदारी 24 प्रतिशत है जबकि यह विश्व-स्तर पर 40 प्रतिशत है। अर्थशास्त्री और उद्योग जगत के दिग्गजों का तर्क है कि महिला श्रम भागीदारी में सुधार से ही



*आवंटित राशि: ₹ (करोड़ में)

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। महात्मा गांधी के अनुसार आर्थिक समानता का असली अर्थ है 'प्रत्येक को अपनी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हो।' राष्ट्रपिता के इस सपने को सच करने के लिए सरकार ने महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए बजट 2018-19 में 1365.58 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जोकि गत वर्ष से 378.18 करोड़ रुपये ज्यादा है। औपचारिक क्षेत्र में अधिक महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने और उनके लिए उच्च मजदूरी को निर्धारित करने के लिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में संशोधन करके, ईपीएफ में महिला कर्मचारियों के योगदान देने में 4 प्रतिशत की छूट प्रदान की है जिसके फलस्वरूप श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा तथा साथ-साथ उनके घर ले जाने के वेतन में वृद्धि होगी।

महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार की मुद्रा योजना को पहली बार उद्यमियों को ब्याज की रियायती दर पर धन देने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों में 76 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसलिए सरकार ने बजट 2018-19 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 3 लाख करोड़ रुपये आवंटन का लक्ष्य रखा है। यह योजना महिलाओं की सृजनात्मक एवं परिवर्तनात्मक विचारधारा को हकीकत के धरातल पर चरितार्थ करने में प्रभावशाली भूमिका अदा करेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पुरुषों द्वारा शहरी उत्प्रवासन बढ़ने से, 'कृषि क्षेत्र का नारीकरण' हो रहा है, जिससे किसानों, उद्यमियों और मजदूरों के रूप में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्लस्टर में जैविक कृषि को लेने के लिए महिला स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खेती में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को बढ़ाने के लिए ग्रामीण महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों को मार्च 2019 तक 75000 करोड़ रुपये ऋण दिया जाएगा।

किशोर लड़कियों के लिए योजना

इस योजना के अंतर्गत किशोरावस्था (11-14) की लड़कियों को पोषण सहायता और गैर-पोषण के तहत व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसके लिए वर्ष 2017-18 में 460 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिससे 81.97 लाख लड़कियां लाभान्वित हुईं। बजट 2018-19 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह योजना अब भारत के 508 चयनित जिलों में लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत 40.26 लाख लड़कियां लाभान्वित होंगी।

महिला शक्ति केंद्र योजना

महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत महिलाओं के मुद्दों को ग्रामीण-स्तर पर सुलझाने के लिए तथा सरकारी योजनाओं के लाभ उन तक पहुंचाने के लिए विद्यार्थी और स्वयंसेवी लोग तैनात



किए गए। बजट 2018-19 में इस योजना के अंतर्गत 267.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस योजना के तहत 640 जिलों में महिलाओं के लिए जिला-स्तर केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो महिलाओं से संबंधित सभी पहलुओं के लिए जिला-स्तर पर अभिसरण प्रदान करेंगे। ब्लॉकों, जिलों, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र की व्यवस्था की गई है।

उज्जवला: महिलाओं का आत्मसम्मान

बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री ने 01 मई, 2016 को बलिया में उज्जवला योजना की शुरुआत की थी जिसका लक्ष्य व्यापक रसोईगैस कवरेज, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा और खाना पकाने के समय को कम करना सुनिश्चित किया गया। उज्जवला योजना का लक्ष्य लगभग 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था, लेकिन उज्जवला योजना के कार्यान्वयन की गति और महिलाओं के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने बजट 2018-19 में 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बजट 2018-19 में उज्जवला योजना के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 3200 करोड़ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और 50 करोड़ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा खर्च किए जाएंगे। जिसमें महिलाओं की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन नम्बर: 1906 जारी किया है।

महिला सुरक्षा और समानता

स्वामी विवेकानंद के अनुसार, 'दुनिया का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता है, केवल एक पंख पर उड़ना पक्षी के लिए संभव नहीं है।' सरकार इसी को चरितार्थ करने हेतु हर मोर्चे पर विविध संभावित प्रयास कर रही है।

महिला सुरक्षा और महिलाओं का आत्मसम्मान वर्तमान सरकार की पहली और महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दिल्ली पुलिस (एएचए और डीईआईटीवाई) ने जनवरी 2015 में मोबाइल ऐप 'हिम्मत' की शुरुआत की ताकि दिल्ली में महिलाओं में आत्मविश्वास

बढ़े, परेशानी में महिलाओं की मदद की जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2017 के दौरान 28 राज्यों में कोड 181 के साथ 10 नई महिला हेल्पलाइन शुरू की गई, जिसके अंतर्गत पिछले एक साल में 11 लाख से अधिक महिलाओं ने अपनी कॉल दर्ज कराई हैं।

सरकार द्वारा निर्भया कोष के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिसका लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निर्भया कोष के अंतर्गत रेलवे ने एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन (IERM) परियोजना संचालित की है जिसमें स्टेशनों और ट्रेनों पर महिला यात्रियों को 24x7 सुरक्षा प्रदान करने के लिए 983 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी और निगरानी कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीवीसीएफ), जोकि एक समग्र निधि है। अंतर्गत राज्यों/संघशासित प्रदेशों को उनकी पीड़ित मुआवजा योजना (वीसीएफ) का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत-तंत्र (SHeBox) शुरू किया गया है। वर्ष 2017 में 51 ओएससी के अतिरिक्त 117 नए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की शुरुआत की गई हैं। इन 168 केंद्रों ने 70,000 से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है। ये केंद्र 32 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में पुलिस, मेडिकल, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता तक पहुंच और अस्थायी आश्रय सहित कई सेवाओं के लिए एकल खिड़की प्रदान करते हैं।

बजट 2018-19 में सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 81.75 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया है जिसमें से 19.75 करोड़ रुपये महिला सुरक्षा योजनाओं (दिल्ली पुलिस) हेतु आवंटित किया गया है जिसका उपयोग आवश्यक वस्तुओं और उपकरणों की उपलब्धता, महिला पुलिस बल की क्षमता, स्कूलों/कॉलेजों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत 36 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में राज्य इमरजेंसी रिस्पॉंस सिस्टम (एसईआरएस) और राष्ट्रीय डाटा सेंटर (एनडीएस) की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त 37 करोड़ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सीसीपीडब्ल्यूसी ऑनलाइन पोर्टल का संचालन के लिए आवंटित किए गए हैं।

सरकार प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान कर रही है। परिणामस्वरूप भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रही हैं जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं: सशस्त्र बलों के सभी युद्धक वर्गों में महिलाओं का प्रवेश, भारतीय वायुसेना में पहली 3 महिला युद्धक पायलटों को शामिल करना, पुलिस बल में गैर-राजपत्रित पदों पर सीधे भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत

महिलाओं के लिए बजट: 2018-19



आरक्षण (एमएचए) तथा सीआरपीएफ में दो और महिला बटालियन (एमएचए) बनाई जाएंगी।

महिलाओं को आर्थिक मोर्चे पर सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों की मार्केटिंग में उनकी मदद के लिए सरकार ने ई-महिला ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समावेशन लागू करके महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करना और प्रौद्योगिकी का फायदा उठाकर उनके उत्पादों के लिए एक विपणन प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिससे अब तक 26,000 स्वयंसहायता समूह पंजीकृत 5 लाख महिला शिल्पियों को लाभ पहुंचा है। केंद्र सरकार की 'स्टैंडअप इंडिया योजना' के अंतर्गत 18,565 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

एकल माताओं को पहचान प्रदान करने के लिए उनके पक्ष में पासपोर्ट के नियमों में भी संशोधन किया गया है। अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व के विकास के लिए सरकार ने बजट 2018-19 के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य संवेदी और सशक्त महिलाओं की संख्या में वृद्धि और उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम करना है।

सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सुविधा देने एवं लाभान्वित करने के लिए कई अप्रत्यक्ष योजनाओं के लिए भी बजट में विभिन्न प्रावधान किए हैं। बच्चों की समुचित देखभाल के लिए कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश कम से कम 6 महीने के लिए भुगतान सहित अवकाश का प्रावधान रखा गया है। बजट 2018-19 के अंतर्गत 128.39 करोड़ राष्ट्रीय क्रैच योजनाओं, 60.0 करोड़ कामकाजी महिला छात्रावास के लिए, 95 करोड़ रुपये स्वाधार गृह के लिए तथा 8.28 करोड़ जेंडर बजटिंग (अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी) के लिए आवंटित किए गए हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में सहभागिता बढ़ाने और उनके आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। वर्तमान बजट इसका एक जीवंत उदाहरण है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : surbhi.gaur66@gmail.com

लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा

—हरिकिशन शर्मा

छोटे और मझोले उद्यमों के प्रति सरकार की प्राथमिकता आम बजट 2018-19 के प्रावधानों में भी परिलक्षित हुई है। आम बजट 2018-19 में न सिर्फ एमएसएमई क्षेत्र का आवंटन बढ़ाया गया है बल्कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐतिहासिक निर्णय भी किया है। साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया गया है।


भारतीय अर्थव्यवस्था, में उद्यमिता संस्कृति के विस्तार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये उद्यम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान हैं और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं। वास्तव में 'लघु और मध्यम उद्यम राष्ट्र की प्रगति और रोजगार के प्रमुख वाहक हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तकरीबन एक तिहाई योगदान एमएसएमई क्षेत्र का ही है। वर्ष 2014-15 में जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों का योगदान करीब 6.11 प्रतिशत और सेवाप्रदाता कंपनियों का योगदान 24.63 प्रतिशत था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र में तो एमएसएमई इकाइयों का योगदान धीमे-धीमे बढ़ा है लेकिन निर्माण क्षेत्र में यह स्थिर बना हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने इसके विस्तार के लिए आम बजट 2018-19 में महत्वपूर्ण राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है। साथ ही बजटीय घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत और विधायी परिवर्तन करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

वर्तमान सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने पर खासा जोर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी योजनाओं के रूप में बीते कुछ वर्षों में सरकार ने एमएसएमई उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लांच की तो उसी समय स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में छोटे और मझोले उद्योग सबसे ऊपर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, "बड़े-बड़े उद्योग सिर्फ एक करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार देते हैं जबकि 5 करोड़ 70 छोटे व मझोले उद्यमी 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। आज लगभग तीन साल बाद जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 10 करोड़ से अधिक उद्यमियों को इसका लाभ मिल चुका है और अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं।

छोटे और मझोले उद्यमों के प्रति सरकार की प्राथमिकता आम बजट 2018-19 के प्रावधानों में भी परिलक्षित हुई है। आम बजट 2018-19 में न सिर्फ एमएसएमई क्षेत्र का आवंटन बढ़ाया गया है

बल्कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐतिहासिक निर्णय भी किया है। साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया गया है।

आम बजट 2018-19 में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया गया है, ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की जा सके। इस क्षेत्र (सेक्टर) के लिए बजटीय आवंटन को वर्ष 2017-18 के 6481.96 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 6552.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विभिन्न योजनाओं (सीजीटीएमएसई के अलावा) के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के 3680 करोड़ रुपये से 59 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 5852.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के 506 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 1006 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह योजना एमएसएमई क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन में मदद करेगी। इसी तरह



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

- नकदी प्रवाह की चुनौतियों को आसान करने के लिए ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसेविबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) शुरू करना।
- सरकार अगले 3 वर्षों में सभी सेक्टरों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों की मजदूरी का 12 प्रतिशत का अंशदान करेगी।
- इस वर्ष 70 लाख औपचारिक रोजगार सृजित किए जाने हैं।
- वस्त्र सेक्टर के लिए 7184 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया।

#NewIndiaBudget



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान


वर्ष	उत्पादन/निर्माण क्षेत्र में	सेवा क्षेत्र में	जीडीपी में
2011-12	6.16	23.81	29.97
2012-13	6.27	24.13	30.40
2013-14	6.27	24.37	30.64
2014-15	6.11	24.63	30.73

स्रोत-उद्योग संबंधी संसद की स्थायी समिति की 280वीं रिपोर्ट

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवंटन को वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के 1024.49 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 1800 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि गैर-कृषि क्षेत्र में लगभग 88,000 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। इससे लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्रेडिट गारंटी कोष को पहले ही 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ-साथ संबंधित योजना में अन्य ढांचागत सुधारों की बदौलत इस सेक्टर में ऋण वृद्धि और रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि इस बार के आम बजट में एमएसएमई के लिए सबसे अहम घोषणा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के रूप में की गई है। एक फरवरी 2018 को पेश आम बजट में वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कॉरपोरेट टैक्स में चरणबद्ध ढंग से कटौती करने के वादे पर अमल करते हुए ऐसी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की जिनका सालाना टर्नओवर 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक था। सरकार के इस निर्णय से 99 प्रतिशत कंपनियों को फायदा होगा। खास बात यह है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की शत-प्रतिशत कंपनियों को इस निर्णय से लाभ मिलेगा। यह बात अलग है कि इस निर्णय से वित्तवर्ष 2018-19 में खजाने पर 7,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा लेकिन कॉरपोरेट टैक्स कम होने के बाद छोटी और मझोली कंपनियों के पास जो धनराशि बचेगी उसका इस्तेमाल वे अधिकाधिक निवेश करने के लिए कर सकेंगी जिससे अंततः रोजगार सृजन होगा और जिसका लाभ देश के युवा वर्ग को मिलेगा। केंद्र के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब सिर्फ 7,000 कंपनियां ही ऐसी बचेंगी जिन्हें, 30 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स देना होगा क्योंकि इन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से अधिक है। इस तरह सरकार ने टैक्स की दर घटाकर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को आम बजट में बड़ी राहत दी है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस तथ्य से भी जाहिर होती है कि आम बजट पेश होने



“जीएसटी के लागू होने और विमुद्रीकरण के बाद देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के (एमएसएमई) के व्यवसायों का प्रभावशाली आकार बढ़ा है। इससे एमएसएमई व्यवसायों और वित्त साधनों का बड़ा डाटा-बेस बन रहा है। इस डाटा-बेस का प्रयोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कार्यशील पूंजी सहित पूंजीगत जरूरतों के वित्त-पोषण में सुधार करने हेतु किया जाएगा।”

वित्त मंत्री अरुण जेटली

के एक सप्ताह के भीतर ही सात फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में एमएसएमई की परिभाषा को बदलने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के मौजूदा आधार – ‘संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश’ को बदलकर ‘वार्षिक कारोबार’ करने का फैसला किया है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन किया जाएगा और एमएसएमई की नई परिभाषा तय की जाएगी। नई परिभाषा के तहत ‘वार्षिक कारोबार’के आधार पर इकाईयों का वर्गीकरण किया जाएगा। दरअसल मौजूदा एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 7) में विनिर्माण इकाईयों के संबंध में ‘संयंत्र और मशीनरी में निवेश’ तथा सेवा उद्यमों के लिए ‘उपकरण में निवेश’ के मानदंड पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण किया जाता है।

एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा

विनिर्माण क्षेत्र	
उद्यम	संयंत्र और मशीनरी में निवेश
सूक्ष्म उद्यम	25 लाख रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं
मध्यम उद्यम	5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं
सेवा क्षेत्र	
उद्यम	उपकरणों में निवेश
सूक्ष्म उद्यम	10 लाख रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
मध्यम उद्यम	2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं



- दो रक्षा उद्योग उत्पादन कोरिडोरों का विकास किया जाएगा।
- घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति।
- भारतीय खाद्य निगम को पुनर्गठित किया जाएगा।
- प्रत्येक औद्योगिक उद्यम एक विशिष्ट आई-डी पाएगा।

#NewIndiaBudget

एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा में कई खामियां हैं, इसलिए इसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ी। असल में वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी उद्यम को ही यह बताना होता है कि उसने 'संयंत्र और मशीनरी' में कितना निवेश किया है। इसी के आधार पर वह एमएसएमई होने का दावा पेश करता है। हालांकि उनके इस दावे का परीक्षण किया जाता है और सही पाए जाने पर ही उन्हें एमएसएमई का दर्जा मिलता है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ खर्च बढ़ाने वाली है बल्कि यह जटिल भी है। यह 'ईज ऑफ डूइंग' बिजनेस की मूल भावना के विरुद्ध भी है। कुल मिलाकर कहें तो एमएसएमई के वर्गीकरण की मौजूदा प्रक्रिया उतनी भरोसेमंद नहीं थी। यही वजह है कि इसे बदलने का निर्णय किया गया।

इसके अलावा एक वजह यह भी है कि एक जुलाई 2017 से

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा

उपक्रम	वार्षिक कारोबार की सीमा
सूक्ष्म उद्यम	5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	5 करोड़ रुपये से 75 करोड़ रुपये तक
मध्यम उद्यम	75 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक

फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेए के अंतर्गत लाभ

बजट में फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेए के तहत वर्ष के दौरान न्यूनतम 240 दिनों तक रोजगार पाने वाले योग्य नए कर्मचारियों को मिलने वाले 100 प्रतिशत पारिश्रमिक में से सामान्य कटौती के अतिरिक्त 30 प्रतिशत वृद्धि की कटौती की अनुमति है। हालांकि वस्त्र उद्योग में न्यूनतम रोजगार की अवधि में 150 दिनों तक की छूट है। वित्तमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि फुटवियर और चमड़ा उद्योग को भी न्यूनतम 150 दिनों की छूट मिलने से इस क्षेत्र में नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री जेटली ने 30 प्रतिशत कटौती को तार्किक बनाने के लिए ऐसे नए कर्मचारी को लाभ देने का प्रस्ताव किया है जिसे पहले वर्ष के दौरान न्यूनतम अवधि से कम रोजगार मिला लेकिन आगामी वर्षों में उसे न्यूनतम अवधि का रोजगार प्राप्त हुआ।

देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद जीएसटी नेटवर्क पर उपलब्ध कंपनियों के टर्नओवर के आंकड़े अधिक विश्वसनीय हैं। इसलिए सालाना टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण करने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी और निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

नई परिभाषा के तहत जिन कंपनियों का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 'सूक्ष्म उद्यम' माना जाएगा। जिन उद्यमों का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक, लेकिन 75 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा उन्हें 'लघु उद्यम' कहा जाएगा। इसी तरह जिन उद्यमों का वार्षिक कारोबार 75 करोड़ रुपये से अधिक है परंतु 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है उन्हें 'मध्यम उद्यम' के रूप में परिभाषित किया जाएगा। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए वार्षिक कारोबार की सीमा तय कर सकेगी। इसका मलतब यह है कि एमएसएमई अधिनियम में बार-बार संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

वास्तव में एमएसएमई की नई परिभाषा से व्यावसाय करने में आसानी होगी। इसके परिणामस्वरूप प्रगति बढ़ेगी तथा देश के एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।

इस तरह बीते तीन साल में वर्तमान सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आम बजट के जरिए कई प्रयास किए हैं। पिछले वर्ष के आम बजट में सरकार ने तीन साल के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों का 8.33 प्रतिशत अंशदान करने का प्रावधान किया था। इसके अलावा आयकर अधिनियम के तहत नए कर्मचारियों को अदा किए गए पारिश्रमिक के 30 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती का लाभ दिया गया। महिला कर्मचारियों को विशेष सुविधा देते हुए सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।

निष्कर्ष : कह सकते हैं कि हाल के वर्षों में सरकार का फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने पर रहा है। आम बजट 2018-19 में भी इस दिशा में प्रयास हुए हैं। बहरहाल आवश्यकता बजटीय प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की है। तभी ये प्रयास सफल होते पर नजर आएंगे।

(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ई-मेल : hari.scribe@gmail.com

स्मार्ट ग्रामीण जीवन के लिए गोबर धन योजना

—निमिष कपूर

देश के गांवों में अब गोबर और कृषि अवशेष से ऊर्जा और समृद्धि का आगाज होने वाला है। बजट 2018 में ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक अनूठा प्रयास किया है। ग्रामीण विकास के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है जिसका शीर्षक है गोबर धन योजना। यदि गोबर धन योजना देश के ग्रामीण अंचलों में समय से और वैज्ञानिक तरीके से लागू की जाती है तो देश के 155 गांव सफलता की नई इबारत लिखेंगे, जिसमें किसान और पशुपालकों की आय के साधन बढ़ेंगे और वे वैज्ञानिक सोच के साथ देश की आर्थिकी में योगदान देंगे।

ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 2018-19 के बजट में गोबर-धन यानी गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में खेती और पशुपालन से जुड़े एक बड़े जनसमूह की भागीदारी, उनका आर्थिक लाभ और सगग्र विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा इस योजना में परिलक्षित होती है। गोबर धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 आकांक्षायुक्त जिलों की पहचान की है। इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय तक पहुंच आदि में निवेश करके निश्चित समयावधि में विकास की गति को तेज किया जाएगा। सरकार जिन 115 जिलों को विकास का मॉडल बनाने की तैयारी में है, वहां गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन योजना मुख्य भूमिका निभाएगी।

गोबर धन योजना पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह योजना गांव को खुले में शौच से मुक्त करने और ग्रामीणों के जीवन-स्तर को ऊंचा लाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के अंतर्गत गोबर का दोहरा उपयोग किया जा सकता है। गोबर से बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस ऊर्जा को प्लांट के द्वारा निकाला जा सकता है जिसका उपयोग किसान इंजन एवं पॉवर डीजल इंजन चलाने के लिए कर सकते हैं। प्लांट से निकलने वाले गोबर का खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह गोबर धन योजना के द्वारा किसानों के खाद की समस्या दूर होगी, साथ ही आय के संसाधनों में भी बढ़ोतरी होगी।

गोबर धन योजना के तहत पहले चरण में चयनित 115 जिलों के गांवों में ठोस कचरे और जानवरों के मलमूत्र का उपयोग खाद बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्यों को बढ़त मिलेगी और बायोगैस के निर्माण में एक क्रांति का आगाज होगा। इस योजना से देश में बड़ी मात्रा में बर्बाद हो रहे गोबर एवं मानव व पशु मलमूत्र का उपयोग हो सकेगा। इस योजना से एक ओर ग्रामीण जनजीवन समृद्ध होगा वहीं खुले में शौच की समस्या से मुक्ति मिलेगी जो गांव के लिए

फायदेमंद होगी। किसान की आय पूरी तरह फसल पर आश्रित होती है। गोबर धन योजना से पशु मलमूत्र और फसल कटाई के बाद बचे अवशेष का भी मूल्य किसान को मिल सकेगा। किसी कारणवश खराब हो चुकी फसल को सीधे बायोमास के तौर पर बायोगैस ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग में लाया जा सकेगा और किसान को उसके दाम भी मिल सकेंगे।

सरकार इस योजना में किसान को आर्थिक सहायता देने के साथ उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इस योजना के तहत किसान स्वयं पशु मल व कृषि अपशिष्ट से खाद बनाने में दक्षता हासिल करेंगे और अपनी कृषि प्रणाली को मजबूत बना पाएंगे। सरकार का यह भी प्रयास है कि देश के विकास में हर गांव की भूमिका तय हो और प्रत्येक गांव देश की जी.डी.पी. का हिस्सा बने। इसके लिए ग्रामीण इलाकों के ढांचे में परिवर्तन आवश्यक है। गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन योजना से ग्रामीण इलाकों में रोजगार, नई तकनीक और

स्वच्छ भारत

गोबरधन- गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन योजना के तहत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन और उन्हें कम्पोस्ट, बायो गैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा



#न्यू इंडिया बजट



गोबर धन योजना में बड़े पैमाने पर किसानों और पशुपालकों को बायो-गैस संयंत्र से जोड़ा जाएगा

व्यापार के नए रास्तों का सृजन होगा जिसमें बड़ी जन-भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। पशुपालन को प्रोत्साहित करना भी गोबर धन योजना का एक मुख्य उद्देश्य है जिसमें पशु मलमूत्र की उचित कीमत सरकार किसान और पशुपालक को उपलब्ध कराने वाली है। यानी किसान व पशुपालक की आर्थिक समृद्धि का भी प्रयास इस योजना में सन्निहित है।

गोबर धन योजना में बायोगैस के उत्पादन पर जोर दिया गया है। देश के पिछड़े इलाकों में बड़ी मात्रा में मलमूत्र और अनेक ठोस अपशिष्ट गंदगी और महामारी का सबब बनते हैं जिनमें अब लगाम लगेगी और इससे ऊर्जा उत्पादन व बिजली निर्माण का कार्य आरंभ होगा। इस योजना में बड़ी ऊर्जा निर्माता कंपनियों का ध्यान गांव की तरफ आकर्षित होगा और ग्रामीण भारत को इससे सीधा लाभ मिलेगा। अधिकतर ऊर्जा उद्योग महानगर या शहरों के इर्द-गिर्द स्थापित किए जाते हैं जहां उनके संचालन के लिए सुविधाएं आसानी से मिल सकें। गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन योजना से जब सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होंगी तो ऊर्जा उद्योग भी गांव में पहुंचेगा जिसका सीधा फायदा ग्रामीण जनता को मिलेगा। इससे देश का चौतरफा विकास हो सकेगा और ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी, साथ ही गांव से शहर की ओर पलायन रुकेगा।

बायोगैस और बायोमास उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। बायोगैस को देश में भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। देश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए गोबर धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों का बड़े स्तर पर निर्माण और बायोगैस का अधिकतम उपयोग देश की ऊर्जा मांग को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। वर्तमान में स्वीडन में बायोगैस ईंधन से बसें चलाई



गोबर से अब केवल उपले ही नहीं बनेंगे बल्कि गोबर कृषि उद्योग में बड़ी भूमिका निभाएगा

जा रही हैं और बायोगैस से चलने वाली ट्रेन का निर्माण किया गया है। भारत में 2022 तक बायो गैस उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है इसलिए बायोगैस के विकास की प्रचुर संभावना है। बायोगैस उत्पादन में पशु व्यर्थ पदार्थ व कृषि अवशेष शामिल होने के कारण यह वातावरण में कार्बन स्तर को नहीं बिगाड़ती। बायोगैस जीवाश्म ईंधन के बजाय इसलिए भी बेहतर है क्योंकि यह सस्ती और नवीकृत ऊर्जा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह फायदेमंद है क्योंकि इसे छोटे संयंत्रों में भी बनाया जा सकता है। बायोगैस संयंत्र में ऊर्जा फसलों के उपयोग से भी बायोगैस बनाई जाती है। ऊर्जा फसलों यानी एनर्जी क्रॉप्स को भोजन के बजाय जैव-ईंधन के लिए उगाया जाता है।

एक बायोगैस प्लांट में एक डाइजेस्टर और गैस होल्डर होता है जो ईंधन निर्माण करता है। प्लांट का डाइजेस्टर एयरटाइट होता है जिसमें व्यर्थ पदार्थ डाला जाता है और गैस होल्डर में गैस का संग्रहण होता है। मवेशियों के उत्सर्जित पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न करके बायोगैस प्राप्त की जाती है। बायोगैस में 75 प्रतिशत मीथेन गैस होती है जो बिना धुंआ उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत यह जलने के पश्चात राख जैसे कोई अपशिष्ट भी नहीं छोड़ती है। ग्रामीण इलाकों में भोजन पकाने तथा ईंधन के रूप में प्रकाश की व्यवस्था करने में इसका उपयोग होता रहा है। बायोगैस प्लांट का निर्माण गैस की जरूरत और व्यर्थ पदार्थ की उपलब्धता पर निर्भर करता है। साथ ही डाइजेस्टर के अल्प-समयावधि फीडिंग या निरंतर फीडिंग पर भी। बायोगैस संयंत्र जमीन की सतह या उसके नीचे बनाया जाता है और दोनों मॉडलों के अपने फायदे-नुकसान हैं। सतह पर बना प्लांट रखरखाव में आसान होता है और उसे सूरज की गर्मी से भी लाभ होता है, लेकिन इसके निर्माण में अधिक ध्यान देना होता है क्योंकि वहां डाइजेस्टर के अंदरूनी दबाव पर ध्यान देना होता है। इसके विपरीत सतह के नीचे स्थित संयंत्र निर्माण में आसान लेकिन रखरखाव में मुश्किल होता है। गोबर धन योजना की



घोषणा के बाद अब देश में किसानों की बड़ी आबादी बायोगैस परियोजनाओं में भागीदार होगी।

गोबर धन योजना की घोषणा के साथ यह जानना भी आवश्यक है कि आज देश में ग्रामीण विकास से जुड़े वैज्ञानिक गोबर पर क्या शोध आजमा रहे हैं। आज देश में गोबर केवल बायोगैस या कंडों के काम ही नहीं आ रहा है बल्कि गोबर से बने गमले और अगरबत्ती ग्रामीणों की कमाई का बेहतर जरिया बन रहे हैं। इलाहाबाद जिले के कौड़िहार ब्लॉक के श्रीगवेरपुर में स्थित बायोवेद कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान शोध संस्थान में गोबर से बने उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कई प्रदेशों के भी कई लोग इसका प्रशिक्षण ले चुके हैं। इस संस्थान में गोबर से गोकाम (एक प्रकार की लकड़ी) भी बनाई जाती है। गोबर में लैकमड मिलाया गया है जिससे कि गोकाम अधिक समय तक जलती है। गोकाम के साथ ही इस संस्थान



गोबर और कृषि अपशिष्ट से बने गमले भी किसानों को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे

का बनाया हुआ गोबर का गमला भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। गोबर से गमला बनाने के लिए गन्ने का रस निकलने के बाद बचे अवशेष में गोबर मिलाकर मजबूत गमले बनाए जा रहे हैं जिनकी मांग आज देश में हर आम, खास के साथ पांच सितारा होटलों में भी होने लगी है। गमले में लाख की कोटिंग की जाती है, जिससे गमले में चार चांद लग जाते हैं। यह पशुपालकों के लिए अधिक आय का उद्योग साबित हो सकता है, जिसकी शुरुआत न्यूनतम पूंजी के साथ हो सकती है। जब कोई पौधा नर्सरी से लाते हैं तो वह प्लास्टिक की थैली में दिया जाता है और थैली हटाने में थोड़ी भी लापरवाही की जाए तो पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं और मिट्टी में लगाने पर पौधा पनप नहीं पाता। इस स्थिति से बचने के लिए गोबर का गमला काफी उपयोगी साबित होता है। गमले को मशीन से तैयार किया जाता है।

बायोवेद शोध संस्थान में वैज्ञानिक ऐसे संयंत्र तैयार करने में जुटे हैं जिनसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन तैयार किए जा सकें। घर में भोजन पकाने के लिए शोध संस्थान खरपतवार व गोबर से बायोकेक तैयार कर रहे हैं। एक केक की कीमत करीब पांच रुपये आती है और इससे आठ लोगों का भोजन पकाया जा सकता है। बायोवेद की इस तकनीक से बायोकेक तैयार करने में भारतीय कृषि अभियांत्रिकी शोध संस्थान, भोपाल भी सहयोग कर रहा है। सीएसएआई बायोकेक बनाने के लिए बायो एनर्जी संयंत्र तैयार कर रहा है। इस संयंत्र को ग्राम पंचायतों में भी लगाने की तैयारी है जिससे ग्रामीण अपने बायोवेस्ट से केक तैयार करा सकें।

बायोगैस के शोध के लिए देश में अहम स्थान रखने वाले आई.आई.टी. दिल्ली में अब पंचगव्य यानी गाय के गोबर, मूत्र,

दूध, घी और दही के मिश्रण की क्षमता पर शोध किया जा रहा है जो गोबर धन योजना को दिशा प्रदान करेगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर पंचगव्य पर शोध किया जाएगा। आई.आई.टी., दिल्ली को पंचगव्य शोध करने के लिए विभिन्न शोध संस्थानों से प्रस्ताव मिले हैं। सरकार ने 19 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जो गोमूत्र से लेकर गोबर और गाय से मिलने वाले हर पदार्थ पर शोध को प्रोत्साहित करेगी। शोध का उद्देश्य पंचगव्य को स्वास्थ्यवर्धक दवा के रूप में वैज्ञानिक मान्यता देना है और अगले तीन वर्षों में पंचगव्य को पोषणयुक्त खाद और कृषि उपयोग के लिए मंजूरी मिलने की संभावना है। यह शोध भी गोबर धन योजना को मजबूती प्रदान करेगा जिसमें पशुपालकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

भविष्य में देश में गांवों को मॉडल गांव बनाने में गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन योजना मददगार होगी, भारत की आर्थिकी में कृषि और पशुधन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिसे कि इस योजना में साकार किया जा रहा है।

गोबर धन योजना 2018 के मुख्य उद्देश्य

- गोबर धन योजना 2018 का गठन मुख्य तौर पर ग्रामीण नागरिकों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
- इस योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचमुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों से प्राप्त ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस सी.एन.जी. बनाई जाएगी।



- किसानों की दो मुख्य समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। किसानों को बेहतर उर्वरक की प्राप्ति होगी और उन्हें ऊर्जा के संसाधन प्राप्त होंगे।
- इस योजना के संचालन से किसानों के आय के साधनों में अतिरिक्त वृद्धि होगी।
- इस योजना को 2018-19 के बजट में किसानों को समर्पित किया गया है। इसलिए इस योजना को समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत देश के 115 जिलों में आरंभ किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत चयनित जिलों में स्थित गांव के आधारभूत ढांचे, शिक्षा, बिजली, सिंचाई आदि का भी प्रबंध किया जाएगा।
- योजना का मुख्य आकर्षण कंपोस्ट खाद बनाने का है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी।
- इस योजना के लागू होने से देश के किसानों के आय के साधनों में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- किसान अब खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों और जानवरों के मलमूत्र आदि का भी सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे।
- इन अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके बनाई जाने वाली खाद और बायोगैस दोनों का उपयोग किसान कर सकेंगे।
- किसानों के ऊर्जा के साधनों की बचत होगी और इससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग इंजन एवं पॉवर डीजल इंजन आदि चलाने में कर सकेंगे।
- प्लांट से निकलने वाले गोबर का उपयोग भी किसान खाद के रूप में कर सकेंगे।
- गोबर धन योजना की पूरी प्रक्रिया से देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को भी एक नई दिशा प्राप्त होगी।
- साथ ही किसानों में इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- गोबर धन योजना के लिए शीघ्र ही ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए जाएंगे।

सरकार किसानों को गोबर धन योजना के जरिए आर्थिक सहायता के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना चाहती है ताकि किसान खुद से अपनी खाद का निर्माण कर सकें और अपनी कृषि प्रणाली को मजबूत बना सकें। सरकार इस योजना से विशेष रूप से गांव एवं पिछड़े इलाकों के लोगों को आर्थिक मजबूती देना चाहती है जिससे भारत के किसान भी काफी तादाद में फायदा उठा सकेंगे और भविष्य में गांवों के मॉडल को एक नया रूप देने में मदद मिलेगी।

(लेखक विज्ञान प्रसार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का संस्थान) में बतौर वैज्ञानिक 'ई' (प्रधान वैज्ञानिक) कार्यरत हैं एवं विज्ञान फिल्म प्रभाग के प्रमुख हैं।)
ई-मेल : nimish2047@gmail.com

फॉर्म-IV

कुरुक्षेत्र (हिंदी) मासिक पत्रिका
के स्वामित्व एवं भागीदारी
तथा अन्य विवरण

- (1) प्रकाशन का स्थान : नई दिल्ली
- (2) प्रकाशन की अवधि : मासिक
- (3) मुद्रक का नाम : डॉ. साधना राउत
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- (4) प्रकाशक का नाम : डॉ. साधना राउत
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- (5) संपादक का नाम : ललिता खुराना
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- (6) उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों : सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पूर्ण साझेदार है।

मैं डॉ. साधना राउत घोषणा करती हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

साधना राउत

दिनांक : 28.02.2018


(डॉ. साधना राउत)
प्रकाशक



UPSC Civil Services Examination


Guiding the IAS, IPS, IRS of tomorrow

₹ 1595/-




ISBN: 9789352607419

₹ 995/-




ISBN: 9789352607426

₹ 525/-




ISBN: 9789352602827

₹ 550/-




ISBN: 9789387067547

₹ 675/-



ISBN: 9789352606221

₹ 695/-




ISBN: 9789352605705

₹ 395/-




ISBN: 9789352604807

₹ 495/-



ISBN: 9789352603459

₹ 450/-



ISBN: 9789387067554

Prices are subject to change without prior notice.

Register Now & Download Free Sample Papers

For **GS Paper I & II 2018**
<http://www.mheducation.co.in/upscsamplepapers>

McGraw Hill Education (India) Pvt. Ltd.



Toll Free number: 1800 103 5875 | Email: support.india@mheducation.com | Buy: www.mheducation.co.in

Connect with us @ [f](https://www.facebook.com/McGrawHillEducationIN) /McGrawHillEducationIN [t](https://www.twitter.com/MHEducationIN) /MHEducationIN [in](https://www.linkedin.com/company/McGraw-Hill-Education-India) /Company/McGraw-Hill-Education-India [y](https://www.youtube.com/McGrawHillEducationIndia) /McGrawHillEducationIndia

परीक्षा पर चर्चा

प्रधानमंत्री का छात्रों को संबोधन : कुछ विशेष बातें

- परिणाम और अंक परीक्षा के उप-उत्पाद हैं, हमें अपना बेहतर देने पर ध्यान देना चाहिए। मैं राजनीति में भी यही तरीका अपनाता हूँ; मैं केवल अपना सब कुछ, जो मेरे पास है, अपने भारतीय साथियों को देने की तरफ ध्यान देता हूँ; चुनाव तो आते-जाते रहते हैं, वे उप-उत्पाद की तरह हैं।
- मेरे युवा साथियों, इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा दोस्त कितने घंटे पढ़ता है; सोचो, एक दिन आप कितने घंटे पढ़ें और अगले दिन उससे ज्यादा समय पढ़ो।
- बच्चों को अपने अभिभावकों को समझना चाहिए; अभिभावकों के अपने बच्चों के लिए कुछ सपने होते हैं।
- जब भी आप किसी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं तो आप तनाव महसूस करते हैं। आपको सबसे पहले खुद से स्पर्धा करनी चाहिए; स्वयं अपने पैरामीटर बनाएं।
- अपने आप को जानें; अपनी काबलियत को जानें।
- अपने आप से 'प्रतिस्पर्धा' करें।
- योग एकाग्रता बढ़ाने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है; योग शरीर, दिमाग और मन में एकात्मकता लाता है।
- मैं आप सभी को आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ; और अपनी बोर्ड की परीक्षा के लिए मेरे पास 125 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं हैं।

